Seventeenth Loksabha

>

Title: Discussion on the motion for consideration of the Dam Safety Bill, 2019 (Discussion Concluded and Bill Passed).

माननीय अध्यक्ष : अब हम बांध सुरक्षा विधेयक, 2019 लेंगे. माननीय मंत्री जी, एक मिनट । हाउस ऑर्डर में आ जाए । माननीय सदस्यगण, जिसको सदन से बाहर जाना हो, चले जाएं । सदन में खड़े होकर बात मत कीजिए ।

माननीय मंत्री महोदय ।

THE MINISTER OF JAL SHAKTI (SHRI GAJENDRA SINGH SHEKHAWAT): I beg to move:

> "That the Bill to provide for surveillance, inspection, operation and maintenance of the specified dam for prevention of dam failure related disasters and to provide for institutional mechanism to ensure their safe functioning and for matters connected therewith or incidental thereto, be taken into consideration."

माननीय अध्यक्ष : आप कुछ प्रस्तावना रख दीजिए ।

श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत : माननीय अध्यक्ष महोदय, बहते हुए जल का संचय कर उपयोग में लेने के लिए बांध बनाने का बहुत पुराना इतिहास विश्व भर में रहा है । दुनिया भर में हाइड्रोइलैक्ट्रिसिटी के लिए, ड्रिंकिंग वाटर के उपयोग के लिए, सिंचाई के लिए और फ्लड प्रिवेंशन के लिए ऐतिहासिक काल से अब तक हजारों-हजारों बांधों का निर्माण हुआ है । दुनिया भर के बांधों की यदि लार्ज डैम्स की संख्या की तरफ देखा जाए तो अब तक 50 हजार से ज्यादा बांध दुनिया भर में बनाए गए हैं । माननीय अध्यक्ष महोदय, यदि इतिहास की ओर दृष्टि डाली जाए

तो दुनिया में जो सबसे पुराना बांध बनाने का मानव निर्मित बांध का इतिहास है, वह 3000 ईसा पूर्व में तत्कालीन मेसोपोटामिया में, जो वर्तमान में जॉर्डन देश के हिस्से में आता है, वहाँ कुछ बांधों की श्रृंखला का निर्माण उस समय के लोगों ने किया था । उसमे 'जावा' नाम का बांध सबसे पुराना है, ऐसा आइडेंटिफाइड स्ट्रक्चर है । इजिप्ट, रोम, श्रीलंका में ईसा पूर्व के इतिहास में भी अनेक-अनेक बांध बनाने के उल्लेख मिलते हैं । आज की तारीख में सबसे पुराना बांध, जो आज भी फंक्शनल है, काम कर रहा है, वह बांध सीरिया का lake Homs Dam है, जो पिछले 2600 वर्षों से उचित रख-रखाव और प्रबंधन के कारण आज भी उपयोग में आ रहा है, आज भी सर्विस प्रोवाइड करता है ।

महोदय, यदि हम भारत के इतिहास के परिप्रेक्ष्य में देखें, तो भारत के लिखित इतिहास में जिस सबसे पुराने बांध का उल्लेख है, चोल राजवंश द्वारा grand anicut नाम से जो बांध कावेरी नदी पर बनाया गया है, उसका उल्लेख मिलता है । अगर दुनिया के कुल 10 पुराने बांधों के बारे में अध्ययन किया जाए, जो आज भी फंक्शनल हैं, तो उनमें से 5 बांध भारत और जापान में स्थित हैं।

महोदय, बांधों की सुरक्षा और उनकी बढ़ती हुई उम्र विश्व भर के इंजीनियर्स के लिए चिंता का विषय है और गंभीर चिंतन विश्व भर में इस दिशा में होता है । मैं अत्यंत दुख के साथ आज सदन में यह कहना चाहता हूँ कि कल ही इंग्लैंड में एक बांध टूटने का समाचार मिला है, जिसमें लगभग 6 हजार लोगों को बेघर-बार होना पड़ा और वह भी इसलिए संभव हुआ, क्योंकि उस देश में बांध की सुरक्षा को लेकर अत्यंत उन्नत प्रोटोकॉल का पालन किया जाता है । यदि भारत के परिप्रेक्ष्य में देखें, तो प्रबंधन के उचित प्रोटोकॉल, राष्ट्रव्यापी प्रोटोकॉल न होने के कारण से पिछले ही महीने महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले का तिवारे बांध टूटा था, उसके कारण से 23 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी थी ।

महोदय, जैसा मैंने कहा कि बांधों की बढ़ती हुई उम्र देश भर के इंजीनियर्स के लिए चिंता का विषय है । यह गंभीर चिंतन का विषय बना हुआ है । यदि दुनिया भर में बांधों की लार्ज डैम श्रृंखला का देखें, तो चीन में 19 हजार बांध हैं,

उसके बाद अमेरिका है और तीसरा नम्बर भारत का है । भारत में 5,745 ऐसे रेजरवायर्स आज हैं या निर्माणाधीन हैं । इन 5,745 बांधों में से 293 बांध ऐसे हैं, जिनकी आयु 100 साल से ज्यादा हो गई है । देश के कुल बांधों में से लगभग 20 प्रतिशत से ज्यादा बांध ऐसे हैं, जिनकी आयु 50 साल से 100 साल के बीच में हो गई है । जो देश में कुल 5,745 बांध हैं, उनमें से 80 प्रतिशत बांधों की आयु 25 साल से ज्यादा है ।

महोदय, हालांकि बांध के टूटने के खतरे और बांध की वय/उम्र का कोई प्रत्यक्ष संबंध नहीं है । बढ़ती हुई उम्र के साथ जिस तरह से बांधों के रख-रखाव और उचित प्रबंधन पर और अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है, निश्चित रूप से इसे पूरा विश्व स्वीकार करता है । बांध का टूटना न केवल एक जान-माल के खतरे को पैदा करता है, अपितु बाई फेल्योर ऑफ डैम पूरी रिवेराइन इकोलॉजी को प्रभावित करता है । वहाँ की फ्लोरा, फोना आदि सब चीजें उससे प्रभावित होती हैं । जैसा मैंने इस विधेयक के इंट्रोडक्शन के समय में भी निवेदन किया था कि भारत में जो कुल बांध हैं, उन बांधों के 92 परसेंट डैम्स ऐसे हैं, जो डैम्स इंटर स्टेट रिवर बेसिन पर स्थित नदियों पर बने हुए हैं ।

महोदय, इसलिए यह आवश्यक है, क्योंकि बांधों की सुरक्षा अंतरराज्यीय विषय है, इसलिए यह नितांत आवश्यक है कि बांधों की सुरक्षा को लेकर पूरे देश भर का एक कॉमन प्रोटोकॉल बनाया जाए । इंजीनियरिंग और तकनीकी के इस युग में यदि कोई बांध या ऐसा स्ट्रक्चर टूटता है, तो जैसा मैंने निवेदन किया कि वह न केवल जान-माल का खतरा बनता है, प्रस्तुत करता है, अपितु पूरे विश्व में एक राष्ट्रीय शर्म का विषय भी बनता है । यह पूरे विश्व में एक चिंता का विषय बनता है । पूरे विश्व के अभियंता इस बात का अध्ययन करते हैं कि वहाँ जो बांध टूटा था, उसके पीछे क्या कारण थे? यदि कारण यह पाया जाए कि बांध का उचित रख-रखाव और प्रबंधन नहीं हुआ था, उसके चलते बांध फेल्योर हुआ है, तो यह निश्चित रूप से राष्ट्र के लिए शर्म का विषय बनता है । भारत में अब तक कुल 40 बांध टूटने के प्रकरण हुए हैं । उनमें सबसे महत्वपूर्ण और सबसे बड़ा

प्रकरण वर्ष 1979 में गुजरात के मोरबी में मच्छु बांध टूटने का है । ऐसा कहा जाता है कि उस समय 15 हजार से ज्यादा लोगों को जान गंवानी पड़ी थी ।

महोदय, उस बांध के टूटने के बाद, क्योंकि दुनिया भर में इस तरह से अभियंताओं के अध्ययन का क्रम रहा है कि जब कोई बांध टूटता है, तो विश्व भर के अभियंता/इंजीनियर्स उसका अध्ययन करते हैं । भारत में भी उसका अध्ययन किया गया । उसके बाद इस देश में इस बात की चर्चा हुई, आवश्यकता महसूस हुई कि भारत में भी एक ऐसा प्रोटोकॉल बनना चाहिए, एक ऐसी व्यवस्था बननी चाहिए, जिससे देश में बांधों की सुरक्षा की दिशा में एक राष्ट्रव्यापी चिंतन किया जा सके । वर्ष 1982 में पहली बार इस दिशा में चिंतन प्रारम्भ हुआ । एक कमेटी कांस्टीट्यूट की गई । उस कमेटी को, जो देश में उस समय तत्कालीन डैम सेफ्टी की प्रैक्टिसेज़ बनी हुई थीं, उनके अध्ययन के साथ-साथ एक नई डैम सेफ्टी प्रैक्टिस बनाने के लिए प्रोटोकॉल बनाने की जिम्मेदारी दी । वर्ष 1986 में उस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की । वर्ष 2002 में डैम सेफ्टी के लिए एक ड्राफ्ट बिल बना करके सारे प्रदेशों को भेजा गया ।

महोदय, अत्यंत दु:ख के साथ कहना पड़ता है कि वर्ष 2002 से लेकर, आज 17 साल बीत जाने के बाद भी केवल एक प्रदेश बिहार ने अपना पूरा डैम सेफ्टी एक्ट, जो ड्राफ्ट बिल था, उसके आधार पर बनाया । आदरणीय प्रेमचन्द्रन साहब यहां बैठे हैं, केरल राज्य ने वर्ष 2006 में अपने वाटर एंड इरीगेशन एक्ट में संशोधन करते हुए डैम सेफ्टी का एक चैप्टर 2006 में जोड़ा । माननीय प्रेमचन्द्रन साहब साहब उस समय मंत्री थे ।

महोदय, देश भर में यह चिंता का विषय उस समय भी था । देश भर में इसकी चर्चा के बाद में वर्ष 2010 में वैस्ट बंगाल की सरकार और आंध्र प्रदेश की सरकार ने अपनी असेम्बलीज में एक रिजोल्यूशन पारित करके भारत सरकार से, भारत की संसद से आग्रह किया कि आप एक ऐसा बिल प्रस्तुत करें, एक ऐसा कानून बनाएं, ताकि हमारे यहां हम उसको एडॉप्ट करेंगे और हमसे प्रेरणा लेकर पूरे देश के अन्य प्रांत भी उसको एडॉप्ट कर सकते हैं, जिससे देश में बांधों

की सुरक्षा को लेकर एक समुचित व्यवस्था की जा सके । वह बिल जिस दिन प्रस्तुत हुआ, उसके बाद उसको स्टैंडिंग कमेटी में भेजा गया । स्टैंडिंग कमेटी में जाने के बाद विस्तार से स्टैंडिंग कमेटी ने उस पर विचार किया । उसने विचार करके अपनी तरफ से उसमें संशोधन करके अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की । उस रिपोर्ट में जो संशोधन प्रस्तुत किए गए थे, क्योंकि तत्कालीन परिस्थिति में वह बिल पास न हो सका, वह संसद पर टेबल होता, उससे पहले उस संसद सत्र की आयु समाप्त हो गई थी । उसके बाद में आंध्र प्रदेश का रीआर्गनाइजेशन हो गया, इसलिए तकनीकी रूप से वह बिल नहीं लाया जा सकता था, लेकिन इस विषय की महत्ता को समझते हुए, जो ड्राफ्ट बिल उस समय राज्यों में सर्कुलेट किया गया था और बाद में जो स्टैंडिंग कमेटी ने रिपोर्ट दी, उसकी अनुशंसाओं के आधार पर ही यह नया बिल लाकर, इस महत्वपूर्ण विषय पर नया विधेयक लाकर हमने आज चर्चा के लिए आप सबके सामने प्रस्तुत किया है ।

माननीय अध्यक्ष महोदय, उसको लेकर स्टैण्डिंग कमेटी का रिएक्शन था और उन्होंने अनुशंसा की थी । उस समय हम उसे संविधान के अनुच्छेद 252 के तहत लाए थे । स्टैण्डिंग कमेटी ने अपनी अनुशंसा में यह लिखा कि संसद को ऐसा कानून बनाने की पूरी शक्ति प्राप्त है । उसने अपनी ऑब्जर्वेशंस में लिखा है कि 'संविधान की संघ सूची की प्रविष्टि 56 के संदर्भ में संसद ऐसा कानून बनाने में सक्षम है ।'...(व्यवधान)

श्री अधीर रंजन चौधरी (बहरामपुर): यह 246 है ।

SHRI GAJENDRA SINGH SHEKHAWAT: I am not yielding. I stand corrected.

महोदय, वर्ष 1986 से लेकर वर्ष 2010 में, जब बिल आया और जब यह स्टैण्डिंग कमेटी के पास गया तो स्टैण्डिंग कमेटी ने अपनी दूसरी मुख्य अनुशंसा में लिखा है कि इस कानून को बनाने में इतनी देरी क्यों की गई? स्टैण्डिंग कमेटी

के सभी माननीय सदस्यों ने, जो उस समय विद्वान सदस्य थे, उन सबने उसके बारे में अपनी चिंताएं व्यक्त कीं । उस समय उसके अध्यक्ष गोगोई साहब थे ।

माननीय अध्यक्ष महोदय, स्टैण्डिंग कमेटी की जो अनुशंसा थी, उसके आधार पर हमने सॉलिसिटर जनरल से राय माँगी । सॉलिसिटर जनरल ने भी अपनी राय में यह कहा कि अनुच्छेद 246, read with Entry 56 and 97 of List 1 of Seventh Schedule, संसद, ऐसे विषय में, जो लोक हित में, जन हित में आवश्यक है, उस पर कानून बनाने में सक्षम है । चूंकि संसद के सामने आज यह विधेयक प्रस्तुत हुआ है, मैं माननीय सदस्यों को इस विधेयक के मुख्य पहलुओं के बारे में जानकारी देना चाहता हूं ।

माननीय अध्यक्ष महोदय, वर्तमान में जो व्यवस्था है, उस व्यवस्था में भी द्विस्तरीय व्यवस्था का प्रावधान किया गया है । वर्तमान में देश में राष्ट्रीय स्तर पर दो संस्थाएँ काम करती हैं – नेशनल कमेटी ऑन डैम सेफ्टी और डैम सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन । जो नेशनल कमेटी ऑन डैम सेफ्टी है, वह बड़े बाँधों की सुरक्षा के मानक तय करती है । वह, व्यवस्थाओं में सुधार, ऑपरेशन एण्ड मेनटेनेंस और उसके प्रोटोकॉल्स के साथ-साथ नीतियां बनाने में राज्यों को तकनीकी सहायता प्रदान करती है । जो रिपोर्ट्स या नीतियां कमेटी बनाकर देती हैं, उन्हें लागू कराने के लिए सेन्ट्रल डैम सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन बना हुआ है, जो आज भी काम करता है । ठीक इसी आधार पर, राज्यों में भी इसी तरह की द्विस्तरीय व्यवस्था है, लेकिन चूंकि ये चारों संस्थाएं एडवाइज़री रोल में काम करती हैं, इन्हें किसी भी तरह की संवैधानिक शक्ति प्राप्त नहीं है, इसलिए ऐसा संज्ञान में आया है कि राज्यों के स्तर पर जिस गम्भीरता से इस दृष्टिकोण में, इस महत्वपूर्ण विषय पर काम किया जाना चाहिए, वह नहीं हो पाता है ।

माननीय अध्यक्ष महोदय, वर्तमान विधेयक में भी इन्हीं द्विस्तरीय व्यवस्थाओं का प्रावधान किया गया है । इस द्विस्तरीय व्यवस्था में राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय बाँध सुरक्षा समिति और राष्ट्रीय बाँध सुरक्षा प्राधिकरण बनाने का उपबन्ध हमने किया है । समिति एक टेक्निकल बॉडी है । वह एक थिंक टैंक के रूप में काम करेगी,

जिसमें राज्यों के सदस्य भी होंगे, केन्द्र सरकार के प्रतिनिधि भी होंगे और इस सब्जेक्ट के एक्सपर्ट्स भी होंगे, जो मिलकर राष्ट्रव्यापी बाँध सुरक्षा एवं परिचालन की नीतियों का निर्धारण करेंगे ।

इसके साथ-साथ हमने राष्ट्रीय स्तर पर जो उपबन्ध किया है, वह राष्ट्रीय बाँध सुरक्षा प्राधिकरण का है । जो नीतियां कमेटी बनाएगी, उनके लिए इम्प्लीमेंटेशन ऑथोरिटी के रूप में राष्ट्रीय बाँध सुरक्षा प्राधिकरण काम करेगा ।

माननीय अध्यक्ष महोदय, इसी तरह से जो वर्तमान में व्यवस्था है, उसी के अनुरूप स्टेट लेवल पर भी इन्हीं तरह की दो संस्थाएं - स्टेट कमेटी ऑन डैम सेफ्टी और स्टेट डैम सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन, ऐसी द्विस्तरीय व्यवस्था का प्रावधान हमने किया है, जो राज्यों में समय-समय पर ऑपरेशन एण्ड मेनटेनेंस से संबंधित और बाँध सुरक्षा से संबंधित सारे विषयों का अध्ययन भी करेंगे और इनके इम्प्लीमेंटेशन के लिए काम भी करेंगे ।

कुछ ऐसे स्थान हमारे संज्ञान में आए हैं, माननीय निशिकांत दुबे जी बार-बार इस बात की चर्चा करते हैं कि देश में ऐसे 13 बांध हैं, जिनका ओनर कोई दूसरा स्टेट है और बांध किसी दूसरे स्टेट में स्थित है । उन सारे बांधों के बारे में कई बार ऐसा संज्ञान में आया है और वहां सुरक्षा को लेकर बहुत सारी खामियां हैं । वर्तमान में हमने इस विधेयक के माध्यम से जो व्यवस्था की है, उस व्यवस्था में जो नेशनल डैम सेफ्टी अथॉरिटी है, वह स्टेट डैम सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन के रूप में काम करेगी, ताकी उन बांधों की सुरक्षा का समुचित प्रबंध किया जा सके ।

अध्यक्ष महोदय, देश में बांधों की सुरक्षा, प्राकृतिक आपदा और इमरजेंसी सिचुएशन से जुड़े हुए एक्शन प्लान भी होने चाहिए । बांध टूटना ही केवल दुर्घटना नहीं हो सकती है, बल्कि उसके अतिरिक्त प्राकृतिक आपदा के कारण भी बांधों पर खतरा उत्पन्न हो सकता है । उसके लिए इमरजेंसी एक्शन प्लान बनाने की व्यवस्था पूरे विश्व भर में है । यदि इमरजेंसी एक्शन प्लान को प्रैक्टिल रूप से देखा जाए, तो आज देश के अधिकांश बांधों के लिए समुचित इमरजेंसी

एक्शन प्लान नहीं बना है । जब बार-बार इंस्पेक्शन होती है, वर्तमान में जो एजेंसी है, वह इंस्पेक्शन करती है और बार-बार नोटिफाई करती है । प्रदेशों के डिवीजन के पास कुछ ऐसे बांध हैं, जिन पर दोनों प्रदेशों का स्वामित्व है । उन बांधों के संबंध में मैं सदन के सदस्यों के पास जाकर निवेदन करूंगा कि यदि आप उस बांध की गैलरी में जाकर देखेंगे, तो दोनों प्रदेशों ने अपने-अपने हिस्से के बांध को अलग-अलग कर लिया है । एक ही बांध के दो टुकड़े हैं, घर का आधा टुकड़ा इधर है और आधा टुकड़ा उधर है । उस बांध का एक प्रदेश में किस तरह से रख-रखाव किया जा रहा है और दूसरा प्रदेश किस तरह से रख-रखाव कर रहा है, इन दोनों में आपको फर्क दिखाई देगा । यह इतनी बड़ी संरचना है, जिस पर खतरा होने के कारण लाखों लोगों का जीवन खतरे में आ सकता है, पूरी व्यवस्था खतरे में आ सकती है, पूरी इकोलॉजी खतरे में आ सकती है । आज उन बांधों की सुरक्षा को फौरी तौर पर लिया जा रहा है । हमारे लिए यह निश्चित रूप से चिंता का विषय है । ऐसी स्थिति में बांध सुरक्षा के लिए अवेयरनेस क्रिएट करना जरूरी है । इसके साथ ही बांध के जो ओनर्स हैं, उनमें सेंस ऑफ रिस्पॉन्सबिलिटी और क्रिएशन ऑफ अवेयरनेस दोनों होना आवश्यक है ।

महोदय, मैं चाहता हूं कि इस विधेयक को पारित किया जाए । इस विधेयक की महत्ता को प्रतिस्थापित करने के लिए मैंने विश्व भर के कई बांधों के टूटने के बारे में चर्चा की है । जैसा मैंने कहा कि यह केवल बांध टूटने की बात नहीं है, बल्कि कई बार ऑपरेशनल मैन्टेनेन्स प्रॉपर नहीं होने, मैन्टेनेन्स के प्रोटोकॉल का ठीक से पालन नहीं करने, मानसून के समय एक साथ ज्यादा पानी छोड़ने तथा समय पर पानी रिलीज नहीं करने के कारण भारी आपदाओं का इतिहास इस देश में रहा है । पिछली बार केरल में जो बाढ़ आई थी, हमारे प्रेमचन्द्रन साहब इस बात से सहमति व्यक्त करेंगे, क्योंकि उसका भी कारण यही था । हमारे लिए यह आवश्यक है कि देश में इस तरह का एक प्रोटोकॉल बने, इस तरह की एक संवैधानिक व्यवस्था बने कि देश के सारे बांधों की सुरक्षा होनी चाहिए । हम बेशक यह मानते हैं कि यह संपत्ति राज्य की है । मैं आपके माध्यम से इस सदन

के सारे सदस्यों, बांधों के ओनर्स, राज्य सरकारों और सारे पीएसयूज़ को इस बात के लिए स्पष्ट शब्दों में अवगत कराना चाहता हूं कि हम बांधों पर अधिकार नहीं करना चाहते हैं । बांध आपकी ही प्रॉपर्टी हैं, बांध आपका ही रहेगा, उसमें जो पानी है, वह भी आपका रहेगा, उससे बनने वाली बिजली भी आपकी रहेगी, पानी में जिसका जितना शेयर है, उसका उतना ही रहेगा । बांध का स्वामित्व लेने और उनके ऑपरेशन व मैन्टेनेन्स में हस्तक्षेप करने का हमारा कतई इरादा नहीं है । मैं एक पवित्र भाव के साथ केवल इतना ही कहना चाहता हूं कि यह राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा हुआ विषय है । यह तबाही को रोकने से जुड़ा हुआ विषय है । इस भावना को समझते हुए और इसके साथ न्याय करते हुए, इस बिल को सर्वसम्मति से पारित किया जाए । मैं आप सभी से निवेदन करता हूं कि पवित्र भाव से लाए हुए इस बिल को आप सभी पास करें । आपके सहयोग के लिए मैं सभी सदस्यों का आभार तथा अभिनंदन करता हूं ।

माननीय अध्यक्ष: प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ:

> "कि बांध संबंधी विफलता से संबंधित आपदाओं के निवारण के लिए विनिर्दिष्ट बांधों की निगरानी, निरीक्षण, प्रचालन और अनुरक्षण का उपबंध करने और उनके सुरक्षित कार्यकरण को सुनिश्चित करने के लिए संस्थागत क्रियाविधि तथा उनसे संबंधित या उनके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए ।"

15.55 hrs (Shri Kodikunnil Suresh *in the Chair*)

SHRI ADHIR RANJAN CHOWDHURY : Sir, before dwelling upon the subject matter of the legislative document, I would like to browse on

the odyssey of water conservation, water reservation in our country and across the world.

With the first human settlement about 6,000 years ago, humankind are confronting two-fold challenges. First is to protect themselves from flood; and second is to conserve water so as to ensure the supply of water for domestic use and irrigation.

Storage of water is not new to us. Earlier, the storage of water was used to be in the cistern, in the *tanki.* In Palestine and Greece, those *tankis* are atill in use. The earliest dams to retain water in large quantities, as has been stated by the hon. Minister, are: Jawa Dam in Jordan, Wadi al-Garawi, Egypt. One of the oldest operational dams is Quatinah Barrage in Syria.

All the Great Civilisations in the world starting from Civilisation of Nile, Tigris, Euphrates, Harappa, Mohenjo-daro, Huang He flourished on the basis of water management. So, water management is inherent in our civilisation, and in our existence also. Even in Chandogya, one of the principal Upnishads, it has been depicted that the all rivers discharge their waters into the sea; they lead from sea to sea. The clouds raise the vapour and it releases the rain. This is the hydrological cycle. The geography of our Indian empire was sculpted on water and wind.

Therefore, now, our struggle is to escape from water scarcity. The hon. Minister has talked about largest dams across the world starting from first USA, then China and then India.

But I would like to draw the attention of the House that the *per capita* storage capacity in North America is 6,150 cubic meters. In Russia, it is 6,016 cubic meters. In Austria, it is 4,729 cubic metres In

China, it is 2,486 cubic metres. But in India, it is a meagre 262 cubic metres.

We have no dispute with them insofar as dam safety is concerned. If it was so, the Bill would not have come in the year 2010. The hon. Minister has already raised the issue, which was supposed to be raised by us. Virtually, in anticipation to our queries and clarifications, the hon. Minister was competent enough to deal with all the matters, which might have come during the discussion. So, the hon. Minister has rightly done his job.

But here, I would simply like to draw the attention of the House that experts had suggested that the Bill of 2010 may be brought under Entry 56 of the Union List to be expedient in public interest; only to the point of 'to be expedient in pubic interest', they have invoked Article 246. The Bill of 2010, gave States the flexibility and option to enact the law. The Bill of 2019 makes it mandatory for all the States to comply, and it takes away such flexibility. The Bill of 2019 would also override any existing Inter-State Agreement related to dam safety. Therein lies the rub.

-

16.00 hrs

You are trying to convince the House that you are going to have a great endeavour for the safety of our dam. Before coming over here, you should have a threadbare discussion and a deliberation with all the concerned States to resolve the issue so that you did not have any necessity to come over here and to spell out the nuts and bolts of dam safety aspects.

I may refer Clauses 49 and 50, the language of several sections of the Bill suggest that the State Dam Safety Organisation is appeared to be subservient to the National Dam Safety Organisation. इसलिए सभी को डर है कि आप उनके ऊपर इन्क्रोच कर रहे हैं, यह हमारा डर नहीं है । आप डेलिब्रेटिव एप्रोच क्यों नहीं अपना रहे हैं । यह मेरा कहना है । आप मोटे तौर पर हमारे सारे क्लेरिफिकेशन का जवाब पहले ही दे चुके हैं ।

The Bill specifies that the Central Government can amend these schedules through a notification if deemed necessary and the functions of such authorities, that are established in the Bill, should be specified in the main part by Parliament and not delegated to the Government. The Central Government has the power to alter the function of the State Governments and State Committees on dam safety through a notification.

डर इस बात का है कि आप नोटिफिकेशन करेंगे और शिड्यूल बदल देंगे, उनके ऊपर आप इन्क्रोचमेंट करेंगे, डर स्टेट का है, तमिलनाडु का है, केरल का है, आंध्र प्रदेश का है । आप हिंदुस्तान का एनिकट कह रहे थे । शायद मंत्री जी आप स्वीकार करेंगे कि हमारे कॉटन साहब ने 1840 ई. में गोदावरी का जो पार्च्ड लैंड था, उसको ग्रीनरी बना दिया था । उनकी मूर्ति अभी राजमुन्दरी में स्थापित हुई है ।

The Chairperson of the Central Water Commission is the *ex-officio* Chairperson of the National Commission on Dam Safety. The representative of CWC is a member of each State Committee on Dam Safety as per Clauses 5 and 11. The CWC is involved in policy making about dams. It is also involved in their approval, guiding, design, financing, monitoring, approval seismic parameters and so on. The dam safety is essentially a regulatory function. The CWC is in clear conflict

of interest of being involved in the dam safety mechanism. These are the infirmities that have been observed.

The CWC is entrusted for different jobs. You have been brought CWC in another job. So, there may be a conflict of interest. Also, CWC has had a poor track record in dam safety and hesitant to place blame on dam operators for the wrong and unsafe operation of dams. You have referred to Kerala inundation. Yes, during that Kerala inundation, we have incurred a huge financial loss, physical loss and infrastructural loss. In our country, 44 per cent of dam failures are result of breaching.

I would simply suggest the hon. Minister that you should conduct a pre-monsoon and post-monsoon inspection of all the dams. Only Tamil Nadu and Himachal Pradesh are conducting these kinds of inspections. There is an allegation against you and your Ministry that you are going to centralise everything. The National Regulatory Committee and the National Dam Safety Authority are meant to device safety policy, implement guidelines, recommend regulation, however, the process of maintaining and protecting the dams previously came under the ambit of State Government. You have explained it.The Bill is focussed on structural safety of dams and it does not address the issue of operational safety in sufficient manner. You have tried to explain it but still there is a gap between lip and cup.

Also, insofar as the appointment of specialist members is concerned, the Bill requires appointment of up to three members out of total 21 members 'specialists in the field of dam safety and allied fields' nominated by the Central and State Governments respectively as members of NCDS and SCDS. However, there is no mention of these

persons having an independent track record, nor is there any mechanism mentioned regarding the metrics according to which these individuals will be selected.

There are many issues that still need to be addressed. The Bill has a clear focus on structural safety of dams. The CAG report on 2015 Chennai floods revealed that indiscriminate discharge of water from Chembarambakkam reservoir had caused a huge loss. This was a human error. The overarching subject of 'Dam' previously came under the ambit of State Governments but now dam safety will be regulated by your organisation.

Dam inherits displacement of the common people. Do you have any clause or do you have anything at your disposal under the Bill to offer compensation to the affected families? आज तक कितनी फैमिलीज़ अफैक्टिड हुई हैं? कितना कम्पैनसेशन दिया गया है? कितने बांध बनाने से पहले डैम प्रोजेक्ट्स को साइड में रख दिया है, नहीं बना पाए हैं क्योंकि डिसबर्समेंट, कम्पनेसेशन की फाइल साइन नहीं हुई है, आप इसका ब्यौरा देंगे तो अच्छा होगा । हम प्रपोज करते हैं कि there is a need for an independent regulator as well as for a precise definition of stakeholder.

ये मामूली चीजें हैं, हम चाहते हैं कि आप इनपर गौर करें, इसे संज्ञान में लें । हम चाहते हैं कि डैम्स की सेफ्टी बरकरार रहे । हम सबको मालूम है कि हमें आज या कल पानी के लिए बड़ा तरसना होगा । मनी और पानी में अभी फर्क यह है कि पानी मनी से आगे निकल चुका है । पर कैपिटा वाटर अवेलेबिलिटी आजादी के समय 5177 क्युबिक मीटर थी और आज घटकर 1545 क्युबिक मीटर हो गई है । यह कहा जाता है कि 1700 क्युबिक मीटर से कम हो तो वाटर स्ट्रैस होता है, हम इससे भी नीचे उतर गए हैं ।

मैं अपने राज्य के बारे में एक बात कहकर अपना वक्तव्य समाप्त करूंगा । हमारे राज्य में डीवीसी में सात बांध बनाने का प्रपोजल था जबकि अभी चार ही बने हैं । इसके साथ फरक्का बैराज और तीस्ता प्रोजेक्ट हैं । बंगाल के तीन हिस्सों में बैराज और बांध के कारण कभी हालात बहुत बुरे हो जाते हैं । बंगाल लोअर राइपेरियन में स्थापित है । निशिकान्त जी कहते हैं कि कभी-कभी बिहार और झारखंड से पानी नीचे चला जाता है । हम नहीं चाहते कि झारखंड से पानी यहां आए, लेकिन क्या करें, लोअर राइपेरियन स्टेट है इसलिए पानी तो आएगा ही । डीवीसी, फरक्का बैराज और तीस्ता प्रोजेक्ट का अभी जो हाल है, मुझे उम्मीद है कि माननीय मंत्री जी इसके बारे में कुछ बताकर हमें खुश करेंगे ।

हम चाहते हैं कि डैम सिक्योरिटी बिल को चुस्त-दुरस्त तरीके से पारित हो । इसके साथ मैं जरूर कहूंगा कि एन्क्रोचमेंट नहीं किया जाना चाहिए । सूबे की सरकार को वंचित नहीं करना चाहिए क्योंकि हिंदुस्तान फैडरल कंट्री है, सारे सूबे फैडरल कंट्री के कम्पोनेंट हैं, सबको साथ लेकर आप काम कीजिए । नमस्कार ।

SHRI N. K. PREMACHANDRAN (KOLLAM): Thanks to the hon. Speaker and the hon. Chairman and also to our Party leaders for providing me a chance to speak out of priority.

I rise to support this Bill. At the time of introduction, I was opposing the introduction of the Bill on technical grounds and also merely on constitutional grounds. Still I support the contents of the Bill.

Sir, why am I supporting the Bill? It is because this Bill is pertaining to the dam safety of the country as a whole. As you have

rightly said in the opening remarks, the exclusive intention of this Bill is to have the dam safety. It has nothing with the water distribution or sharing of water. So, I fully support this Bill.

Sir, dams have played a key role in the rapid sustainable agricultural and rural growth of our country. During the last 50 years, India has substantially invested in dams and related infrastructure in India. There are 5,254 dams which are completely constructed and 447 dams are under construction. In the world, India stands third for the number of dams, it has. After China and US, India stands in 3rd position.

Coming to the dam failures, as per the International Commission of Larger Dams, there are 200 notable failures of large dams in the world till 1965. Globally, 2.2 per cent of the dams which were built before 1950 have failed. But the failure rate of dams built since 1951 is less than 0.5 per cent.

Sir, in India, first dam failure was in Madhya Pradesh in 1917 when the Tigra dam failed due to the overtopping. So, the worst dam failure which we have experienced was in the year 1979, that is the Machhu dam failure in Gujarat. More than 2000 people have died. In total, there are 36 dam failures which had happened and experienced in India.

According to me, the reasons are as follows. Number one is inadequate design and poor quality of construction are the causes of dam failure and it is also due to breaching.

Sir, I think that the rate of accidents over dam failures is 44 per cent but for overtopping, it is 25 per cent as a whole.

Coming to the point of dam safety, it is a big concern for India because 75 per cent of the large dams in India are more than 25 years

old. About 164 dams are more than 100 years old including Mullaperiyar dam which is more than 133 years old and that too, it is made of surkhi and lime. An unsafe dam badly maintained can be hazard to human life, flora and fauna and the entire environment ecology will be adversely affected. So, what is the need for a Dam Safety Bill? In this scenario, comprehensive legislation of dam safety is highly essential in India since we do not have a legal and institutional architecture for dam safety.

The existing organisation of National Committee on Dam Safety and the existing organisation of the Dam Safety in the States do not have any statutory powers and only advisory in nature. So, the present Dam Safety Bill empowers the dam safety to address all the issues concerning inspection and surveillance of the maintenance and operation of the dams and emergency action plan is also there. So, it provides a National Committee on Dam Safety; it provides a National Dam Safety Authority and the State Committee on Dam Safety. Three main organisations are there.

Sir, I have objections to the Bill or my reservations to the Bill. I will conclude within a short span of time.

This is my first objection. Hon. Minister may kindly note that Section 8 sub-section 1 clause 2 of the Bill says the Chairman of the National Dam Safety Authority is a single man authority, that too, a person who is not less than the rank of an Additional Secretary. Such an important authority, National Dam Safety Authority, is being chaired by an Additional Secretary. This means the seriousness has not been put on the Dam Safety Authority. An officer not below the rank of an Additional Secretary is not sufficient to meet the purpose. So, my first

suggestion is that the dam safety involves more complex, sensitive and technical matters. It is better to ensure that a competent technical person be the head of the authority with more Members.

Let us have multiple number of members with a competent technical person as the Chairman. I do not prefer a judge. Let it be a competent technical person as the Chairman with multiple members. That is my first suggestion.

The second objection to the Bill is regarding section 9 (3). There is no appellate authority to appeal against the decision of the single-member authority. The decision of an Additional Secretary shall be final means it is against the basic principles of natural justice. So, that is the second objection which I would like to make.

Third one is about section 24(1). If the specified dam is in a State owned by another State, there will be a chance of non-representation of the State, where the dam is situated, in the National Committee on Dam Safety, as the State representatives, who are seven in number, are coming by rotational basis. I will just elucidate this point to understand it. According to the provision section 24 (1) – I fully agree –some dams are situated in my State but they belong to Tamil Nadu. For example, there is the Parambikulam-Aliyar Project Agreement in which four dams are involved. They are Parambikulam, Peruvaripallam and Thunakkadavu as well as Mullaperiyar Dams. Though all these four dams are situated in the State of Kerala, the owner of the dams is the State of Tamil Nadu. In such a situation, the Surveillance and Dam Safety Organisation of Kerala has no power over these dams. According to section 24 (1) of this Bill, the entire power or authority will be vested

with the National Committee on Dam Safety. …(*Interruptions*) Why? I will tell you. Mr. Raja, I am supporting it.

It is because a dam belongs to a particular State but it is being situated in another State. No State can give justice to another State. We know water is such a sensitive subject. So, it is absolutely a correct provision you have made in the Bill. I support the Bill. But, at the same time, my suggestion is, let the Kerala representative and the Tamil Nadu representative be there in the National Committee on Dam Safety as permanent members. Then only, we can resolve the dispute in an amicable manner. That is the third suggestion which I would like to make.

I will conclude by making the bullet points. Sir, coming to the drawbacks in the Bill, first one is, the whole dam safety mechanism is dominated by the Chairman of the Central Water Commission. A representative of the CWC is being a member of each State Committee on Dam Safety. The track record of dam safety of the Central Water Commission is not good. If we examine the Kerala flood of 2018, the CWC claimed that the dams cannot be blamed for worsening of the flood situation which happened in Kerala, when all evidences and reports are contrary to the facts. That is the track record of the Central Water Commission. Kindly review that position.

My second point is, there is no inclusion of compensation to be given to the victims of dam failure. When a dam failure takes place, nothing is being mentioned in the Bill regarding the compensation to be given to the victims.

My third point is, the Bill does not define or interpret the term ‘stakeholders’. Who are stakeholders? It was there in the Dam Safety

Bill of 2018 but unfortunately, it is missing now.

My fourth point is, the Bill does not mention the qualification and the independent track record of the members to be appointed in the National Committee on Dam Safety and the State Committee on Dam Safety and there is no mechanism for their selection.

My fifth point is, the dam safety should be integrated with the land use planning.

My sixth point is, the Disaster Management Authority does not have a significant role as per the Bill. The Dam Safety Authority and the Disaster Management Authority have to act in close association but unfortunately, their significant role is missing in the dam safety activities as per the Bill.

My seventh point is, the critical lacuna in the Bill is that this Bill is too focussed on the structural safety of dams and not so much on the operational safety.

My eight point, which is last but not the least, is very important. A mandatory provision to have the Dam Break Analysis is compulsory for all the dams. That is also missing in the Bill. I do accept there is an emergency action plan but unfortunately, the Dam Break Analysis is missing in this Bill.

With these suggestions, though there are limitations, I do appreciate that this is a good beginning. Something is better than nothing. So, I congratulate the hon. Minister and the Government for bringing such a Bill. Hence, I do support this Bill.

With these words, I conclude. Thank you very much, Sir.

SHRI A. RAJA (NILGIRIS): Thank you, Mr. Chairman, Sir, for giving me this opportunity to register some views on behalf of my party.

Sir, I rise to oppose the Bill. I oppose the Bill since it is an onslaught on the federal structure of the Constitution. I am really surprised by the vehement argument that has been advanced by Mr. Premachandran. …(*Interruptions*)

When Mr. Premachandran advanced his arguments vehemently at the time of introduction of the Bill, I think there were legitimate grounds in his argument and, of course, we supported him when he talked about the legislative competency of this House to bring this Bill.

On the other day also, I expressed my views. Even when the Government of India Act, 1935 came into existence, the framers of the Constitution were very clear that both land and water subjects should be within the purview of the State. They are duly and correctly inherited by our present Constitution. Even at the time of framing of our Constitution, they were not compelled but were keen that both land and water should be State subjects.

First of all, when both the subjects, land and water and storage of water, that is, dam, are both within the purview of the State, how can this House bring in a law?

Secondly, the motto of the Bill, as is mentioned in the Bill itself, is surveillance, inspection, operation, and maintenance of specified dams across the country. We will have to see whether this Bill is really going to protect the dams. As far as my State, Tamil Nadu is concerned, when our former Chief Minister, late Dr. Karunanidhi was in the Government

in 1990, he created a Dam Safety Directorate. Almost 30 years back, a separate Directorate was created by an Executive Order. It shows that even at that time our State had a vision of how the dams have to be protected and maintained.

We also passed a Resolution in 2018 in this regard. It was a unanimous Resolution and not representing a political entity. I may kindly be permitted to read as to what that Resolution says:

> "That as the proposed draft Dam Safety Bill, 2018 contains clauses which violate the rights of Tamil Nadu, especially with respect to the Dams constructed by the Government of Tamil Nadu in the neighbouring State, and would cause various problems in their maintenance and operation, this House urges the Central Government to take up the legislation on Dam Safety only after consulting the States and after arriving at a consensus and till then, keep in abeyance the process of legislating on Dam Safety."

In 2018 itself, a unanimous Resolution has been passed in the Tamil Nadu Legislative Assembly. But no consultation has been done with the Government of Tamil Nadu by the Central Government. Even minimum courtesy was not extended to the State, if at all the Government is going to bring in a Bill. Is it not the duty of the Central Government to have a discussion with the State? So, I am really surprised and I have my own apprehensions. The Resolution being already passed by the State of Tamil Nadu, the Legislature of Tamil Nadu was not even consulted. Why? That has to be explained. Why the Government is bringing it in such a hurry?

Thirdly, India is a participant under the Dam Rehabilitation and Improvement Project (DRIP), which is being funded by the World Bank. Any project under this scheme will be monitored by the Central Water Commission (CWC).

The World Bank has brought Regulatory Frameworks for Dam Safety which details an exhaustive study of dams in the global context. The introduction of the study defines dam safety. I will read:-

> " "Dam safety" can be understood as referring to the factors that influence the safe operation of the structure of the dam and the appurtenant structures, and the dam's potential to adversely affect human life, human health, property, and the environment surrounding it. This means that dam safety is also concerned with the adequacy of the operations and maintenance of the dam, as well as its plans for dealing with emergencies and with limiting the adverse impact of existing dams on human life, human health, property, and the environment."

After giving the definition of 'dam safety', the report discusses how dam safety is regulated by the various governments in various countries. This is a very pertinent point. In Brazil, there is no legislation; only an Executive Order is there. In Australia, it is a State Subject. In Canada, mere guidelines are framed by the Dam Association. In China, Reservoir Safety Regulation is there. In France, there is a mere government circular. In Mexico, only Central Water Commission takes care of it. In Russia, there is a federal law. In the USA, there is a federal law.

Now, I come to a State like India which we can call federal or quasi-federal. There is a comparative analysis of dam safety regulations by the

World Bank and on page 61, it deals with countries like India having federal, semi-federal or quasi-federal system. It says:

> "A number of the countries studied have decentralised governmental structures in which relations between the central government and state or local governments become an important issue. In these countries, the regulatory scheme usually addresses the relationships between the different levels of government. This is important both in order to accommodate the requirements of the governmental structure in the country and to avoid duplication or ambiguity in the regulatory framework applicable to any particular dam."

Sir, this is very important. The World Bank, having applied its mind to various countries, came to the conclusion that there should not be a central legislation. On this score, I oppose the Bill.

Now, I come to the Bill. Let us have a look at what the Bill says. The Government wants to create four bodies – National Dam Safety Committee under clause 5, National Dam Safety Authority, State Committee on Dam Safety and State Dam Safety Organisation. I am not able to understand this nomenclature. I am really confused. How many bodies are being created? Shri Premachandran was right. Merely an Additional Secretary is maintaining the whole national authority. This is completely unheard of.

Then, the National Dam Safety Committee, which is being created under clause 5, is not only having double role, but a dubious role. Let me detail how. A body cannot be advisor as well as regulator. It is admitted world over. As per the First Schedule of the Bill, the following are the functions of National Committee on Dam Safety. The first one is

that 'for the purposes of maintaining standards of dam safety and prevention of dam failure related disasters, ….'. The fourth one reads 'evolve comprehensive dam safety management approach….'. The fifth one says 'render advice on any specific matter relating to dam safety which may be referred to it by the Central Government …'. How can a body be both the advisor and the regulator?

Then, what is the purpose of Dam Safety Authority under clause 8? The general understanding must be that when there is a Dam Committee, and you are coming for a national authority, some sort of accountability must be there between the authority and the committee because you are creating the Authority under the Additional Secretary which is under a big committee. Where is it?

Please read section 8 (4). It says that the Authority will not report to the Committee. It says: "The Authority will shall comply with such directions as may, from time to time, be given to it by the Central Government". Who is sitting in the Central Government? It is the Chairperson, Central Water Commission. In the Authority, it is the Additional Secretary. So, even the Additional Secretary is not reporting to the Chairman. He is giving all advices to the Government. Who is sitting in the Government? I do not know that. I do not know whether it is Chief Secretary or the Cabinet Secretary. Who is representing the Government of India there?

Let me refer to section 9 (2). It is still more dangerous. It says: "Without prejudice to the provisions contained in sub-section (1), the Authority shall make all endeavours to resolve any issue between the State Dam Safety Organisations of States or between a State Dam Safety Organisation and any owner of a specified dam in that State." The word

used is “Resolve”. This word has been very carefully used. It says that the Authority shall make all endeavours to resolve any issue between the State Dam Safety Organisations of States or between a State Dam Safety Organisation and any owner of a specified dam in that State. What does it mean? They are sitting in different States. It means you want to adjudicate the matter.

Then, let us come to the State Committee on Dam Safety. Who is the Chairman of the National Dam Safety Committee? It is the Chairman of the Central Water Commission. When you are having the Chairman, Central Water Commission in the Committee, then why are you having a Member from the Central Water Commission in the State Committee on Dam Safety? What does it mean? It means, sitting in Delhi, through your Chairman, you want to command all the States. You want to do it by putting your own man in the State Committee. Is it fair? That is why I am saying that it is an onslaught on the federal system of the Constitution.

Finally, I want to say this. There is no proper application of mind. The Bill has been brought in haste.

Please refer to sections 38 and 50. Section 50 says: “The Central Government may give such directions, as it may consider necessary, to the State Government where that Government is the owner of the specified dam and to the owner of a specified dam in any other case for the effective implementation of the provisions of this Act.” You created four bodies. But in section 50, you say that the whatever directions that the Central Government gives would be final and that they are binding upon the States. Then, what is the necessity for these four bodies? It is completely a bad law. There is complete chaos.

So, all these issues must be addressed. Unless and until these issues are addressed, there is no use of this Bill. It is better to withdraw this Bill. So, we oppose the Bill.

SHRI P.P. CHAUDHARY (PALI): Mr. Chairman, Sir, thank you.

I rise to support the Dam Safety Bill, 2019. At the time of introduction and even today, an issue was raised with respect to the legislative competence of the Parliament to take up this Bill. Entry 17 in the State List of VII Schedule is very clear about this. This Entry is subject to Entry 56 of List I, that is of the Union List. It says: "Water, that is to say, water supplies, irrigation and canals, drainage and embankments, water storage and water power subject to the provisions of Entry 56 of List I". If we read the entry 17 of the State List, we may come to the conclusion that it is within the competence of this Parliament to legislate with respect to this subject, that is, 'dam safety'.

16.35 hrs (Shri Bhartruhari Mahtab *in the Chair*)

So, entry 56 of the Union List reads like this and I quote: "Regulation and development – these expression are very important - of inter-State rivers and river valleys to the extent to which such regulation and development under the control of the Union is declared by Parliament by law to be expedient in the public interest."

Keeping in view of the spirit of entry 56 of the Union List of the Seventh Schedule, it is specifically mentioned in Clause 2 of the Bill and it says: "It is hereby declared that it is expedient in the public interest

that the Union should take under its control the regulation of uniformed dam safety procedure for specified dam to the extent hereinafter provided." So, it is in consonance with the entry 56 of the Union List of the Seventh Schedule.

So, if the entry 17 of the State List and entry 56 of the Union List are read together, we can reach to a conclusion that regulation and development with respect to the dam safety is within the jurisdiction of the Parliament. Basically, the regulation and development have a wide range and dam safety, usage of water, distribution of water and allocation of water are also included in it.

This issue also came before the Supreme Court in regard to Cauvery water dispute in 1992. The Supreme Court took the view that the regulation and development is wide enough to include the dam safety also.

Apart from this, all ancillary matters with respect to water relating to dam safety come under within the purview of the entry 97. So far as the legislative power of the Parliament is concerned, it is under Article 246. Kindly see the Article 246(3). It specifically provides that, "subject to Clauses (1) and (2), the Legislature of any State has exclusive power to make laws for such State or any part thereof with respect to any of the matters enumerated in List II of the Seventh Schedule of the Constitution."

So, subject to Clauses 1 and 2, if both the entries – entry of the Union List and entry of the State List of the Seventh Schedule – are read together, it is clear that entry 97 have an overriding effect. So far as the Union List is concerned, it deals with the specific terms and so far as the State List is concerned, it deals with the general terms. The entry in the

Union List takes effect notwithstanding the entry in State List. So, in case of applying the principle of interpretation, the reconciliation of List 1 and List II, List I will have an overriding effect with respect to what is contained in entry 56. So, on the basis of the principle of pith and substance, the dam safety will not fall under the entry of the State List II.

Apart from this, the subject of legislature cannot be divided into such a watertight compartment and overlapping is inevitable. Therefore, even there is overlapping, that can be ignored. Even it is assumed for a moment that the legislative competence is not under entry 56, then kindly see the residuary power of the Parliament that is under the entry 97 with Legislature Competence of Parliament under Article 248.

Entry 97 specifically provides for any other matter not enumerated in List II and List III including any tax not mentioned in either of those Lists. So, 'dam safety' may also fall under the entry 97 of the Union List I. Therefore, the Parliament have the full legislative competence to enact this law.

HON. CHAIRPERSON: There is something more also written in that line.

SHRI P. P. CHAUDHARY : Yes, Sir. I am coming to it.

Apart from this, article 248, which deals with residuary powers, read with entry 97 states that it is exclusive power of the Parliament to legislate with respect to a matter like dam safety because the expression 'dam safety' is not provided in entry 17 or any other entries. Therefore, it is also covered by entry 97.

सभापति महोदय, अगर इस बिल पर आया जाए तो यह बहुत ही महत्वपूर्ण बिल है । मैं मंत्री जी और प्रधान मंत्री जी को बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कि इतने लम्बे समय के बाद यह बिल आया है । देश में 5344 लार्ज डैम्स हैं और 441 अण्डर कंसट्रक्शन हैं । कुछ डैम्स ऐसे हैं, जो कि 100 साल से भी ज्यादा पुराने हैं, वे करीब 293 डैम्स हैं । 1041 डैम्स जो हैं, वे 50 से 100 साल के बीच पुराने हैं । इन डैम्स का इंस्पैक्शन हो, ऑपरेशन हो, इनकी मेंटेनेंस हो । ये सब जरूरी है to ensure safety, and prevent dam failure-related disasters. हमने पहले देखा था कि बिल का आइडिया कंसीव हुआ, जैसा मंत्री जी ने बताया । वर्ष 1982 में सी.डब्ल्यू.सी. चेयरमैन के तहत एक कमेटी गठित की गई और उसने अपनी रिकमेण्डेशंस दीं । वर्ष 1986 में रिकमेण्डेशंस देने के बाद भी लम्बे समय तक इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, जिससे इस तरह का कानून आ जाए । यह स्टैण्डिंग कमेटी में गया और स्टैण्डिंग कमेटी ने भी अपनी रिकमेण्डेशंस दीं । इस पर कई स्टेट गवर्नमेंट से ओपिनियन मांगा गया । फाइनली अब यह बिल इण्ट्रोड्यूस होकर आपके सामने कंसीड्रेशन के लिए आया है । जहां तक डैम्स की बात करें, इनमें बहुत ही ह्यूज इनवेस्टमेंट होता है और बहुत ही क्रिटिकल इन्फ्रास्टक्चर्स होते हैं । मल्टीपरपज जो इरीगेशन के लिए हों, पावर जनरेशन के लिए हों, फ्लड मोडरेशन के लिए हों, ड्रिंकिंग वाटर के हों या इण्डस्ट्रीज परपज के लिए हों । अनसेफ डैम्स ह्यूमैन लाइफ को भी खतरा पहुंचाते हैं । उनमें चाहे इकोलॉजी हो, क्रॉप्स हो, हाउसेज हों, बिल्डिंग्स हों या रोड्स हों, डैम की सेफ्टी बहुत जरूरी है । यदि हम देश में पहले के टोटल डैम्स फैल्योर देखें तो 36 हुए हैं, जिसमें राजस्थान में 11 हुए हैं । मेरे खुद के लोक सभा क्षेत्र में जो जसवंत सागर डैम है, वह भी डैमेज हुआ । उससे पानी और जान-माल का नुकसान हुआ । इस बिल के आने के पहले जो अथॉरिटीज थीं, चाहे नेशनल कमेटी ऑन डैम सेफ्टी हो, सेंट्रल एण्ड स्टेट डैम ऑर्गेनाइजेशंस हों, लेकिन ये स्टेच्यूटरी बॉडीज नहीं थीं, सिर्फ एडवाइजरी थीं । अब इनको स्टेच्यूटरी शेप में पावर दी गई है और पूरा एक इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म खड़ा किया गया है। हम अगर नेशनल लेवल पर देखें तो यह टू टीयर सिस्टम है, कमेटी ऑन डैम सेफ्टी एण्ड अथॉरिटी ऑन

डैम सेफ्टी । इस बिल में इनका कॉन्स्टीट्यूशन प्रोवाइड किया गया है । इनके फंक्शन बहुत इलेबोरेट हैं, जो शैड्यूल 1 और 2 में है । इसके इस्टैब्लिशमेंट और फंक्शंस भी बहुत अच्छी तरह से दिए हुए है । जहां तक स्टेट्स की बात है, उसमें स्टेट कमेटी और उसका ऑर्गेनाइजेशन, उसका कॉन्स्टीट्यूशन, उसके फंक्शंस शैड्यूल 3 में दिए हुए हैं । इसके अलावा इण्डपेंडेंट पैनल ऑफ एक्सपर्ट जो है, वह डैम सेफ्टी इवोल्यूशन करेगा । अगर इस पूरे बिल को देखा जाए तो यह बिल अपने आप में एक एक्जोहस्टिव है । उसके साथ ही मंत्री जी ने ऑनरशिप की बात की है तो कोई स्टेट गवर्नमेंट यह समझती हो कि ऑनरशिप स्पैसिफिक डैम की नहीं रहेगी, क्योंकि इसका परपज डैम सेफ्टी के लिए यूनिफॉर्म लॉ बनाने का है, न कि ऑनरशिप को डिस्टर्ब करने का है । इस बिल में जहां तक ज्यूरिडिक्शन ऑफ डैम सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन अथॉरिटी की बात है, लेकिन जहां तक कॉस्ट की बात है, चाहे कॉस्ट ऑफ इनवेस्टीगेशन हो, लेकिन रिस्पोंसिबिटी और ऑब्लिगेशन ऑनर की रहेगी । यूनिफॉर्म लॉ बनाने की बात, मेजर्स करने की बात है, वह इस एक्ट द्वारा की गई है । क्लॉज 48 में साफ लिखा है, क्योकिं हम देखते हैं कि इसमें कई तरह के और भी लॉज हो सकते हैं तो किसी तरह का लॉ होगा, लेकिन क्लॉज 48 provide करता है कि notwithstanding anything contained in any provision of law. The provision contained in Clause 48 of this Bill have an overriding effect.

जहां तक पॉवर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट के डायरेक्शन देने की बात है, अभी श्री ए. राजा साहब ने कहा कि सेंट्रल गवर्नमेंट का डायरेक्शन जरूरी है, क्योंकि जब ये सारी की सारी सर्विलांस रिपोर्ट आएंगी और सारा का सारा इंस्पेक्शन आएगा तो सेंट्रल गवर्नमेंट को उसे यह पावर देना बहुत जरूरी है । रूल्स बनाने की पॉवर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास भी हैं, स्टेट गवर्नमेंट्स के पास भी हैं और रेग्युलेशन बनाने का पॉवर अथॉरिटीज के पास है । इसलिए यह जो बिल आया है, इस बिल के लिए मैं माननीय मंत्री जी को बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं और इस बिल को सपोर्ट करता हूं । इस बिल यूनैनेमसली पूरा हाउस पास करे, यही मेरी रिक्वेस्ट है । धन्यवाद।

HON. CHAIRPERSON : As a pleader, you have fought the case.

SUSHRI MAHUA MOITRA (KRISHNANAGAR): Thank you, hon. Chairperson, Sir. Again, I rise to oppose the Bill. Unfortunately though the Minister I hold him in very high esteem, you leave me with no option but to oppose the Bill that you brought in.

As the point ordained very succinctly put it, he said, thousands lived with love but not one without water. So, it is my job today to stand here and plead for both the share of your Government's love and an equitable share of this nation's water.

When he talked about water as a resource, water is a resource which have traditionally been governed by the legal framework of three doctrines the world over. India is no exception. The first is the doctrine of public trust. When we are talking about resources like air, seawater and forest, it says that these are of such vital importance to everybody. Let nobody can be excluded from it. So, as a result of which we can't put them in the private ownership. They are held in trusteeship by the Government. So, that is the first principle that governs anything like water.

The second principle is the doctrine of riparian rights. Again, there are two things. One is the natural flow. Do you own the land on which river flows or the waterbody flows through? Then, you naturally have the right over it. Second right is the right of reasonable use. That is, if you are an adjacent owner, do you also have right over it? Indian law

gives right to both the natural flow users and the reasonable use. So, both the people are looked after.

The third is the principle of prior appropriation, which means that as the first user, I have the right to use the water but I must use it for beneficial use and I must use it for the purpose that I have to be using it for. For example, in a water scarcity, if I am allowed water for irrigation, then, I cannot use it for washing mica. Whatever is left over, the second users may use it for appropriation. So, these are the three doctrines that govern something like water. This is the basic principle on which any kind of law which governs water.

In India, when we are talking about water, water fortunately, I would say, falls in the State List – Entry 17 of List II. I say fortunately because water is something every State wants to have control over obviously. So, it is fortunate in that way. So, water supplies, irrigation and canals, drainages and embankments, water, power are all in the State List. However, it is subject to the provisions of Entry 56 on List I, which is in the Federal List. The Union List deals with the regulation and development of Inter-State Rivers and Waterways to the extent to which regulation and development under the control of the Union declared by Parliament by law to be expedient in the public interest.

In this case, this particular Bill you brought in, is taking away the power of the State Government to manage dam safety, for dams which have even been constructed by its own resources and which don't have inter-State ramifications. In this case, the provision of Entry 56 of List I does not apply.

The basic problem with this Bill we have is that it is infringing upon the federal structure and upon the power of the States. If you want

to bring in something for safety, as a Central Government, you have a right to talk about the safety, and something which affects the safety of people. To do that in consultation, it should not be a directive. Everything that this Government does is in the nature of a *mandamus;* it is in the nature of a directive. We are saying, please consult the States. Do something which does not infringe upon the federal structure of the Constitution.

This Bill seeks to do exactly that. This Bill is completely silent on the devolution of funds from the Centre to the States to carry out the various measures for dam safety. In the last five years, for example, in West Bengal, we have spent Rs. 243 crore on dam safety which is still going on. This Bill is silent on it. You tell us that you are saving. If I look at the financial memorandum of this Bill, this tells me that you are spending Rs. 70 crore plus Rs. 33 crore plus Rs. 47 crore to set up these authorities and to set up the structure. You are completely silent on what the flow of funds is going to be to look after dam safety. So, what I understand is that we look after everything, we pay for everything, but you tell us how to do it. That does not seem very fair.

Now, if we go through this Bill chapter by chapter. The first and a few of the speakers before me have touched upon these very same points. We are talking about the National Committee on Dam Safety. You have set up a 21-member committee, you have got the chairperson and then you have ten people which are nominated by the Central Government, seven people from States who are also nominated by the Central Government and three experts who are also nominated by the Central Government. So, you have the body of twenty-one people who were essentially nominated by the Central Government. How do you have a body where you have ten members from the Centre and only

seven from the States where the dams are physically located? Even those seven members would also be rotated every three years. Every single State in which a large dam exists should have representation on this and the States should have full freedom to nominate members to the Committee. Here you are saying that I will give you only minority, I will not give you majority members but I will also let you choose who you sent and I will choose who you sent. So, basically, you can ride rough shod over everything. All the decisions that you pass will be only the Central Government decisions. There is no question of any State having any say in the National Committee. So, that is something very wrong with Chapter II, clause 5.

Then we come to the National Dam Safety Authority that you are setting up. The National Dam Safety Authority is going to be the single body that you say is going to look after the dam safety of all dams of India in which case, you are putting somebody on the rank of Additional Secretary. That is it. Is that what you think is a level of competence required for a body of this nature? That is something which is absolutely stark.

Third, you are setting up the State Committee on Dam Safety. Here, again, in chapter 4, clause 11, you are calling it by name of State Committee but you are laying out in the Bill the choice of the constitution of the State Committee. So, you are telling the State who you can put on it; who its members should be, you are spelling it out; what the timing should be, it is 180 days, you are spelling it out; and how long will it be, three years, you are putting it down. Sir, you are inviting yourself home to my house for dinner, you are telling me who I should invite and you are also telling me that I can only serve Dhokla and Chaas. You are setting the menu also. That is little unfair. If you are

setting up a State Committee, please leave it to the States to see what can be put there. Otherwise, you are infringing on the States completely. There is no question of the federal structure left anyway.

Let us look at the other provisions. The Union Government will take under its control the regulation of uniform dam safety. Again, there is no question of funding. You say you will exercise control, you will give directions but you will not take any financial responsibility. Now, this is not fair.

When we go into the State Dam Safety Organisation which is chapter 4, Section 14, West Bengal already has a State Dam Safety Organisation which was set up in the year 2006 under the Irrigation and Waterways Department. So, it performs very similar functions to what you have laid out in Sections 16 to 20 of the Bill. So, you should have a proviso here which says that if the States already have a State Dam Safety Organisation, there should be an exception for those States. It should only be for those States that do not have a State Dam Safety Organisation as of the date of the commencement of this Bill. If you already have one, are we going to put that body aside? Are you going to set up a new body to override our existing body? The Bill is again silent on that. It seems that the existing body of West Bengal is going to become defunct as of the commencement of this Bill and that you will put something on our heads.

When you read Section 41, you deal with the punishment for obstruction in duty. It is a very draconian Section. It says, “whoever obstructs any employee of the National Committee or the State Committee, which by the way you have nominated, shall be punishable by up to one year in prison”. Now, that seems a bit much. Since you

have control of everything, you can have some non-implementable directives which are given which may not be in the interest of the State. So, if a State Government official goes and says, "I do not think that this is right for that local authority to do it right now", you can send him to prison.

You have set up the National Dam Safety Authority. Subsection 3 of Section 9 says that every decision of the said authority is final and binding. So, you have given yourself supreme power. This should be supportive; this should not be directive. Please substitute 'giving directive' with 'giving advice'. Give us the right to accept it; give us the right to reject it. Make it consultative. You bring in a Bill without consulting the States. You are setting up Committees where we do not have representation, which are full of your nominees only. We understand that you care about the dam safety in the country but the States do care about the safety of the dams which are located in their territory. You cannot take away what the Constitution gives us.

Coming to the conflict of interest, this has already been touched upon by speakers previously, you have got the Chairman of the Central Water Commission as the *ex-officio* Chairperson of the National Commission on Dam Safety. So, this is a regulatory body and he is the Chairperson. But, the CWC is also involved in policy making. So, you have the same person who is making policy, who is guiding design, who is doing the financing, who is also doing the regulation. This is a basic conflict of interest.

In a world where *jiski laathi, uski bhains* works, since you have got 303 you can do anything. You can put the 303 everywhere. But, that is not the point. The point is, please do not continue to bring in pieces of

legislation that ride roughshod over the rights of the States. You are doing this with everything.

I really hold the Minister in high esteem. I really hope that for once he will rise above the directives of whoever this came from, try and see where we are coming from and withdraw this Bill and take it back to the Committee. Let us incorporate the changes that we and other Members of the opposition are bringing. We are all interested in dam safety. These are dams that are on our territory. We have to have a say about them. And we hope you would do that.

Thank you so much.

SHRI MARGANI BHARAT (RAJAHMUNDRY): Mr. Chairman, thank you for giving me this opportunity to talk on the Dam Safety Bill, 2019. On behalf of YSR Congress Party, we support the Bill.

The Bill aims to provide a robust legal and institutional framework of State and Central Governments for safety of dams. The Bill further envisages prevention and mitigation of dam-failure related disasters by way of proper surveillance, inspection, operation and maintenance of all dams in the country to ensure their safe functioning.

However, some States and Parties are opposing this Bill. I would like to remind this august House that such a Bill was previously withdrawn from Lok Sabha. The objection of some of the States was that since water comes under State List, it is a completely unconstitutional move on the part of the Centre aimed at taking control

of dams. Tamil Nadu is one of the strongest critics through the years. Karnataka, Kerala, Odisha and many more States also were critical of this. As far as my limited knowledge goes, they opposed this on the ground that it encroaches upon the sovereignty of States in managing their dams, and that this violates the principles of federalism enshrined in the Constitution. The perception of some States is that this is an attempt by the Centre to consolidate power in the guise of safety concerns. Therefore, I urge upon the Government to show magnanimity and clear this scepticism.

सर, मैं इस सदन को एक बात याद दिलाना चाहता हूँ । …(व्यवधान)

माननीय सभापति: माननीय सदस्य ने हिंदी में बोला है, थोड़ा तालियां तो बजा दीजिए ।

…(<u>व्यवधान</u>)

SHRI MARGANI BHARAT: Sir, in the year 2002, former Prime Minister Atal Bihari Vajpayee Ji dreamed of interlinking of rivers.

<u>17.00 hrs</u>

He designed a plan to overcome the shortage and the deficit of water across the country. As a part of the plan, the idea was to transfer surplus water of Himalayan rivers to the peninsular rivers across the country. Under the leadership of Atal Ji, the aim was to combine the network of nearly 60 rivers covering a distance of 15,000 kms., to make the project one of the largest ever in the world and also to integrate the massive hydro power projects that could generate thousands of megawatts of electricity. All these things were just like a dream. I hope under this Government, the project of interlinking of rivers may become a reality.

Also, I would like to mention in this august House that average rainfall in the country is about 4,000 billion cubic metres. If I am not wrong, land of two times the size of our country can be irrigated by it. I will give you a rough estimate by the irrigation experts that 1 TMC of water could irrigate 10,000 acres of land. Kindly correct me if my sources are untrue. Therefore, it is really ignominy for our Government that in spite of having abundant water resources, we are still unplanned. A large amount of water is unutilised and is drained into the sea.

Sir, I would like to tell you that in my State, in the Godavari Basin, in the year 2017, almost 3,000 TMC water got unutilised and drained into the Bay of Bengal.

HON. CHAIRPERSON : I think, you have told me this earlier. Water should also go to the sea.

SHRI MARGANI BHARAT : Sir, the pathetic situation is that there are deadly disputes between the States for a very few TMC of water. In this context, I will give you an example. In China, as we all know there is an engineering marvel, called the Three Gorges Dam. That is the largest dam in terms of power station. It almost produces 22,500 megawatts of electricity. Why can our country not have such a project? We have to learn from our neighbouring nations like, China, Japan and Korea which are developing at a huge pace.

As we are going to celebrate 75 years of Independence, we are still a developing country. In my childhood, I used to hear a slogan, called 'Our India is a developing country'. But now standing in this noble House, I am still hearing that our country is a developing country. We have to retrospect what exactly the fault is. Every Member in this hon. House has to retrospect and think what had been done all these years and

what we have to do in the coming years. As I am standing in this noble House as a Member of Parliament, I could sense in the coming future, we will move forward towards the goal of development. I think, the reforms have already started stepping towards the development. Under the leadership of Narendra Modi Ji, we hope that our country will flourish.

Therefore, I humbly submit to the hon. Minister that the Polavaram project was given national status under the Andhra Pradesh Re-organisation Act of 2014. I would like to remind this House that under the dynamic leadership of our former Chief Minister Dr. Y.S. Rajasekhar Reddy, almost 95 per cent work of the Left canal and Right canal related to Polavaram project got completed. With the financial support given by the Central Government, 70 per cent of the main headworks has also been completed. The expenditure incurred for the Polavaram project till date is Rs. 11,282 crore as a national project. But earlier, for the Right canal and Left canal, we spent more than Rs. 5000 crore. An amount of Rs. 6727 crore has been released by the Central government and still the balance amount of Rs. 4554 is yet to be reimbursed by the Central Government to the State.

As far as the resettlement and rehabilitation part of the project is concerned, there are many villages and tribals who have to be settled by the Government in a speedy process so that the work is completed within the time frame and the cost estimate will not escalate further. The Polavaram project should be considered to be a national project.

SHRI GAJENDRA SINGH SHEKHAWAT : You mean it should be declared a national project constructed by the State Government.

SHRI MARGANI BHARAT: That is why we have been requesting for the timely release of funds. As per the official data from the Jal Shakti Ministry, our country has 5264 large dams, 437 dams under construction and 293 dams aged more than 100 years. In my constituency Rajahmundry, there is the Dowleswaram barrage which was constructed by Sir Arthur Cotton in the British era and it is aged over 160 years. I would like to remind this House that nearly 1300 dams were constructed in the British era. Therefore, unsafe dams can cause hazard to human life, flora and fauna, public and private assets and environment. India has had 36 dam failures in the past. Hence, we request this Bill to be passed. We hope that under the leadership of Shri Narendra Modi, our country will have bright future and I pray the Almighty to empower Jal Shakti Minister with more shakti to complete Atalji's dream.

श्री श्रीरंग आप्पा बारणे (मावल): महोदय, आपने मुझे बांध सुरक्षा विधेयक, 2019 पर बोलने का समय दिया, इसके लिए आपका धन्यवाद । मैं अपनी पार्टी की तरफ से बांध सुरक्षा विधेयक, 2019 पर अपनी बात रख रहा हूँ और मैं इस विधेयक का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूँ ।

महोदय, देश भर के कुल 5,745 बांधों को इस बिल के माध्यम से सुरक्षित किया जाएगा । इन 5,745 में से 100 बांध ऐसे हैं, जो 100 साल पुराने हैं । इनमें से 1,140 बांध ऐसे हैं, जो 50 से 100 साल पुराने हैं । बांधों का उचित रख-रखाव न

होने से पिछले समय में बहुत सी दुर्घटनाएं हुई हैं । देश के कुल बांधों में से 670 बांध ऐसे इलाकों में हैं, जहाँ भूकम्प आने की सबसे ज्यादा संभावना है ।

महोदय, एक महीना पहले रत्नागिरी में तिवारे डैम के टूटने से 24 लोगों की मौत हुई थी, जबकि इसके कारण 60 गाँवों को भारी नुकसान हुआ था । यहाँ स्थानीय लोंगो और किसानों को भारी मात्रा में नुकसान हुआ था । महोदय, महाराष्ट्र में कई क्षेत्र ऐसे हैं, जहां छोटे बाँध बने हैं । कोंकण ऐसा क्षेत्र है, जहां सबसे ज्यादा बारिश होती है । कई सारे बाँध मिट्टी से बने हैं । जब रत्नागिरि में तिवरे बाँध टूटा था तो मीडिया में ऐसी खबर आती थी कि क्रैब्स ने बाँध की मिट्टी में छेद कर दिया, उसके कारण बाँध के टूटने की संभावना है । मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या यह बात सच है? अगर क्रैब्स की वजह से बाँध टूटते हैं तो मिट्टी से बाँध बनाते समय क्या सरकार द्वारा विशिष्ट जाली लगाने का प्रयास किया जाएगा?

महोदय, देश में छोटे-बड़े बहुत-से बाँध हैं, लेकिन आज के समय में बाँधों की सुरक्षा भी एक अहम मुद्दा है । आज देश में बाँधों के निर्माण का कार्य भी चल रहा है, लेकिन जो बाँध पुराने हैं, उनका नियमित निरीक्षण किया जाना चाहिए । ब्रिटिश काल से अपने देश में कई छोटे-बड़े बाँध बने, जिनमें बारिश की वजह से मिट्टी जमा होती रही है । मिट्टी जमा होने के कारण कई बाँधों में पानी की क्षमता कम होती जा रही है । इस मिट्टी को निकालने के लिए क्या सरकार इस बाँध सुरक्षा विधेयक द्वारा कुछ काम करेगी? उदाहरण के तौर पर मैं कहना चाहता हूं कि मेरे चुनाव क्षेत्र में पवना डैम 10 टी.एम.सी. का है और वर्ष 1972 में वह डैम बना । इसे करीब 40 साल हुए हैं । वर्ष 2015 से लेकर तीन सालों तक मैंने उस डैम में जमा हुई मिट्टी को निकाला है । कोई सरकारी मदद नहीं ली । स्थानीय किसानों और संस्था के सहयोग से मैंने करीब 125 क्यूबिक मीटर मिट्टी निकाल कर उस डैम से पानी की क्षमता को एक से डेढ़ महीने तक बढ़ाया । उस डैम से पानी पिम्परी चिंचवाड़ शहर में जाता है ।

डैम में भ्रष्टाचार के अनेक उदाहरण, खासकर महाराष्ट्र में आगे आए, जब काँग्रेस और एनसीपी की सरकार थी । उस सरकार में कई सारी ऐसी घटनाएं घटीं कि वहां भ्रष्टाचार के मामलों के सामने आने के बाद भी किसी पर कार्रवाई नहीं हुई । कुछ अधिकारियों पर कार्रवाई हुई, लेकिन काँग्रेस और एनसीपी के कार्यकाल में जो मंत्री थे, उनके ऊपर कार्रवाई नहीं हुई ।

मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं कि मेरे क्षेत्र कर्जत में कोंडाण बाँध की टेन्डर में कीमत 55 करोड़ रुपये थी । उसे बढ़ाकर 560 करोड़ रुपये कर दी गयी । उस मामले में तीन अधिकारी जेल में गए । मैं सरकार से जानना चाहता हूं कि ऐसे भ्रष्टाचार पर ज्यादा से ज्यादा सख्त कार्रवाई होनी चाहिए ।

महोदय, वर्ष 1979 में गुजरात में मोरबी बाँध भारी बारिश की वजह से टूटा, जिसका जिक्र माननीय मंत्री महोदय ने किया । उसमें करीब 15,000 लोगों की मौत हो गई थी । इसके अलावा, 6 साल पहले भारत-नेपाल की सीमा पर कोसी नदी पर बना बाँध टूटा था, जिसकी वजह से हजारों लोगों को बेघर होना पड़ा ।

महोदय, देश भर में नए डैम्स का कार्य शुरू है और कई सारे डैम्स बन चुके हैं । जैसे-जैसे आबादी बढ़ती है तो डैम के करीब बस्ती भी बड़ी होती जाती है और ज्यादा होती जाती है । आज अगर नदी की हालत देखा जाए तो उसकी हालत इसलिए खराब होती है कि ड्रेनेज का पानी नदी में जाता है और उसके आस-पास जितनी बस्तियां हैं, उनका पानी भी उसमें जाता है । आज देश भर के डैम्स का पानी आबादी बढ़ने के कारण खराब हो गया है ।

कई सारे डैम्स 40-50 साल पहले बने । जैसे कि मैं महाराष्ट्र का उदाहरण देता हूं । मेरे ही क्षेत्र में पवना डैम बना है । जब उसके लिए जमीन का अधिग्रहण किया था तो उसे केन्द्र सरकार नहीं, बल्कि राज्य सरकार करती है तो राज्य सरकार ने जमीन अधिग्रहण करते समय जमीन के बदले जमीन देने का वादा वहां के किसानों को किया था । पर, आज तक मावल के किसानों को जमीन के

बदले जमीन नहीं दी गई । डैम को बने हुए करीब 45 वर्ष हो गए, लेकिन किसान आज भी अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं ।

महोदय, वर्ष 2010 में भी ऐसे ही विधेयक के अलग-अलग संस्करण संसद में पेश किए गए थे जबकि राज्यों के द्वारा इसका विरोध होने से कोई भी संस्करण पास नहीं हो पाया है । केन्द्रीय जल आयोग ने वर्ष 1980 में अपनी सिफारिश दी थी, उसके अनुसार बांधों की सुरक्षा के लिए इस बिल को लाया जाना जरूरी है । सरकार को इस बात का भी ध्यान रखना होगा कि इस बिल के पास होने के बाद राज्यों के अधिकारों का हनन न हो सके ।

सभापति महोदय, आज देश भर में बहुत सारे बांधों का निर्माण हो रहा है । इन बांधों का निर्माण करते समय उनके रख-रखाव की जो क्षमता होती है, उसको भी ध्यान में रखना चाहिए । कई सारे बांध लीकेज हो जाते हैं । उनका ठीक ढंग से रख-रखाव नहीं होने के कारण हर साल बांधों से ज्यादा पानी लीकेज हो जाता है और उससे बांध असुरक्षित हो जाते हैं । हमें इस पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है ।

सभापति महोदय, मैं इस बिल का समर्थन करता हूं और अपनी बात सदन में रखता हूं । धन्यवाद ।

श्री रामप्रीत मंडल (झंझारपुर): सभापति महोदय, आपने मुझे बांध सुरक्षा विधेयक, 2019 पर बोलने तथा सदन की चर्चा में भाग लेने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं ।

महोदय, यह बहुत ही महत्वपूर्ण बिल है । इसका प्रभाव सिंचाई, विद्युत उत्पादन, बाढ़ नियंत्रण, पीने के पानी, उद्योगों एवं भूजल संचयन आदि बहुद्देशीय

उपयोगों में होता है । अत: जनसाधारण के लिए बांध सुरक्षा एक मुख्य चिंता का विषय है । इसको सुनिश्चित करना सरकार की जिम्मेदारी है ।

महोदय, यह तीसरा मौका है कि यह बिल लोक सभा में पेश हुआ है । इससे पहले 30 अगस्त, 2010 और दूसरी बार वर्ष 2018 में पेश किया गया था, किन्तु लोक सभा के अवसान के कारण यह बिल पास नहीं हुआ । इस बिल पर स्टैंडिंग कमेटी में गहन विचार-विमर्श हो चुका है । अब पुन: इस बिल को पेश किया गया है और चर्चा भी चल रही है ।

महोदय, कई राज्य पहले से ही बांधों की सुरक्षा अधिनियम लागू कर चुके हैं । बिहार पहला राज्य है, जो वर्ष 2006 में ही अधिनियम लागू कर चुका है । आंध्र प्रदेश, केरल, पश्चिम बंगाल भी अपने-अपने राज्यों में बांध सुरक्षा अधिनियम पर एक समान केन्द्रीय कानून के पक्ष में अपने मत दे चुके हैं ।

महोदय, इस कानून के द्वारा 15 मीटर से अधिक की ऊँचाई और 10-15 मीटर की ऊँचाई वाले सभी बांधों को शामिल किया गया है । इस कानून के तहत राष्ट्रीय बांध सुरक्षा समिति का गठन, राष्ट्रीय बांध सुरक्षा अथॉरिटी का गठन, राज्य बांध सुरक्षा समिति का गठन और राज्य बांध सुरक्षा संगठन के गठन करने का प्रावधान है । सभी के द्वारा अपने-अपने दायित्व और कर्तव्य का निर्धारण किया जा रहा है । पूर्णरूपेण एकाउंटबिलिटी सुनिश्चित की जा रही है । समय-समय पर सुरक्षा और निरीक्षण के आँकड़े तैयार करने की व्यवस्था होगी । आपात स्थिति में कार्य योजना का प्रारूप पहले से तैयार करने की व्यवस्था होगी । सभी बांधों की वार्षिक रिपोर्ट तैयार की जाएगी । केन्द्र के पास सभी मुख्य शक्तियां प्रदत्त होगी, किन्तु राज्यों को भी अपने नियम बनाने की शक्ति उपलब्ध होगी ।

-

-

17.18 hrs (Shrimati Meenakashi Lekhi *in the Chair*)

महोदया , देश में करीब 5,344 बडे बांध हैं, जिनमें से करीब 293 बांधों की आयु 100 वर्ष या उससे अधिक है । 1,041 बांधों की आयु 50-100 वर्षों की है । करीब 40 बांध जर्जर स्थिति में आ चुके हैं । किसी भी समय बहुत बड़ी दुर्घटना होने की संभावना है । वैसे भी पहले करीब 36 बांधों पर दुर्घटनाएं हो चुकी हैं । केन्द्र और राज्य सरकारों ने पिछले 50 वर्षों में बांधों के रख-रखाव और सुरक्षा पर इतना पैसा खर्च कर चुके हैं कि वह खर्च के हिसाब से अमेरिका और चीन के बाद तीसरे नंबर पर आता है ।

महोदया, मैं बिहार से आता हूं । बिहार में, विशेषकर उत्तर बिहार में नदियों का जाल है । वहां बांधों का समुचित रख-रखाव नहीं होने के कारण प्रतिवर्ष हजारों लोगों की जान चली जाती है । बाढ़ से लाखों-करोड़ों रुपये के जान-माल की क्षति हो रही है । बिहार में करीब 24 बांध हैं, जो करीब 15 मीटर से अधिक ऊँचाई के हैं । अभी दो बांध निर्माणधीन हैं । इन सभी बांधों से मुख्यत: सिंचाई का काम होता है । किसानों की जीविका इन्हीं बांधों पर निर्भर है । इसके अलावा, बिहार में दो बहुत बड़े बैराज हैं । एक इन्द्रापुरी है, जो वर्ष 1873-74 में तैयार हुआ था । यह रोहतास जिले में सोन नदी पर बना है, जो करीब 1,407 मीटर लंबा है । इससे मुख्यत: सिंचाई का काम होता है । आसपास के कई जिलों एवं झारखंड के दो जिलों में इसी परियोजना से सिंचाई के लिए पानी सप्लाई किया जाता है । अभी इस बांध की स्थिति भी जर्जर हो रही है । दूसरा बैराज, बिहार-नेपाल की सीमा पर कोसी नदी पर बना है, जो सहरसा जिले में है । यह बिहार के लोगों के लिए एक विनाशकारी बांध कहलाता है । इसका निर्माण स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद वर्ष 1950 में इस उद्देश्य के लिए किया गया था कि बरसात के समय नेपाल से आने वाले अधिक पानी को रोका जाए एवं बिहार को बाढ़ के संकट से बचाया जाए । अभी तक का अनुभव है कि यह हमेशा बिहार के लोगों की त्रासदी का मुख्य कारण बना है ।

महोदया, पूरा विश्व 2008 की कोसी बांध की त्रासदी को याद कर सिहर उठता है । यह घटना आधी रात को हुई थी । कोसी का बैराज कुशहा में टूटा था

और बिहार के करीब 5 जिलों को पूर्णरूपेण बर्बाद कर दिया था । इसमें हजारों लोग मारे गए, लाखों-करोड़ों की जानमाल की क्षति हुई। आज भी लोग उस पीड़ा को झेल रहे हैं । बिहार सरकार ने इस त्रासदी में अपने अथक प्रयास से लोगों की पूरी मदद पहुंचाने का काम किया तथा भारत सरकार ने भी मदद की ।

उत्तर बिहार पूरी तरह नेपाल सीमा से लगता है । यहां प्राय: सभी नदियां नेपाल की ओर से प्रवाहित हो रही हैं । अत: बरसात के समय नेपाल में अधिक वर्षा होने से पानी का दबाव इन नदियों द्वारा बिहार के करीब 12-14 जिलों पर पड़ता है । बांध के रख-रखाव में देरी और समुचित संसाधन समय पर उपलब्ध नहीं होने के कारण वह सुरक्षित नहीं रहता है । गंगा फ्लड कंट्रोल कमीशन में भी देरी होती है । कार्य योजना समय पर तैयार नहीं हो पाती है । ये सभी मुख्य कारण हैं । नए कानून बनने से इनमें सुधार होने की पूरी आशा है ।

महोदया, बिहार में वर्षा अधिक हो या न हो, किन्तु बाढ़ आती ही है । इसका मुख्य कारण है कि कभी उत्तर प्रदेश, कभी मध्य प्रदेश, तो कभी झारखण्ड से अधिक पानी आ जाता है । साथ ही नेपाल की नदियों द्वारा पानी का बहाव बिहार को उठाना पड़ाता है । ऐसी परिस्थितियों में बिहार में बाढ़ आना हर वर्ष रोजमर्रा की बात हो चुकी है । क्या केन्द्र सरकार बिहार को अपने हालात पर छोड़ देगी या बाढ़ की समस्या से निजात पाने के लिए कोई स्थाई निदान करेगी?

महोदया , माननीय मंत्री यहाँ बैठे हैं । मैं उनसे आग्रह करूँगा कि नेपाल के साथ केन्द्र सरकार पानी के लिए अन्तर्राष्ट्रीय नीति के अनुसार समझौता करे । बिहार-नेपाल सीमा पर हाई-डैम बनाया जाए । इससे पानी को रोका जा सकता है । इससे बिहार के साथ-साथ नेपाल के तराई वाले इलाके को भी फायदा होगा, बिजली का उत्पादन भी होगा । इससे बिजली के साथ-साथ राजस्व भी प्राप्त होगा ।

महोदया, मैं अपनी पीड़ा आपको बताना चाहता हूँ । इस वर्ष हम लोग बाढ़ और सुखाड़ से पीड़ित हैं । उत्तरी बिहार के करीब 14 जिले भयंकर बाढ़ की

चपेट में हैं । अब तक करीब 150 लोगों की जानें जा चुकी हैं । एनडीआरएफ की 19 टीमें सहायता कार्य में लगी हुई हैं । 152 रिलीफ कैम्प्स स्थापित किए गए हैं, जिनमें करीब 67 हजार लोगों को सुरक्षित रखा गया है । गृह राज्य मंत्री जी को सारी असुविधा से हमने अवगत करा दिया है । वहां 350 कम्युनिटी किचन स्थापित किए गए हैं । हमारे नेता एवं माननीय मुख्य मंत्री श्री नीतीश कुमार जी दिन-रात बाढ़ पर निगरानी रखे हुए हैं । उन्हें हरसंभव राहत पहुँचाई जा रही है ।

दक्षिण बिहार के औरंगाबाद, सासाराम, जहानाबाद, नालंदा, अरवल, नवादा एवं शेखपुरा जिलों में औसत से 36 प्रतिशत बारिश कम होने के कारण सुखाड़ की स्थिति है । माननीय मंत्री जी यहाँ सदन में बैठे हैं । जब वे जवाब देंगे तो बिहार की पीड़ा एवं उसके लिए केन्द्र सरकार द्वारा बाढ़ और सुखाड़ का सर्वे कराकर इससे निजात कैसे मिलेगी, उसके बारे में बताने की कृपा करेंगे । साथ ही नेपाल सरकार से भारत सरकार बातचीत कर हाई-डैम बनाने की दिशा में जो प्रयास कर रही है, इसकी भी जानकारी देश की जनता को देंगे ।

मैं अपनी पार्टी जेडीयू की ओर से इस बिल का समर्थन करता हूँ । धन्यवाद ।

***SHRI SUNIL DATTATRAY TATKARE (RAIGAD):** Thank you Hon. Madam Chairperson for giving me an opportunity to speak on this important bill. I would like to thank Jal Shakti Ministry for bringing two revolutionary bills which can change the water resources scenario in India. I feel proud that I was a Minister in this Ministry in Maharashtra Cabinet with the blessings of Hon. Sharad Pawar ji. I have a good knowledge of this issue and hence I feel very comfortable to speak on

this issue. Maharashtra has always guided this country. Panchayati Raj System was introduced by late Yashwant Rao Chavanji in Maharashtra for the first time. After that Panchayat committees, Zilla Parishad, District committees and Planning committees were also introduced by Yashwant Rao Chavanji. Hon. Chairperson, around 5250 projects are there throughout the country and around 250 important projects are in Maharashtra. While inaugurating Ujni Dam project in Pandharpur, Hon. Chavanji had apologized 'Vithal' for stopping the water of Chandrabhaga River and today this project is providing water for drinking and irrigation purposes to the entire area. He had set up the first Central Design Organization (CDO) in this country 60 years ago at Nashik, Maharashtra. Likewise, when Hon. Sharad Pawar ji was Chief Minister of Maharashtra, during 1985-90, Dam Safety Organization (DSO) was constituted 30 years ago. Today we are only taking his work and vision forward. This is a welcome step and I must congratulate you. But, I find some shortcomings in this Bill. One Telangana MP yesterday talked about lift irrigation facility being provided to 45,000 lac hectres of land. That water is being provided by Maharashtra through Godavari River Ravine and this decision was taken during our regime. Maharashtra Water Resources Regulatory Authority (MWRRA) was the first of its kind of authority in India. You are a newly elected Government and if you replicate this throughout the country, it would be a great help to solve the water crisis. I would like to mention one more thing here. You have covered all the major dams under this legislation and you have missed out minor and medium dams.

I would like to request you to include medium and minor projects too. I have one more request to make. Many major dams in our country were constructed 50 to 100 years ago. All the dams have accumulated

silt and hence their storage capacity has been reduced to 60% only. So, desilting work should be carried out in all the major and old dams so that their storage capacity could be enhanced to the maximum level. It would help to realize your dream of providing 'Har Ghar Jal'. But no provision of funding has been made in this Bill. So arrangement of a Corpus Fund should be there. Maharashtra has set an example in this regard. After establishing DSO, Maharashtra Government earmarked 10% of its annual budget for this department only for this purpose. If you replicate this at the Central level, it would be bring about more success. The data regarding safety and security of the dams should be made public annually and there is no mention in the Bill in this regard. Hon. Atal Behari Vajpayeeji was the Prime Minister when severe earth quake hit the State of Gujarat. Vajpayeeji appointed Shri Sharad Pawar ji to be in the Committee on Disaster Management. The reason behind this was the expertise and experience of Pawar ji. He had rehabilitated the victims of Latur earthquake in Maharashtra very quickly and efficiently. At last, we should also be ready for any mishap or calamities. I would like to reiterate that sufficient amount of fund should be allocated for desilting work to increase the storage capacity of these dams. You have brought a revolutionary Bill and I would like to congratulate you. I hope that the water crisis would be resolved in the near future and water disputes would be settled. Thank you. Jai Hind, Jai Maharashtra

SHRI BHARTRUHARI MAHTAB (CUTTACK): Madam Chairperson, I thank you for giving me this opportunity to speak.

Human civilisation has flourished by utilising natural resources like water. Throughout the world, human habitations have tried to utilise and modulate water for their own use. As the Member from the YSRCP was speaking, very recently he had told me – I was just prompting to say this - that we need fresh water to flow into the sea. Unless fresh water flows into the sea, we will not have clouds and if we do not have clouds, we will not have fresh water in the land. But what is happening during these modern days? We have to tame the rivers. We are not allowing water to flow into the sea. If that happens at some point of time, it will create further disaster. That is the reason why in the Bay of Bengal, we have so much of low pressure, and low pressure brings rain into the sea. We do not have this type of rain in the Arabian Peninsula because no river flows into the sea. There is very little fresh water that goes into the Arabian Sea. We can see this on both sides of our peninsular India.

I will come to the Bill first but before coming to that, I would just mention that I had mentioned last time in 2018 when this Bill was first introduced that there are a lot of incongruities in this Bill. I would not compare this Bill with the Bill that was introduced in 2010. This has been a rather progressive Bill and a lot of steps have been taken to make it good for the country. But dam failure has been a major concern. It has affected a large population in our country. It all started perhaps much earlier, I would say, in 2001 when the first effort was made that there has to be a cohesive attempt to see how our dams are functioning. During that time, an issue was also raised about the owner of the dams and who

is responsible for their maintenance. Does the Union Government have any power to oversee the functioning and maintenance of these dams? And what would be the role of the State Governments? In their wisdom, at that time, it was first contemplated to take all the States into confidence and let them act as per the constitutional provisions of article 246.

That was mentioned by our learned *Adhivakta* Shri P.P. Chaudhary, who said 'let first two States request the Union Government or let the two State Assemblies pass Resolutions in their Assemblies requesting the Union Government; or respective States can also prepare their own dam safety provisions.'

DR. NISHIKANT DUBEY (GODDA): It is Article 252.

SHRI BHARTRUHARI MAHTAB : Okay, it is Article 252. कंस्टिट्यूशन की धारा बहुत कंफ्यूजिंग है ।

Article 252 is on 'Power of Power of Parliament to legislate for two or more States by consent and adoption of such legislation by any other State.' इस हिसाब से बिहार राज्य ने अपने लिए डैम सेफ्टी एक्ट बना लिए ।

The State of West Bengal and another State had passed a Resolution that the Union Government can do it. But all these were relating to the Bill of 2010; and that Bill is not before us today. Before us today is the Bill of 2019, which is a corollary of the Bill of 2018. Here, I would say one thing that still matters is Article 256, which has been repeatedly stated by the hon. Minister. It has to be in public interest. And, to be in public interest, it has to have a Resolution passed in this House.

I would say, the Dam Safety Bill, 2019, which is before us today, is a much improved version of the Bill of 2010 that was referred to the

Parliamentary Standing Committee. However, a number of States have expressed their apprehension about the Bill. An apprehension is there that the Union may take control over all the dams. This Dam Safety Bill, 2019 has been brought under Entry 56, and not under Article 249 or Article 250 of the Constitution as was contemplated earlier.

What does Entry 56 say? Entry 56 says:

> "Regulation and development of inter-State rivers and river valleys to the extent to which such regulation and development under the control of the Union is declared by Parliament by law to be expedient in public interest."

So, to describe it in public interest, should we believe now that if a disaster happens somewhere, the Union Government will appropriate the power unto itself?

The idea of the federal character of our Constitution was: 'You empower the States and they will take all the responsibilities; and it is not that you empower the Union and the Union will take all the responsibilities.' Even today, in the Constitution it is stated: "Union of States". It is a Union of States. Therefore, I felt very happy. On the other Bill, which was being piloted by the present Jal Shakti Minister, I asked as to why he repeatedly mentioned 'Centre, Centre'. The Centre is something which is acquiring all the powers. If it is a Union, you have a camaraderie of all the States.

डॉ. निशिकांत दुबे : मंत्री जी ने इसे मान लिया है ।

श्री भर्तृहरि महताब : उन्होंने मान लिया, इसलिए मैं इन्हें शाबासी दे रहा हूं । यहां क्या हो रहा है?

Through this Bill, you are acquiring the power. You want to give certain things, even advice from the top. It is not a top down mechanism, which can function in respect of dam safety. The States should be empowered so that they will take care of themselves because these dams have been erected by the States themselves from their funds. There are very rare instances where the Union Government has invested in construction of the dams.

Madam, however, for use of this Entry for passage of DSB, 2019, Parliament will also need to declare that dam safety is expedient in public interest. Even if Parliament were to declare that, about eight per cent territory of the country, which is not part of the Inter-State river basins, would remain outside the purview of the Dam Safety Bill, 2019. Yet the Dam Safety Bill, 2019 says that it covers all the specified dams, meaning all large dams of the country.

That specification has already been mentioned by our hon. Member from JD(U). This Bill is certainly an improvement from DSB, 2010 by inclusion of, and I quote, "Failure related disasters". This was not there in 2010. There are many things not just a structural failure in the definition of dam's failure and dam incident. Yet, I would say, there is still no inclusion of compensation to the victims of dam failures or dam incidents which was a key recommendation of the Parliamentary Standing Committee of 15th Lok Sabha in 2011.

The Dam Safety Bill, 2019, continues to suffer from a number of lacunae. Here, I would like to mention that it is not that 'bad' is the

greatest enemy of 'good'. It is always 'better' which is the greater enemy of 'good'. But do not think that, when the Opposition is recommending something or suggesting certain things, they do not want this to be done. They want a better Bill or a better Act. For example, the whole dam safety mechanism is dominated by the Central Water Commission with Chairperson of CWC being the Chairman of National Committee on Dam Safety, a representative of CWC being member of each State Committee on Dam Safety. The CWC is also involved in policymaking about dams, in their approval, guiding designs, financing, monitoring, approving seismic parameters, flood forecasting and so on and so forth. Dam Safety is essentially a regulatory function and thus CWC has clear conflict of interest in being involved in the dam safety mechanism. The CWC also has had very poor track record in dam safety and the Kerala episode is the latest instance.

The second point is that the dam safety mechanism has to essentially work in public interest and the people at risk are the biggest stakeholders, not only the State Governments. Unfortunately, the Bill does not even define who are the stakeholders of dam safety, though the term stakeholder is used in the Dam Safety Bill, 2019, in ensuring safe design, planning, construction, operation and maintenance of dams. This implies that all the information about dam safety should be promptly placed in the public domain and the Bill itself should mandate this. This is lacking.

The Bill requires appointment of up to three, out of a total of 21 members, specialists in the field of dam safety and allied fields, nominated by the Union and State Governments respectively as members of NCDS and SCDS. But there is no mention of these persons

having an independent track record, nor is there any mechanism mentioned as to how they will be selected.

The language of several sections, for example, in Chapter VI of the Dam Safety Bill, 2019, suggests that State Dam Safety Organisation is subservient to the National Dam Safety Authority. It is no wonder that the States regard the DSB, 2019 with suspicion. India has, according to the latest version of the National Register of large dams, 5,701 large dams including 447 under construction and 5,254 completed projects. For 194 of these projects Central Water Commission does not even know the year of construction! Out of the rest 5,060 completed large dams, over 87 per cent are more than 20 years old and about 370 are over 70 years old. Moreover, even newer dams are known to suffer both structural and operational failures. Does this Bill create a credible statutory dam safety mechanism? Here, I would like to just mention that one of our Members mentioned about the Seventh Schedule. I do not know whether the Minister will subscribe to what his colleagues mentioned from Rajasthan. The Seventh Schedule, List I–Union List says: "97. Any other matter not enumerated in List II or List III including any tax not mentioned in either of those Lists."

I am not a lawyer by profession. Neither have I studied in any law college. But, as far as I understand, this is something which does not give total power to the Union Government to make law. It deals specifically and only with taxation.

I am not going through whatever provisions are there, but, before I conclude, I should also mention that dam safety is a primary concern of this country. To protect life and property of the people of our country, there is a need, but it has to be a regulatory mechanism. That regulatory

mechanism cannot be a top-down approach. Empower the States; they should do it. If you feel that they do not have requisite expertise, then that type of support can be provided. But once you have such a top-down mechanism, it will not help in the long run.

Thank you, Madam.

SHRI KOTHA PRABHAKAR REDDY (MEDAK): Thank you, Madam, for giving me an opportunity to speak. As the House is aware, there are about 5300 large dams in India, out of which around 293 are more than 100 years old and 1041 are 50 to 100 years old. Nearly 92 per cent of these dams are on inter-State rivers.

Dams play a key role in fostering rapid and sustained agricultural growth and development and they are vital for ensuring water security of the country. As we all are aware, a badly maintained, unsafe dam can be a hazard to human life, flora and fauna, public and private assets and the environment.

I am happy to say that over the last fifty years, India has invested substantially in dams and related infrastructure. India ranks third after USA and China in the number of large dams but there needs be to done much more in future. International bidders may be invited to generate more power, including solar and hydel, and also to maintain the latest technology like that of China to meet future demands.

More than 4000 large dams will reach the minimum age of 50 by 2050 preparing the ground for a future water crisis. Large dams are

acknowledged for their contribution in providing water security directly, and food and energy security indirectly.

Meanwhile, rapid growth in demand for water due to population growth, increasing urbanisation, changing lifestyle and consumption patterns, inefficient use of water and climate change pose serious challenges to water security. The visible challenges such as rising population, change in consumption patterns, urbanisation, increase in demand for water for agriculture, industries and energy, and the phenomenon of climate change have to be tackled immediately.

Some dams have lost 25 per cent of their live storage capacity. Due to siltation, the irrigation activities in the command area have severely been disrupted and this impact has a cascading effect on food security and the socio-economic status of the farmers.

Now, I come to the issue regarding my State, Telangana. 'Water' comes under the State List; hence the interests of the Telangana State must be protected at any cost and they should not be disturbed.

In Telangana, dams like Nagarjunasagar are conflict-ridden in sharing of water between Andhra Pradesh and Telangana since decades. As many as 14 dams in Telangana State require urgent repairs.

In September 2017, our Telangana State had sent proposals to the Central Water Commission seeking Rs. 645 crore for rejuvenation of 29 old dams. The said proposals were forwarded to the World Bank for funding. But the funds are still awaited. In this regard, I also request the Government to accord national status to water projects in Telangana like Kaleswaram and Palamuru Ranga Reddy which is the dream of our hon. Chief Minister of Telangana State, Shri K. Chandrasekhara Rao.

Sir, additional grants may be sanctioned for irrigation purpose for reservoirs upto 20 tmc of water.

States may be empowered with full powers to undertake their maintenance, protection and everything concerning this subject linking with the Central Government.

Krishna and Godavari rivers have hundreds of small dams and reservoirs which are the lifeline of our Telangana State people in their day-to-day life, and they need to be protected on top priority.

With these few words, I would like to conclude my speech.

Thank You Madam.

ADV. DEAN KURIAKOSE (IDUKKI): I am supporting this Bill. I have come from that place where more than nine dams are there including Idukki arch dam and Mullaperiyar dam. While introducing this Bill, our hon. Minister has stated that the serious discussion on dam safety has started with the Mullaperiyar dam's controversy. I am not going into the merits and demerits of the Mullaperiyar case and on its judgements also. But I have to express the serious feelings of our own people with regard to the fear and threat from the Mullaperiyar dam.

Sir, every man-made structure has its own lifespan. Let it be the Parliament building or the India Gate. Similar is the case of dams. There are serious and important study reports that came out with regard to the Mullaperiyar dam. The dam is situated at an earthquake zone. The IIT report has stated this. The Central Water Commission's Report, 1979

pointed out that the dam is in a dangerous condition and recommended that it should have been decommissioned decades before.

Our hon. Supreme Court directed as to reduce the water level at the time of recent floods because of the apprehensions over its capacity and safety of the dam. We are living under the scare because if anything happens to this dam, then we can say Kerala will be divided into two parts. It is not only affecting my own district but also my surrounding districts. Lakhs and lakhs of people will be victims. Kerala will be divided into two parts.

I am supporting this Bill to any extent for the safety of dams. The study reports states that all the old and aged dams should be decommissioned.

I am coming to this Bill. There are so many concerns expressed from different parts of the country with regard to the legislative competency of the Parliament to enact this Bill and its impacts on rights and authorities of States on their dam management. The concerns are already expressed by the hon. Members.

Moreover, the Central Government may misuse the super powers after the enactment of this Bill. The political pressure may come from the Central Government to each and every State relating to the dam safety issues.

As per Clause 5(1)(c), the Central Government can nominate its representatives to the different Committees of the State Government. It is a clear-cut encroachment on the principle of federalism. We all know, there are three Schedules, namely Schedule I, Schedule II and Schedule III. The powers and functions of each Committee have been given there.

Those powers and functions may be amended by a Notification by the Central Government. That means, vesting the power with the Executive, Government, to amend the Act is very strange and it is against the settled principles of law.

At the same time, the Preamble of this Bill states that it is for preventing the dam failure disasters. It is not for the system management after the dam failure. It is for preventing the dam failure disasters. If this is the real intention of the Government, then there must be a comprehensive study and assessment of those dams which are vulnerable to such disasters. …(*Interruptions*)

I am concluding. I will take only two minutes.

Clause (6) of this Bill talks about the function of the National Committee on Dam Safety. Its function is given under the Schedule I. I am suggesting that the First Schedule must include an entry regarding the study of the present conditions, structural details and expected lifespan of those dams which have already crossed 100 years of age. The dams, which have crossed 100 years, must be categorised separately and there must be a separate provision for such dams. It has to be de-commissioned by a recommendation in real time.

The National Dam Safety Committee must be conferred with the power to determine the maximum water level in each dam, according to its capacity. The capacity of the dam must be assessed on the basis of its age and other relevant factors. All the stakeholders should be heard in the process of determining the water level.

I am coming to the conclusion. I do appreciate the Central legislation. But at the same time, I would say that more deliberation with

the stakeholders and States is required before the enactment of this Bill. I am supporting this Bill in the context of dam safety. Thank you very much.

HON. CHAIRPERSON : Now, it is six o' clock. If everyone agrees, the time of the House may be extended till both the Bills listed against Item No.4 & 5, are passed.

SEVERAL MEMBERS: Yes.

HON. CHAIRPERSON: So, the time of the House is extended.

4

SHRI TAPIR GAO (ARUNACHAL EAST): Hon. Chairperson, I stand here to support the Dam Safety Bill, 2019. मैं इस तरफ से भी सुनता आ रहा हूं और उस तरफ से भी सुनता आ रहा हूं । I have gone through this Bill. फिर भी हमारे राइट साइड के साथी कहते हैं कि it is a kind of challenge to the federal structure. और इसका मिसयूज करेंगे । मैं माननीय सदन को बताना चाहता हूं कि this NDA Government is headed by hon. Prime Minister, Narendra Modi Ji, the man who can do no wrong.इसलिए मैं इस बिल के समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं । मैं जल शक्ति मंत्रालय को देखता हूं, तो मुझे लगता है कि इस मंत्रालय में शक्ति जरूर है । Wisdom of *shakti* and wisdom of safety has been limited to the structural safety. इसमें हमने केवल स्ट्रक्चलर सेफ्टी पर ही ज्यादा ध्यान दिया

है । According to me, it is right that we should further widen the scope. I come from Arunachal Pradesh. Sometimes, we used to call it a powerhouse of future India.

18.00 hrs

सीडब्ल्यूसी ने एस्टिमेट किया है कि अरुणाचल प्रदेश में 55 हज़ार मेगावॉट हाइड्रो पावर इस्टैब्लिश की जा सकती है । इस कंट्री की रिक्वायरमेंट 1.43 हज़ार मेगावॉट की है, जिसमें से हम इंडिया में केवल 58 हज़ार मेगावॉट ही हार्नेस कर पाए हैं ।

अत: ऑनरेबल चेयरपर्सन मैडम, मैं यह चाहता हूं कि हम इस स्कोप को और आगे बढ़ाएं ।

I will not go through all the clauses of the Bill because they have been thoroughly defined. There is no question of federal disturbance with the States. The authority has been established at the Centre as well as in the States. Clear and detailed guidelines have been set up. So, there is no scope of mismanagement and misuse of this Bill in future.

मैं जलशक्ति मंत्रालय से आज यही कहना चाहूंगा कि हमारे नॉर्थ-ईस्ट, पूवोत्तर के राज्य एक एप्रिहेंशन की स्टेट में हैं । We have got a stretch ranging from Sikkim to Arunachal Pradesh to Nagaland. हम एप्रिहेंशन में इसलिए हैं, क्योंकि अगर डैम बनेगा तो वह एक दिन टूटेगा और अगर एक दिन जब वह टूटेगा तो उससे माल और ह्यूमन्स डिवास्टेट हो जाएंगे । हम इस एप्रिहेंशन में हैं । मैं आज शेखावत साहब को धन्यवाद दूंगा कि वे आज यह डैम सेफ्टी बिल, 2019 लेकर आए हैं । इससे हमारे पूर्वोत्तर के राज्यों में और बाकी प्रदेशों में भी यह शक्ति ज़रूर आएगी कि इस डैम में फ्यूचर है । इससे एक क्लीन पावर

जनरेट हो सकेगी, जिससे एनवायर्नमेंट क्लीनलिनेस आएगी । इसकी कॉस्ट सस्ती है, लेकिन मैं बताता हूं कि हम आज डैम के बारे में एप्रिहेंशन में क्यों हैं ।

My colleague, Mr. Bordoloi from Assam is sitting here. He is from Congress. He was the Power Minister in Assam and he knows everything about Northeastern region. Arunachal Pradesh has five major tributary basins at mighty Brahmaputra river. We have got international river basins with China and Tibet. We have river basins with Bangladesh also. There are inter-State river basins with Assam and Bhutan also. The Central Water Commission has given clearance for construction of a multi-purpose project in Dibang Valley with a capacity of 2880 megawatt. In my native area Siang, a project with 1700-megawatt capacity has been approved. In Subansiri, a 2000-megawatt capacity project in Luhit has also been sanctioned.

There is an apprehension in the minds of the people of Assam and Arunachal Pradesh. The apprehension is about construction of dam and its safety. I want to know from the hon. Minister how do we continence the people of Assam and Arunachal Pradesh about the safety measures. Though the Minister assures that they will ensure the safety of dam, dam safety is not in its structure only. We have to take care of the upstream and downstream drains as well as of landmass and humans around it. That is the main issue there. Whenever the Government of India starts construction of a dam, the people of Assam have this apprehension and think that it should not be constructed.

चेयरपर्सन मैडम, मैं आपके माध्यम से ऑनरेबल मिनिस्टर से कहना चाहता हूं कि ऐसे कई एनजीओज़ हैं, जिनमें लाल एनजीओ भी हैं, ग्रीन एनजीओ भी हैं, जिनको यह हाउस समझ जाएगा । They are confusing the society. So, we need to remove this apprehension from the minds of the people and

enlighten them about the usefulness of dams at the river basins of Arunachal Pradesh.

आज सारी नदियां अरुणाचल प्रदेश से फ्री फ्लो से ब्रह्मपुत्र में जाती हैं । हर साल ब्रह्मपुत्र में ह्यूमैन लॉस, ऐनीमल लॉस, लैण्ड लॉस, सब कुछ लॉस होता है । हम गवर्नमेंट ऑफ इण्डिया से कितना कम्पेनसेशन मांगेंगे । यह हर साल होता है, इसलिए मैं जल शक्ति मंत्रालय से कहना चाहूंगा कि यह विषय केवल जल शक्ति मंत्रालय का नहीं है, यह पावर मिनिस्ट्री का भी है, यह फॉरेस्ट एन्वायरमेंट मिनिस्ट्री का भी है । ये तीन डिपार्टमेंट एकजुट होकर आएंगे, then, I can proudly say in this House that 55,000 MW power generation is estimated by the CWC, but Arunachal Pradesh can generate more than 55,000 MW power, which is the need of the hour for our country, mother India. इसलिए मैं यह जल शक्ति मंत्रालय से कहना चाहूंगा, क्योंकि हाइड्रो-पावर की परमिशन मिलती है, एन्वायरमेंट मिनिस्ट्री का क्लीयरेंस नहीं है, फारेस्ट मिनिस्ट्री के ऑब्जेक्शंस हैं । So, I would like to see a unified government machinery to establish good kind of strong mega dams in Arunachal Pradesh so that we can regulate water flow to Assam and Bangladesh.

Madam, I belong to the Adi tribe, one of the major tribes of Arunachal Pradesh. The Brahmaputra passes through my home-town where it is called the Siang. The Council of Adis has agreed to construct the stage III of Siang Dam on River Brahmaputra inside Arunachal Pradesh, लेकिन आज यह नहीं हो पा रहा है । इसमें बहुत इंटरेस्टिंग इश्यूज भी हैं और मैं जल शक्ति मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि our PSUs are doing all these things. They are filing cases against the State Government for construction of mega dams in Dibang Valley of Arunachal Pradesh. दिबांग वैली नाम से एक बहुत बड़ा डैम 2880 मेगावाट का है । एन.एच.पी.सी. इस इश्यू को लेकर कोर्ट में चली गयी । नेगोशिएट होकर पब्लिक का विश्वास

लेकर यह एक पावर जनरेशन हुआ था । It is a multi-purpose dam through which we can have irrigation facility, drinking water and water reservoirs in future in Arunachal Pradesh.

Whatever floods occur in Assam – I hope, Shri Bordoloi will join me - we can control them by controlling the flow of water in reservoir and regulating the release of water as per the need and necessities of the river flow. हम इससे फ्यूचर में बना सकते हैं । मैं जल शक्ति मंत्रालय से यही कहूंगा कि केवल आप सेफ्टी में मत जाइए, डाउन स्ट्रीम में भी जाइए । आप पूर्वोत्तर राज्यों को डेवलप कीजिए so that power can be developed, as per the necessity of the future, in the North-Eastern States of this country.

मैं ज्यादा नहीं कहूंगा, यही कहते हुए इस बिल का समर्थन करता हूं । Thank you.

* **DR. THOL THIRUMAAVALAVAN (CHIDAMBARAM):** Hon. Madam Chairperson, Vanakkam. I strongly oppose this Dam Safety Bill, 2019. Tamil Nadu on the whole is opposing this Bill. Since the introduction of this Bill, the People of Tamil Nadu and the political parties have been opposing this Bill.

The reason for that opposition is Section 24 (1) of this Bill which says, "Where the specified dam in one State is owned by another State, then the authority can be construed as the Dam Safety Organisation for the purpose of this Act." This section says that if a dam owned by a State is situated in another State, then the powers of the Dam Safety Organisation will be of the authority. The Union Government is therefore taking charge of the control of four dams owned by Tamil Nadu--Mullaiperiyar, Parambikkulam, Thunnakkadavu, and Peruvaaripallam. All these four dams owned by Tamil Nadu are situated in Kerala. Tamil Nadu will be worst affected if the Union Government captures all the powers relating to the complete maintenance and safety relating to all these four dams. I sincerely believe that Tamil Nadu will be the only State in the country which will be worst affected by this Dam Safety Bill. As Tamil Nadu is suffering because of its total dependency for water on the neighbouring States, I wish to bring to the kind notice of hon. Minister that as these dams owned by Tamil Nadu are in located in other States, Tamil Nadu will be much affected.

On the basis of agreements between two States, these dams are being maintained. Once this Bill becomes an Act and when the powers are totally taken away by the Union Government, the understanding and harmony between the two States will be affected. Not only that this will pave way for taking away the rights and sovereignty of the States concerned, but this will also lead to affecting the harmony between the neighbouring States. I want to register this fear in this august House. Union Government has so far taken decisions against Tamil Nadu in all the river-water sharing disputes relating to Cauvery, Mullaipperiyar and Palar. This has led to tension and violence in both the States. Although the hon. Supreme Court gave its verdict for not constructing any dam across Cauvery, Union Government has granted approval to Karnataka for constructing dam at Mekedatu across river Cauvery. Particularly the Environment Ministry has granted permission.

As there are instances that Union Government is working against the interests of Tamil Nadu, I am afraid and I want say that if the powers relating to maintenance and safety of these four dams are taken away by the Union Government, then that action will be against the interests of Tamil Nadu. The southern and western districts of Tamil Nadu will be much affected due to this and will become like a desert. Tamil Nadu Government has already passed a Resolution against this Bill in the State Legislature in the year 2018. Main opposition parties including the DMK have registered their objection and condemnation against this Bill.

Therefore taking into consideration the view of Tamil Nadu, in a way respecting the sentiments of the people of Tamil Nadu, Hon. Minister should refer this Bill for the consideration of the Standing Committee of Parliament. This Bill should not become an Act which can

pave way for taking away the powers and the rights of the States, and affecting the relationship between the States concerned.

On behalf of Viduthalai Chiruththaigal Katchi, VCK, I wish that this Bill should be withdrawn or referred to the consideration of Standing Committee. Thank you for this Opportunity. Vanakkam.

***SHRI P. RAVEENDRANATH KUMAR (THENI):** Hon. Madam Chairperson, Vanakkam. It is my duty to bring to the notice of hon. Minister some of the demands of the Government of Tamil Nadu.

As per Section 24(1) of the Bill, if a dam by a State is situated in another State, National Dam Safety Organisation will function as State Dam owned Safety Organisation and keep the control of that dam. I request the hon. Ministry to clarify on the points relating to control of such dams and the powers of Tamil Nadu in this regard. Even though from dams, namly, Mullaiperiyar, Parambikkulam, Thunnakkadavu, and Peruvaaripallam, all these four dams are situated in Kerala territory, Tamil Nadu is looking after the maintenance of these dams under a longstanding agreement. In a case filed by Tamil Nadu on its powers, the Constitutional Bench of the hon. Supreme Court has upheld its verdict on 7.5.2014 about Mullaiperiyar. Hon. Chief Minister Shri Edappadi Palaniswamy through his letters dated 15.6.2018 and 14.12.2018 have urged that until a consensus is arrived at through the consultation process with the States concerned, this Dam Safety Bill should not be introduced but rather withdrawn.

I want to bring to the notice of hon. Minister that through a Resolution passed in the State Assembly of Tamil Nadu on 26.6.2018, such a demand is put forth before the Union Government. I am aware of the fact that hon. Prime Minister Shri Narendra Modi Ji , with a foresighted vision, has brought this Bill for protection of dams and ensuring equal sharing of water by the to people. Regarding the dam in Kerala, which is maintained by Tamil Nadu, some political parties, some State organisations, through films, in their vested interests, are creating panic, instilling fear and spreading rumours about the dam safety and dam's failure. This causes several hurdles in the maintenance and safety-related work of such dams.

I sincerely request the hon. Minister to add stringent measures in this Bill in order to control such malicious activities. Because such activities with ill intention, affect the maintenance work of dams. I should talk about the Mullaiperiyar dam. Engineer Pennicuick constructed this dam 133 years ago, after spending all his earnings from London like assets and jewellery. After coming to Tamil Nadu, Pennicuick diverted the Mullaiperiyar river from Kerala to Tamil Nadu and constructed a dam over that river for providing water to the people of Tamil Nadu. This dam is very strong even after 133 years. Union Government should honour Pennicuick appropriately for his extraordinary contribution. The stand of my Party AIADMK and that of the Tamil Nadu Government are one and the same-- that the interests of people of Tamil Nadu should be protected as per the verdict of hon. Supreme Court.

I also urge that without affecting the interests of the State of Tamil Nadu and by upholding the Constitution and federal structure of this country, this Dam Safety Bill should be implemented. I also request the

Hon. Minister to kindly consider the demands of Tamil Nadu put forth by Hon. Chief Minister of Tamil Nadu. Thank you for this Opportunity. Vanakkam.

श्री अधीर रंजन चौधरी (बहरामपुर) : सभापति महोदया, बात यह है कि सदन तो चल रहा है, लेकिन बाहर से खबर आ रही है कि कश्मीर में सिक्योरिटी एडवाइज़री जारी की गई है । सभी सैलानियों को वापस लाने के लिए कहा गया है । सभी सैलानियों को वापस लाया जाए, ऐसी बात हो रही है । सिक्योरिटी एडवाइजरी चालू की गई है ।...(व्यवधान)

माननीय सभापति : नहीं । I am sorry

...(<u>व्यवधान</u>)

माननीय सभापति : आप बिजनेस से रिलेटेड पाइंट ऑफ आर्डर पर बोलिए ।

...(<u>व्यवधान</u>)

SHRI ADHIR RANJAN CHOWDHURY : The Government should come out with a statement. Why has the security advisory been issued?

HON. CHAIRPERSON: Shri Adhir Ranjan Chowdhury, please sit down. Let the business continue. I am sure, whatever information is required to be given, it will be given.

... (*Interruptions*)

श्री अधीर रंजन चौधरी : सभापति महोदया, सिक्योरिटी एडवाइज़री जारी की गई है।...(व्यवधान) हाउस के बाहर स्टेटमेंट दिया जा रहा है ।...(व्यवधान)

SHRI GAJENDRA SINGH SHEKHAWAT: Please do not create panic in the House...(*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON: Shri Adhir Ranjan Chowdhury, please be seated.

… (*Interruptions*)

माननीय सभापति : मैं अभी देखती हूं । Just now, Shri P. Raveendranath was talking about the punishment for people who create panic situation in dam safety. Let Shri Hanuman Beniwal speak and we will consider this later.

श्री हनुमान बेनीवाल (नागौर) : सभापति महोदया, आपने मुझे इस सदन में बांध सुरक्षा विधेयक, 2019 पर जो चर्चा चल रही है, उस पर बोलने के लिए अनुमति प्रदान की है, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं । यह बहुत ही गंभीर मामला है । मैं माननीय प्रधान मंत्री जी को धन्यवाद देता हूं और विशेष रूप से हमारे मंत्री जी को भी धन्यवाद देना चाहता हूं, जो मारवाड़ से आते हैं । इन्होंने निश्चित रूप से इस पर बहुत बड़ी चिंता की है, वह दो बिल सदन में लेकर आए हैं । पहला अंतर्राज्यिक नदी जल विवाद (संशोधन) विधेयक, 2019 पर था और दूसरा आज बांध सुरक्षा विधेयक, 2019 का है । निश्चित रूप से यह बहुत बड़ी सोच है कि आने वाले समय के अंदर किस तरह से बांधों की सुरक्षा की जाए । बांधों से जो बहुत बड़े नुकसान हुए हैं, पहले बांधों से जो घटनाएं घटित हुई हैं, अभी मंत्री जी एक घटना का जिक्र कर रहे थे कि वर्ष 1979 के अंदर सबसे बड़ी घटना घटित हुई है, जिसमें हजारों लोग मौत के शिकार हो गए थे । निश्चित रूप से बांधों पर केन्द्र का उतना ही अधिकार है, जितना राज्यों का अधिकार है । मंत्री जी ने यह भी स्पष्ट किया है कि इसके अंदर हम राज्यों का हक-अधिकार नहीं

छीन रहे हैं । बांधों की ओर आम जन की सुरक्षा व्यवस्था के प्रति सरकार चिंतित है । इसलिए बिल लेकर सदन के अंदर आए हैं । मैं सरकार को इसके लिए धन्यवाद दूंगा ।

सभापति महोदया, इस विधेयक से बांध सुरक्षा व्यवस्था में सुधार करने में मदद मिलेगी और देश में स्थित बड़े बांधों से अधिक निर्माणाधीन बांधों की सुरक्षा सुनिश्चित होगी । मैं आपके माध्यम से यह भी बताना चाहूंगा कि देश में 293 बांध ऐसे हैं, जिनका इतिहास 100 वर्षों से भी अधिक पुराना है ।

सभापति महोदया, इस विधेयक के उद्देश्यों एवं कारणों में कहा गया है कि बांध महत्वपूर्ण आधारभूत संरचनाएं हैं, जिसका सिंचाई, विद्युत उत्पादन, बाढ़ नियंत्रण, पेयजल और औद्योगिक प्रयोजनों एवं इसके बहुद्देश्यीय उपयोगों के लिए बड़े पैमाने पर निवेश किया जाता है । कोई असुरक्षित बांध मानव जीवन, पारिस्थितकी और सार्वजनिक एवं निजी परिसम्पत्तियों के लिए संकट का कारण बन सकता है । इसलिए बांधों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक कदम उठाना राष्ट्रीय उत्तरदायित्व बन जाता है ।

महोदया, मैं सरकार का धन्यवाद इस बात के लिए भी देना चाहूंगा कि सबसे बड़ी जो सौ दिन की कार्य योजना है, उसके अंदर आप ऐसे-ऐसे बिल ले कर आए हैं – मज़दूरों का बिल आया, आम उपभोक्ता का बिल आया, न्युनतम मज़दूरी का बिल आया, राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर बिल आए और जम्मू-कश्मीर का मामला भी आया । आज बांधों का बिल भी आया है ।

महोदया, नदी-नालों को जोड़ने की योजना - अटल बिहारी जी ने एक सपना सोचा था कि देश की तमाम नदियों को जोड़ कर, जहां बाढ़ आती है, वहां बांध बने और जो सूखे इलाके हैं – जैसे हमारा राजस्थान सूखा इलाका है, उन तमाम क्षेत्रों के अंदर, जहां सिंचित क्षेत्र नहीं है, वहां सिंचित क्षेत्र बढ़े और उसी की परिणति बदलने के लिए आज यह बिल बहुत कारगर साबित होगा ।

इसके अंदर हमारे विपक्ष के कई साथी कह रहे थे कि इससे राज्यों के अधिकार चले जाएंगे। मुझे नहीं लगता कि इससे राज्यों के अधिकारों में कोई दखलंदाजी होगी । मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि देश में जो जल समस्या है, वह किसी पार्टी की व्यक्तिगत समस्या नहीं है । मैंने तो जल वाले विधेयक पर बोलते हुए यह भी कहा था कि जिस तरह से तेल को, आप मानते हो कि किसी इलाके के अंदर तेल निकलता है तो वह तेल, गैस आदि सब राष्ट्र की संपत्ति होती हैं, उसी तरह से जल भी पूरे राष्ट्र की संपत्ति है । बहुत बड़ी सोच के साथ यह उठाया गया कदम है । विपक्ष में बैठे लोगों को इस तरह की बात नहीं करनी चाहिए ।

महोदया, बांध सुरक्षा अधिनियम, 2019 में राष्ट्रीय बांध सुरक्षा कमिटी की स्थापना की बात कही गई है । यह समिति बांध सुरक्षा संबंधी नीति विकसित करेगी और ऐसे विनियमों की सिफारिश करेगी, जो उस प्रयोजना के लिए उपेक्षित हो ।

राष्ट्रीय बांध सुरक्षा समिति की सिफारिशों के आधार पर यह बिल जो आज लाया जा रहा है, बांधों के सरंक्षण में एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगा ।

मैं माननीय मंत्री जी से हमारे राजस्थान की कुछ समस्याओं के बारे में निवेदन करना चाहता हूँ । हमारे राजस्थान की मौसमी नदियां जहां भी हैं, उनसे बरसात के समय उफान से कई बार विकट हालात भी हुए हैं । इसलिए उनके बहाव क्षेत्र के पास बांधों के निर्माण हेतु योजना बनाई जाए ताकि जल संकट का समाधान हो सके ।

महोदया, जिस तरह हमारे सड़क परिवहन मंत्री जी ने सड़क निर्माण में घटिया काम करने वालों के खिलाफ मुकदमे का प्रावधान किया है, निश्चित रूप से कोई बांध अगर टूट जाता है, तो क्रिमिनल केस भी दायर होता है, बांध बनाने वालों के खिलाफ और इंजीनियरों के खिलाफ होता है। लेकिन उसके अंदर यह प्रावधान भी मंत्री जी आप जरूर करें कि उसकी मॉनिटरिंग करने वाले अफसर पर आपराधिक मुकदमा हो । अगर बांध निर्माण में घटिया सामग्री का इस्तेमाल

हो तो कोई केन्द्रीय समिति इसकी जांच करे । मैं तो इसके अंदर यह भी कहूंगा कि जो भी ऐसे मसले हैं, उनमें संसदियां समितियां बननी चाहिए । अलग-अलग सांसदों के दल जाने चाहिए और वह भी रिपोर्ट करे, ऐसा होना चाहिए ।

सभापति महोदया, इसके साथ ही मेरा मंत्री जी से सुझाव है कि राजस्थान के संपूर्ण बांधों की स्थिति पर रिपोर्ट तलब की जाए । क्योंकि आज जो हमारे रामगढ़ का रामगढ़ बांध है, सन् 1982 के अंदर जब हमारे देश में एशियाड हुआ था तब जयपुर के रामगढ़ बांध में नौकायन की प्रतियोगिता हुई थी । लेकिन आज वह खाली है । वहां इतना अतिक्रमण हो गया है कि सुप्रीम कोर्ट तक ने कह दिया है कि अतिक्रमण हटाओ, लेकिन उसके बावजूद रामगढ़ के बांध का अतिक्रमण नहीं हट रहा है क्योंकि जितने भी अतिक्रमी हैं, वे कहीं न कहीं बड़ी पॉलिटिकल पार्टी के नज़दीकी हैं । मैं तो यह कहूंगा कि जो राजस्थान के अंदर सत्ता है, वे अतिक्रमी उनके नज़दीकी लोग हैं । सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भी रामगढ़ से अतिक्रमण नहीं हट रहा है । जोधपुर का उम्मेदसागर बांध हो, चाहे बांसवाड़ा का माही जवाहर सागर हो, ये जितने भी बड़े बांध हैं, इनके रख-रखाव के साथ, सिंचित क्षेत्र कैसे बढ़ाया जाए, इसके अंदर मैं निवेदन करूंगा कि इसको देखा जाए ।

सभापति महोदया, कई बार उच्च न्यायालयों के निर्णय आए, मगर राजस्थान की सरकार सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के आदेशों की अवहेलना करके...(व्यवधान) मैं एक मिनट में अपनी बात समाप्त कर रहा हूँ । मेरा एक निवेदन यह था कि मंत्री जी भी राजस्थान से आते हैं, हम लोग राजस्थान से आते हैं और बहुत बड़ी उम्मीद, पूरा देश आज मोदी जी की तरफ देख रहा है कि राजस्थान के अंदर भी वे दिन आएँगे । हम मारवाड़ के उस इलाके से आते हैं, जहाँ पाँच-पाँच, सात-सात किलोमीटर तक पैदल चलकर घड़े भर कर महिलाएँ पीने का पानी लेकर आती थीं, वहाँ हम उम्मीद कर रहे हैं कि वहाँ सिंचाई का पानी आएगा ।

मैं धन्यवाद दूँगा कि कई योजनाएँ ऐसी बनीं, वहाँ पूर्ववर्ती सरकारों ने बनाईं, जोधपुर, नागौर जो मंत्री जी का और मेरा नजदीकी क्षेत्र है, वहाँ पीने का पानी जरूर आ रहा है, लेकिन सिंचाई का पानी वहाँ पर आए । मंत्री जी अंतर्राज्यीय बिल नदियों का लेकर आए थे । राजस्थान को उससे कैसे जोड़ें, राजस्थान के बांध कैसे भरे और जितने भी बांध हमारे राजस्थान के अंदर हैं, उनकी भराव क्षमता अच्छी हो, अतिक्रमण हटे । इसके साथ ही मैं अपनी पार्टी की तरफ से बिल का समर्थन करता हूँ और धन्यवाद देता हूँ कि जल्दी से जल्दी अटल जी का और मोदी जी का सपना पूरा हो और देश के अंदर हर घर खेत को सिंचाई का पानी मिले ।...(व्यवधान)

श्रीमती रमा देवी (शिवहर): माननीय सभापति महोदया, बांध सुरक्षा विधेयक पर जारी इस महत्वपूर्ण चर्चा में शामिल होने का मुझे अवसर प्रदान किया गया है, इसके लिए मैं आपको हृदय से धन्यवाद देती हूँ । देश में बांधों की सुरक्षा, समुचित निगरानी, निरीक्षण और प्रचालन सुनिश्चित करने के लिए बांध सुरक्षा विधेयक लोक सभा में पेश किया गया है, जो कि सराहनीय है एवं आम लोगों के लिए काफी संतोषप्रद है । विधेयक के उद्देश्यों में यह कहा गया है कि बांध एक महत्वूर्ण आधारभूत संरचना है, जिसका निर्माण सिंचाई, विद्युत उत्पादन, बाढ़ नियंत्रण, पेयजल और औद्योगिक प्रयोजन के लिहाज से जल के बहुद्देश्यीय उपयोगों के लिए बड़े पैमाने पर निवेश किया जाता है । बांध सुरक्षा पर पिछले 9 सालों से लगातार प्रयास चल रहे हैं । इस विधेयक पर स्थायी समिति में चर्चा हो चुकी है । इस विधेयक में महत्वपूर्ण बात यह है कि डैम की सुरक्षा, निगरानी, निरीक्षण जैसे कार्यों के लिए राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय बांध सुरक्षा समिति, राज्य स्तर पर राज्य बांध सुरक्षा समिति एवं राज्य बांध सुरक्षा संगठन है, जो देश के डैम्स से लोगों को उनकी आवश्यकतानुसार समुचित लाभ प्रदान करेंगे । देश के कई डैम्स बहुत ही पुराने हैं, जिन पर मरम्मत कार्य होना अति आवश्यक है । विधेयक

में जिन समितियों का प्रस्ताव दिया है, उन सभी का कर्त्तव्य और कार्य का निर्धारण किया है । इस तरह से यह बिल पूरी तरह से जिम्मेदारी निश्चित करने वाला विधेयक है । हमारे देश में प्राकृतिक आपदा, सुखाड़ एवं बाढ़ जैसी समस्याएँ देश में हर साल आती हैं । कहीं पानी ज्यादा होने से बाढ़ आ रही है और कहीं पानी की आवश्यकता से कम होने पर सुखाड़ जैसी समस्या का समाधान करना पड़ता है । इस विधेयक से हम अधिक पानी वाले क्षेत्रों से पानी लेकर कम पानी के क्षेत्रों में पानी पहुँचा कर किसानों की समस्या का निदान करने में सक्षम हो सकते हैं । इस कार्य में हमारे डैम्स महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं ।

आज के दिन जिस परिस्थिति से हमारे संसदीय क्षेत्र शिवहर, सीतामढ़ी, मोतीहारी बिहार के जिस-जिस जगह पर जिस तरह से हम लोगों को देखने को मिला है, वहाँ जान-माल की जो क्षति हुई है, उसने बहुत असहनीय पीड़ा दी है ।

सरकार बाढ़ की बार-बार आने वाली समस्या का सामना करने के लिए प्रस्तावित समितियाँ महत्वपूर्ण भूमिका निभाएँगी । इस कार्यदल को शीघ्रता के साथ काम करना चाहिए, पानी के भंडारण के लिए डैम, बांध बनाने होंगे । नेपाल सरकार के साथ बातचीत ही नहीं, अपितु सकारात्मक बातचीत करनी चाहिए, जिससे शीघ्र हल निकल सके । जैसे हमारे पूर्व प्रधान मंत्री आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जो कार्य शुरू किए थे, जो फाइल बन चुकी थी, जो नदी से नदी जोड़ कर सब के हित के लिए काम सोचे थे, आज भी वह फाइल पड़ी हुई है और उसके बाद जिसकी सरकार आई, उसने कभी सोचा नहीं कि किसानों से लेकर लोगों को कितनी दिक्कत पहुंची है । आज हमको लगता है कि हमारे आदरणीय प्रधान मंत्री द्वारा ही यह काम सम्भव हो सकेगा ।

राष्ट्रीय आपदा अनुक्रिया निधि के अंतर्गत केवल राहत में राशि करने का प्रावधान है, बाढ़ से होने वाले नुकसान की भरपाई भी इस निधि से की जाए । किसानों को, गरीब लोगों को बाढ़ से होने वाले नुकसान की भरपाई की जाए ।

साथ ही साथ सदन से अनुरोध है कि बांध का निर्माण कार्य में अच्छी क्वालिटी का मेटिरियल प्रयोग किया जाए और डैम्स भी क्वालिटी वाले होने चाहिए।

अगर इन बांधों, डैम्स में कोई खराबी या कोई कटाव आए तो जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए । खुशी की बात है कि इस जिम्मेदारी की इस विधेयक में विस्तार से व्याख्या की गई है ।

महोदया, बांधों के मामले में भारत दुनिया में तीसरे नम्बर पर है, जबकि पहले व दूसरे नम्बर पर क्रमश: अमेरिका और चीन है । बड़े बांधों से चिंता का मुख्य कारण यह है कि बांधों का रख-रखाव ठीक से नहीं किया जाता है । इसके कारण वर्षा के दिनों में बांधों के टूटने से बड़े पैमाने पर जन हानि होने के साथ-साथ सम्पत्ति का भी नुकसान होता रहा है ।

मेरे शिवहर संसदीय क्षेत्र सहित देश में छोटे-बड़े बांधों के आसपास लाखों लोग अपना जीवन यापन कर रहे हैं, परन्तु यह चिंता का विषय है कि देश को लगभग 75 प्रतिशत बड़े बांध 25 वर्ष से अधिक पुराने हैं और 150 से अधिक बांध 100 वर्ष से भी अधिक पुराने हैं । कोई भी असुरक्षित बांध मानव जीवन, सार्वजनिक एवं निजी सम्पत्तियों के लिए खतरनाक है ।

महोदया, नेपाल के तराई क्षेत्र से निकलकर मेरे संसदीय क्षेत्र से गुजरने वाली बिहार की नदियों में आने वाले पानी के तेज प्रवाह से हम लोग अवगत हैं । इस कारण वर्ष 2017 एवं 2019 में बूढ़ी गण्डक, लालबकेया, मनुष्यमारा एवं बागमती इत्यादि नदियों में अचानक आए पानी के कारण इसके दबाव को रोकने में इनके पुराने एवं जर्जर तटबंध नाकाफी साबित हुए है । जिससे लालबकेया नदी के बलुआ गोआवारी बांध, सपही बांध, जमुआ बांध तथा बागमती नदी के भकुरहर बलुआ टोला बांध एवं मसहां नरोत्तम बांध के टूटने से जान-माल की भारी क्षति हुई है । वहीं बागमती नदी के रामपुर कंठ बांध एवं बेलवा घाट बांध बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए हैं, जिसका खामियाजा सैंकड़ों लोगों को अपनी जान देकर भुगतना पड़ा है और इसमें जान-माल की भी भारी क्षति हुई है ।

महोदया, मैं बांधों के टूटने से होने वाली क्षति, उनकी विभिषिका से भली-भांति परिचित हूँ । मैं सरकार द्वारा प्रस्तुत इस जन-कल्याणकारी बांध सुरक्षा विधेयक का हृदय से समर्थन करती हूँ । धन्यवाद ।

SHRI PRADYUT BORDOLOI (NOWGONG): Madam Chairperson, as far as dam safety is concerned, I fully agree that there has to be a federal agency to look after it and ensure the safety of the dams.

Madam, I actually think that the present Bill which is being discussed today is half-sighted and lacks a broader perspective. I will tell you why. Take the case of the Brahmaputra River system. The Brahmaputra River originates in the Chemayungdung Glacier in the Western Tibet and it flows 1,150 km eastward and then it flows as Tsangpo River in Tibet, China, then it enters Arunachal Pradesh by the name of Siang River, and finally it enters Assam as Budha Lui which means Brahmaputra; we call it Budha Lui.

The Brahmaputra is the only main river in the whole world. Brahmaputra is the 'Son of Brahma', the Creator of the Universe. When it enters Bangladesh, it proliferates into three rivers – Meghna, Padma and Jamuna.

In the same river course, the Chinese have built several big dams, and hydro-power projects, and there are unconfirmed reports that they are planning to divert the water to their dry areas. If that happens, what will happen to the downstream areas? I would just try to draw the attention of the hon. Minister, if China diverts the water of the

Brahmaputra River in the Tibet region, then the mighty river Brahmaputra is likely to dry out in the downstream areas.

And then, the famous biodiversity of the eastern part of India that we all know of will also wither. The floodplains ecosystem that we have there would also be eclipsed. The world famous one-horned rhino that we have in Kaziranga will probably die of starvation and gradually go extinct because enough food will not be available for them. Not only that, if China diverts water, what will happen to the lower riparian States? Livelihood of millions of people up to Bangladesh will be in jeopardy. That being the case, what is the role of the Jal Shakti Mantralaya in this? That is what I want to draw your attention to.

Take the case of river Colombia. River Colombia originates in the head waters of British Columbia in Canada. It flows down to USA covering several States in Canada. Flowing through Washington State and Oregon in USA, it finally merges into the sea on the west coast of Northern California. On the whole 2,000 kilometres course of river Colombia, they have built 62 dams. Colombia river basin sustains 58 million hectares of land. They have an international protocol. They have a dam governance protocol. That is why they are able to maintain the water flow at each dam and they are able to maintain the spillways. They are maintaining everything under that protocol. That is what we need.

I would urge upon the Government of India, through you, Madam, that the Jal Shakti Mantralaya should look beyond. It should arrange to have a multilateral agreement with different countries. Brahmaputra is not a one-state river. It flows through several countries like China,

Nepal, Bhutan, Bangladesh and of course India. So, why cannot we have a multilateral agreement?

Jal Shakti Ministry has got a broader role. Hon. Minister Shekhawat Ji is here. I do not think his colleague ... * will take up cudgels on his behalf on these issues. Shekhawat Ji has to take the initiative. Jal Shakti Ministry should reach out to the PMO and the External Affairs Ministry and have a broader perspective.

HON. CHAIRPERSON : The name should not go on record.

SHRI PRADYUT BORDOLOI : I understand, Madam, I am sorry.

What I am saying is that we must have an international protocol. There has to be a reservoir regulation policy with an international protocol. That is the need of the hour. This protocol can cover issues like dam safety, issues like water recharge, spillway management, and in the downstream areas, river draining, de-sedimentation, dredging etc.

Madam, the Power Ministry is only concerned over power projects. There is the Lower Subansiri hydroelectric project in Assam. That project was given to NHPC. They ignored all aspects. They ignored the environmental issues. They ignored all other issues. When you take up a power project, environmental impact analysis is carried out. But, this environmental impact analysis covers an area of only five to ten kilometres.

Madam, there is a proposal for putting up as many as 165 hydroelectric projects in Arunachal Pradesh. Imagine what will be the

cumulative impact in the downstream area! That is why I say that the Jal Shakti Ministry should have a broader view and they should take everybody into account and carry forward. Thank you.

श्रीमती नवनीत रवि राणा (अमरावती): सभापति महोदया, आज हम जिस मुद्दे पर सुबह से बात कर रहे हैं तो मैं कहना चाहती हूं कि हमारे यहां फॉरेस्ट एरिया में ब्रह्मसती डैम बहुत सालों से लम्बित है । उस क्षेत्र में ज्यादातर आदिवासी समाज, गवली समाज के लोग रहते हैं । आज वहां पर ब्रह्मसती डैम के लिए कई सालों से फॉलो-अप हो रहा है ।

18.39 hrs (Shri Rajendra Agrawal *in the Chair*)

महाराष्ट्र के सिडको ने उसके सर्वे के लिए आठ लाख रुपये दिए हैं । मुझे तो नहीं लगता है कि आठ लाख रुपये में कोई सर्वे क्लियर होगा । आज हम वहां पर लोगों को टैंकरों से पीने का पानी प्रोवाइड कर रहे हैं ।

मुझे आप बताइए कि आज हम लोगों को पीने के लिए पानी टैंकरों से दे रहे हैं । विदर्भ में चिखलदरा एक फैमस टूरिस्ट एरिया है, सिर्फ पानी की समस्या की वजह से वह आज तक महाराष्ट्र में नोन नहीं हो पाया । आज हम टैंकर से पानी प्रोवाइड कर रहे हैं, इसमें हम देखते हैं कि गवर्नमेंट के कितने पैसे वेस्ट हो रहे हैं । मुझे लगता है कि अगर वहां डैम बन जाएगा, तो काफी सुविधा मिलेगी । हम किसानों के खेतों में पानी प्रोवाइड करने के लिए सिंचाई की योजना ला रहे हैं । हमने उस क्षेत्र में ब्रह्मसती डैम का प्रोविजन किया है । अगर चिखलदरा में ब्रह्मसती डैम बन जाएगा, तो वहां के आदिवासियों तथा गवली समाज के साथ-साथ परतवाड़ा, आंचलपुर, दरियापुर और उसके आसपास के क्षेत्रों में पानी की सुविधा मिल सकती है । अगर हम किसान की खेती की बात करते हैं, वहां पानी

पहुंचाने की बात करते हैं, तो पीने के पानी की व्यवस्था करना बहुत जरूरी है । अगर वहां पर ब्रह्मसती डैम लाया गया, तो वहां पर टूरिज्म बढ़ेगा । अगर टूरिज्म बढ़ेगा, तो वहां के जो लोकल लोग दूसरे स्टेट में जाकर रोजगार करते हैं, शायद वहां के बच्चों को वहीं पर रोजगार मिलेगा । ये चीजें होनी बहुत ही जरूरी हैं ।

महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से एक और विनती करूंगी, हम अपने क्षेत्र के लोगों की सिक्योरिटी के लिए चिंतित रहते हैं । पिछले दिनों 3 जुलाई को रत्नागिरी में एक डैम पर दुर्घटना हुई थी । अगर हम रत्नागिरी में 14 साल पहले बने हुए डैम की सिक्योरिटी लूज करते हैं, तो वहां पर लोगों की हानि होने का डर होता है । हम जिस ठेकेदार तथा कंपनी को डैम बनाने के लिए प्रोजेक्ट देते हैं, उसे ही यह जिम्मेदारी देनी चाहिए कि वह उस डैम की मेनटेनेन्स करेगा, ताकि वह डैम बनाने के वक्त उसकी सिक्योरिटी का ध्यान रखे । अगर कोई व्यक्ति अपना घर बनाता है, तो वह इतना अच्छा घर बनाता है कि उसे 50 साल तक उस घर को देखने की जरुरत नहीं पड़ती है, क्योंकि उसकी जवाबदारी हम खुद लेते हैं । हमें कांट्रैक्टर तथा कंपनी को जवाबदार बनाना चाहिए, क्योंकि उसी कंपनी या कांट्रैक्टर को 20 सालों तक उस डैम का मेनटेनेन्स करना है । इससे मुझे लगता है कि डैम की जो हानि हो रही है, वहां दुर्घटना के कारण लोगों को जो प्रॉब्लम हो रही है, उससे हम कहीं न कहीं बच सकते हैं ।

महोदय, आज जिस हिसाब से डैम के प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, उनके लिए सरकार 2-3 साल का टाइम लिमिट देती है । उसी टाइम लिमिट में हमारे डैम का प्रोजेक्ट कंप्लीट होना चाहिए । मैं एक एग्जाम्प्ल दे रही हूं, अगर हम उस डैम के प्रोजेक्ट के लिए 200 करोड़ रुपये इन्वेस्ट कर रहे हैं और उसमें 10 साल का समय लगता है, तो मुझे लगता है कि उस प्रोजेक्ट की कॉस्ट आगे चलकर 900-1000 करोड़ रुपये से ऊपर हो जाएगी । यह एग्जाम्प्ल है । हम जोर देते हैं कि प्रोजेक्ट बनाने का जो टाइम लिमिट है, अगर वे उसी टाइम लिमिट में प्रोजेक्ट बनाते हैं, तो मुझे लगता है कि हमारी सरकार के जो पैसे हैं, बेसिकली वह

सरकार के पैसे नहीं हैं, बल्कि पब्लिक के पैसे हैं, वे वेस्ट होते हैं । अगर कोई प्रोजेक्ट 200 करोड़ रुपये से बढ़कर 1000 करोड़ रुपये का हो गया, तो मुझे लगता है, यह ठीक नहीं है और हमें इस पर ध्यान देना चाहिए ।

महोदय, हमारे क्षेत्र में सिंचाई के अभाव के कारण बहुत सारे लोग पीड़ित हैं । …(व्यवधान) मैं दो मिनट में अपनी बात समाप्त कर दूंगी । यह बहुत जरूरी विषय है और किसानों की सिंचाई से संबंधित है । 20-25 साल पहले डैम निर्माण के लिए जिन किसानों की जमीन गई थी, उनको उस समय जो पैसे दिए गए थे, मुझे लगता है कि आज उनके परिवार के पास न खेती की जमीन है, न कोई दूसरा काम है और न ही उनके बच्चों के लिए कोई नौकरी है । मेरा आपके माध्यम से मंत्री जी से विनती है कि उनकी समस्याओं की तरफ ध्यान दिया जाए ।

महोदय, जैसे हमारे यहां पीड़ी, टाकड़ी, चंद्रभागा, बागड़ी, सामदा, वगाड़ी, वास्ती, करजगांव प्रकल्प हैं…(व्यवधान) महोदय, मुझे दो मिनट का समय तो देना ही चाहिए । मुझे लगता है कि ये बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे हैं । इन प्रकल्पों में जिनकी भी जमीनें गई हैं, आज हमें उनके लिए एक बार जरूर सोचना चाहिए । जितने किसानों की जमीनें इन प्रकल्पों में गई हैं, 10 साल पहले जमीन का जो रेट था, उससे कम से कम 50 परसेंट बढ़ाकर या आज के हिसाब से पैसे देने चाहिए । आज उनके पास न तो जमीन है, न नौकरी है, न ही रोजगार के कोई दूसरे साधन हैं । उनके पास कुछ भी नहीं है । मैं आपसे सिर्फ इतनी ही विनती करूंगी कि उन किसानों को आगे बढ़ाने के लिए आज के हिसाब से पैसे देने चाहिए ।

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से अपनी नॉलेज के लिए पूछना चाहूंगी कि देश में 5,264 डैम के प्रोजेक्ट्स कंप्लीट हुए हैं, उनमें जिस डैम की फेल्योर रिपोर्ट है, उनमें करीब 36 डैम्स की फेल्योर रिपोर्ट्स हैं । उनकी जो रिपोर्ट्स हैं, उसमें चार महाराष्ट्र के डैम हैं । इस बारे में मैं थोड़ी सी जानकारी मंत्री महोदय से मांगना चाहूंगी । महाराष्ट्र में जो चार डैम्स फेल्योर हुए हैं, उनके लिए हम क्या कर रहे हैं और उनके लिए आगे क्या प्रोविजन है? धन्यवाद ।

SHRI JAYADEV GALLA (GUNTUR): Hon. Chairperson, Sir, with your permission, I would like to speak from here.

HON. CHAIRPERSON : Your name is not to be displayed on the screen.

…(*Interruptions*)

SHRI JAYADEV GALLA : Sir, thank you for giving me the opportunity to speak on the Dam Safety Bill 2019. The proposal of setting up the Dam Safety Authority was collecting dust in the corridors of power for nearly four decades since this idea was first conceptualized in 1982. The State of Andhra Pradesh adopted a Resolution and sent the same to the Union Government for enacting legislation on dam safety some time in 2009-10. I am happy to see that this is finally being taken up by this Parliament and seeing the light of the day.

Clause 5 of the Bill talks about the composition of the National Committee on Dam Safety. I am satisfied with the way the Government wants to constitute the Committee. But I am not happy the Government is appointing only seven Members from 29 States and that too on a rotation basis. Let me give an example of my own State of Andhra Pradesh. The Bill says that the Committee has to be constituted within two months from the date of notifying this Act. Suppose this Bill is passed and notified this month itself and in the first slot Andhra Pradesh is given representation, its term will expire in 2022 because the period of the Committee is for three years. If you calculate, Andhra Pradesh will not get next representation until 2037. So, I strongly feel that this is a

way long period for any State to stay outside the Committee. So, I suggest for the consideration of the hon. Minister to give representation to all States in the Committee. When we have representation of all the States in other forum like GST Council, what is the harm in providing a similar provision in the National Committee on Dam Safety?

The Polavaram project in the State of Andhra Pradesh was given the status of the national project by the Union Government in pursuance of the Andhra Pradesh Re-origination Act in 2014. The Jal Shakti Ministry has given its approval for which I am very grateful to the Minister. Even the Technical Committee has approved the revised DPR of Rs. 55,000 crore and only the approval of the Finance Ministry is required. But now I am given to understand that the Government has constituted one more committee on this subject.

I would take just a minute to go back to the background of this project. The Polavaram project was first conceptualized in 1941 at a cost of Rs. 6.5 crore. As mentioned by my fellow Member of Parliament from Andhra Pradesh, all clearances were obtained between 2004 and 2009 and the Right and Left canals were completed during Dr. Y.S. Rajasekhar Reddy's regime. In 2014, the Andhra Pradesh Re-origination Act declared it a national project and the Polavaram Project Authority was set up. By June 2018, during the Telugu Desam Party's Government under the leadership of Shri Chandrababu Naidu, most of the land acquisition was completed and the diaphragm was also completed. In January 2019, we entered the Guinness Book of World Records by pouring 32,100 cubic metres in 24 hours to complete the major portion of the project.

It has been a long and painful journey and even after all of this, I take a strong objection to this process of constituting committee after committee when we have been waiting for so long to complete this project. Much of the money has already been spent and we are waiting to be reimbursed by the Central Government. Even though it is a national project, Shri Chandrababu Naidu spent the State's money to bring it to this stage and we are waiting for that reimbursement.

I urge the hon. Minister to be pragmatic, magnanimous and generous towards Andhra Pradesh and see that the approved funds of Rs. 55,000 crore is released and the Polavaram project is completed in a time-bound manner.

Sir, my next point is this. Many States, particularly Tamil Nadu, Kerala, etc., have expressed their strong reservations on the Bill since it is encroaching upon the rights of States under Clause 24 of the Bill. It may be true. I am not going into the merits and demerits of this issue. All I wish to say is that you are making the Central Water Commission as the Chairman of the National Committee on Dam Safety. It would mean that the CWC would function as the advisor and regulator. This point has been brought up. So, I am looking forward for the hon. Minister to answer this.

Finally, the hon. Minister, on record, has said that there are nearly 5400 large dams in the country. Of this, 293 are more than 100 years old and 1000 dams are 50 to 100 years old.

In A.P., we have the Dowleswaram Barrage, which was constructed in the year 1850 and is nearly 170 years old. The Prakasam Barrage was constructed in 1855 and there are nearly 50 other dams and reservoirs in A.P. that are very old.

So, I would like the hon. Minister to explain the House as to what he is going to do under the proposed Bill for the structural and operational safety of these dams.

With these words, I conclude my speech.

श्री हाजी फजलुर रहमान (सहारनपुर): माननीय सभापति जी, आपने मुझे बांध सुरक्षा विधेयक, 2019 पर बोलने का मौका दिया, इसके लिए आपका बहुत-बहुत शुक्रिया । मैं सरकार का ध्यान अपने क्षेत्र की गंभीर समस्या की तरफ ध्यान दिलाना चाहता हूं । मेरा लोकसभा क्षेत्र सहारनपुर शिवालिक और मोहंड की पहाड़ियों से सटा हुआ है, लेकिन यहां कोई छोटा या बड़ा डैम नहीं है । इसके बावजूद यहां बरसाती नदियों की भरमार है । बरसात के पानी के कारण तहसील बेहट, सहारनपुर और देवबन्द में हर साल तबाही मचती है । खेतों की फसल, सड़कें, बिजली के खंबे तबाह हो जाते हैं और जमीन का कटाव भी भारी मात्रा में होता है । लाखों लोग इस आपदा से प्रभावित होते हैं ।

मैं अपने क्षेत्र की परेशानी बताना चाहता हूं, और मेरा आपके माध्यम से सरकार से निवेदन है कि बरसात के पानी से जमीन के कटाव को रोकने का प्रबंध किया जाए । इन तहसीलों में गांव में टूटे तटबंधों और बांधों की मरम्मत कराई जाए और नया निर्माण कार्य भी किया जाए । यहां भारी बरसात के कारण सड़कें ध्वस्त हो जाती हैं, जिससे सभी गांवों का संपर्क तहसील व जनपद मुख्यालय से कट जाता है । इसके कारण मजदूरों, स्कूल के बच्चों का जनपद और तहसील मुख्यालय में आना-जाना बंद हो जाता है ।

माननीय सभापति जी, बेहट तहसील के बादशाही बाग के गांव मगनपुरा का पुल वर्ष 2012 में आई बाढ़ में बह गया था । इस पुल को बनाने का ऐलान पिछली सरकार ने किया था । यह पुल बेहट तहसील को हरियाणा, हिमाचल

प्रदेश और उत्तरखंड से जोड़ता है, लेकिन इसका निर्माण कार्य अभी तक शुरू नहीं हुआ है । इसी तरह से बेहट तहसील के हुसैन मलकपुर, शाहपुर और दबकोरा गांव में बाढ़ की वजह से टापू बन जाते हैं । यहां नदी पर पुल बनाया जाए और बाढ़ से बचाव के लिए तटबंध बनाए जाएं । इस मांग को लेकर ग्रामीणों द्वारा कई बड़े आंदोलन भी किए गए और लोक सभा, विधान सभा चुनाव के बहिष्कार का ऐलान भी किया गया, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई है । मेरी आपके माध्यम से सरकार से दरख्वास्त है कि एक बार फिर से हुसैनपुर, शाहपुर का पुल बनवाने का काम किया जाए ।

माननीय सभापति, उत्तराखंड से आई बाढ़ से सहारनपुर के ढमोला नदी के किनारे बसे देवपुरम, पुष्पांजली, विहार, खान आलमपुरा, वाल्मिकी बस्ती, संतनगर, शांति नगर, जेल चुंगी, नुमाईश कैंप सहित अन्य क्षेत्रों में भी बाढ़ आई थी । इससे कई दर्जन मकान तबाह हुए थे और करोड़ों रुपये का नुकसान हुआ था । यहां भी तटबंध बनाए जाने की आवश्यकता है ।

मेरी आपके माध्यम से सरकार से दरख्वास्त है कि सहारनपुर लोक सभा क्षेत्र की तहसील बेहट, सहारनपुर और देवबन्द के अंदर बाढ़ से प्रभावित सभी गांवों में कार्य योजना बनाकर कार्य कराया जाए । धन्यवाद ।

***SHRI P R NATARAJAN (COIMBATORE):** Hon. Chairperson, Vanakkam.

I see this Bill as the one which is aimed at taking away the rights of the State Governments. Without giving financial assistance for

construction or maintenance of a dam or to file a case restoring the rights on a dam, the Union Government, through an amendment Bill, is trying to bring the safety of all the dams under its control . The dams owned by a State and situated in another State, most particularly, four dams maintained by Tamil Nadu are in Kerala. Without seeking consultation from the State concerned, the Union Government wants to take away all the rights pertaining to the safety of that dam. Even the State Authority will have two members nominated by the Union Government, This is nothing but interfering in the rights of the State Government. The hidden agenda in this move of the Government is to give the rights of drinking water to the Multinational companies. In my Coimbatore constituency and the neighbouring Tiruppur constituency, the supply rights for drinking water has been given to a Multinational company called Suez. This Bill is aimed at helping the Government to fulfil its hidden agenda which is so dangerous to the country. Another important aspect is that no individual or any volunteer can file a case against this amendment Bill. Only the authority can file a case. This itself is violation of power. All the State Governments will be treated as municipalities under this Central Government. This Union Government wants to treat a State as a municipality. Several Acts like Ground Water Management Act, Inland Waterways Act, are aimed at taking away the rights of the State Government so. I therefore urge the Union Government to withdraw this Dam Safety Bill, 2019.

Thank You.

SHRIMATI SUMALATHA AMBAREESH (MANDYA): Sir, I thank you for giving me this opportunity to speak.

Considering the fact that a lot of dams in our country are over 100 years old, I welcome this very important Bill. Most of our structures are definitely man-made and highly susceptible to various factors like natural calamities amongst others.

I am given to understand that the time given to speak for independent MPs is very short. So, I will try to come as quickly as possible to the points I want to make.

My State of Karnataka has 236 large dams, out of which, 44 dams are around hundred years old or more. I want to bring to the notice of the hon. Minister a disturbing fact. There have been cracks noted in the structure of Krishnaraja Sagar Dam which falls in my constituency of Mandya. Experts feel that this is due to the illegal mining activity and high intensity quarry blasts that happen in the vicinity of the dam. Mining has been banned in the 20 kilometre radius around the dam yet it continues unabated thanks to the local political-criminal-official nexus sadly.

I need not spell out the potential disasters that could arise out of such a situation. I certainly hope that the hon. Minister would look into this aspect. I would urge the Minister to include it in this most important Bill to prevent any potential disasters arising out of this in my region of Mandya.

With these words, I conclude and support the Bill.

HON. CHAIRPERSON: Thank you for being brief.

19.00 hrs

SHRI TEJASVI SURYA (BANGALORE SOUTH): Hon. Chairperson Sir, thank you for giving me this opportunity to speak in support of the Dam Safety Bill, 2019. At the very outset, I would like to congratulate the hon. Prime Minister, Shri Narendra Modi ji for taking special interest in trying to bring forward this Bill which is already at a belated stage. I must also congratulate the hon. Minister of Jal Shakti for effectively piloting this Bill whose conception, for the first time, is almost older than me. The first time the idea of bringing about a Bill of this nature to protect the dams of this country originated in the year 1982. Since then there have been multiple efforts made to bring about a legislation which will ensure constant surveillance, inspection and monitoring with regard to the safety of the numerous dams that are there in this country. Unfortunately, that legislation did not see the light of the day due to a host of reasons. This particular attempt, I am sure, will bear fruit because this particular Bill is brought about under article 246 of the Constitution of India read with Entry 56 and 91 of List 1.

Sir, one of the principal challenges that have been thrown up by the Opposition to the Government is about the legislative competency of the Bill. It is being argued that the Union Government does not have the legislative competence to legislate on matters regarding distribution of water and since water is a State subject under List 2, the Union Government has no legislative competence to legislate so far as this subject is concerned. Briefly, I would like to allay the fears of the Opposition by taking them through the primary provision by which we derive the legislative competence. The Union Government derives the legislative competence to legislate on all matters under article 246 of the Constitution of India. The two Entries of 56 and 91 very specifically lay out the powers of the Union Government. Let me read out Entry 56 of

List 1. It states that regulation and development of inter-State rivers and river valleys to the extent to which such regulation and development under the control of the Union is declared by Parliament, by law, to be expedient in the public interest.

Hon. Chairman, Sir, one of the principal changes that has been brought about in this legislation, in its latest *avatar*, is the declaration of the `expedient in public interest' which clearly empowers the Parliament to legislate under Entry 56. Also, the doctrine of pith and substance is not something that is foreign to the Indian constitutional jurisprudence. I would just want to read one important observation that the hon. Supreme Court made in its Constitution Bench judgement in the Ujagar Prints *versus* Union of India wherein it elucidated on how Entries in the Union List or the Lists under the Constitution must be read.

In para 48, hon. Supreme Court espouses that Entries to the legislative lists are not sources of legislative power but merely topics or fields of legislation and must receive a liberal construction inspired inspired by a broad and generous spirit and not in a narrow pedantic sense. The expression "with respect to" in article 46 brings in the doctrine of Pith and Substance in the understanding of the exertion of the legislative power and wherever the question of legislative competence is raised, the test is whether the legislation, looked at as a whole, is substantially 'with respect to' the particular topic of legislation.

Therefore, if a cursory reading of the legislation and its provisions are made, one can certainly ascertain that the Pith and Substance of the legislation is primarily to look after maintenance, surveillance and safety of the dams and has nothing absolutely whatsoever in controlling the

ownership, controlling of water or any other such ancillary subjects which the Opposition may have any fears over.

There is not a single provision in the Bill which can be construed as something that makes an assault on the federal structure of the Constitution and it is something which has been repeatedly bandied about by the Opposition.

I would like to point out two specific issues as briefly as possible as to why a Bill of this nature is imperative in today's times. In 2017, the CAG conducted an inspection as to how many States had conducted regular inspection of dams in their jurisdictions before and after the monsoon. To the surprise and dismay of this House, we may learn that in 2017 the CAG Report brought to light that only two States, Tamil Nadu and West Bengal, out of the 17 States which were audited, conducted a pre-monsoon and post-monsoon audit on the safety of their dams.

Therefore, the issue of dam safety ensuring that there is perpetual surveillance and continuous monitoring of the quality of dams is something that needs to be given a statutory status.

The other most important thing that this Bill envisions is that as a country, we are moving towards forming a national protocol on standardising the measures that are required to address issues of dam safety. In 2002, the World Bank came out with a Report wherein it made a comparative and contrasting study of various dam safety legislations across 22 different countries in the world. I think, hon. Member, Shri A. Raja made a passing reference to this Report. But one critical input in this Report or a suggestion in the Report is that, in all important countries, whether it is the United States or Russia or Canada, most of the dam safety regulations are made at the federal level.

It must be kept in mind that India is a Union of States unlike the United States which is a Federation of States and therefore, the Union Government in India has far more legislative power to legislate for the whole country than in other countries like the US and Australia. However, by its own admission, in the United States today, there is a federal law which governs this field and dam safety regulation is governed by laws which apply for the whole of the United States and therefore, India must also make efforts to legislate at the national level for all the States.

I want to bring in two very important novel points which the Bill bring about. The Committee on Dam Safety issues a lot of advisories and guidelines to many State Governments but as there are no penal provisions, these guidelines cannot be enforced in a strong manner. There are penal provisions in this Bill, which will enforce the guidelines of the National Dam Safety Authority as well as the State Dam Safety Organisations.

Lastly, Sir, the different Committees, which have been envisioned, like the Committee on Dam Safety, the Dam Safety Authority, the State Committee and the State Dam Safety Organisation, will work in partnership to ensure that only particular objective is taken care of. That objective is regarding the safety of our dams.

There is only one particular request that I would make to the hon. Minister. Though this is a well thought out legislation, in my humble opinion, the legislation does not fix accountability in case there is a failure of a particular dam. It envisions provisions, which will deal with failures of dams. It has penal provisions to deal with. But in case, if any

guideline or direction is not implemented, then what would be the penal consequences that follow?

However, this Bill will be a more comprehensive legislation if consequent penal provisions are also incorporated in this Bill to fix the accountability of errant officials or errant owners of the dams.

I congratulate the Government and the hon. Minister for having brought this Bill and I support it wholeheartedly. With these words, I conclude. Thank you very much.

SHRI SURESH PUJARI (BARGARH): Hon. Chairman, Sir, I rise to speak in support of the Dam Safety Bill, 2019, which is aimed at developing uniform safety procedure for all the dams across the country, particularly the major dams, numbering 5,344. Out of it, 293 dams are more than 100 years old, and 1,041 dams are 50 to 100 years old.

In the locality of the place where I come from, there is Hirakud Dam, which is the longest major earthen dam of the world. This dam was constructed in the year 1948. I want to apprise the entire House that at that time there was no Judiciary, there was no Media, there was no Human Rights Commission. The people were just asked to go away. मुझे लगता है कि लोग भारत और पाकिस्तान पार्टिशन होने के बाद जान बचाने के लिए जैसे भागे, हीराकुड डैम बनाने के समय ऐसा ही हुआ, लाखों लोग, 25,000 families were ousted. The number of families ousted is also a

world record. Never ever in the history of world, a huge number of persons were displaced for a particular project.

मैं यह कहना चाहता हूं कि अभी तक उनका रिहैब्लिटेशन भी नहीं हुआ है, उनको मुआवजा नहीं मिला है ।

मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि राज्य सरकार को आदेश दिया जाए कि उन लोगों के रिलेटिव्स, जो आज भी जिंदा हैं, उनकी पहली पीढ़ी मर चुकी है, दूसरी पीढ़ी भी आधी मर चुकी है, तीसरी पीढ़ी, the persons who have born, are suffering the same wounds inflicted on their forefathers. उनको मुआवजा मिलना चाहिए । हीराकुड डैम का स्वास्थ्य भी खराब है । उसमें बहुत बड़े-बड़े होल्स हो चुके हैं, and I think, the Hirakud Dam is dying a natural death. So, it needs immediate repairing. Unless it is repaired, this dam may collapse at any time. मेरे क्षेत्र के लोग बरसात आने पर नहीं सोते हैं । उनको यह लगता है कि कभी न कभी डैम टूट जाएगा । वर्ष 1982 में ऐसा हुआ था । एक अफवाह के कारण हजारों लोग भागने लगे । ऐसा दो बार हो चुका है । अभी भी वहां लोगों को विश्वास नहीं है ।

So, I demand that let the relatives of the persons, who have been displaced, be paid adequate compensation.

अभी तक उनको पट्टा नहीं मिला है । एक लखनपुर ब्लॉक है, जहां लोग डिसप्लेसमेंट के बाद रहते थे । जब एमसीएल आ गया तो वे दोबारा डिसप्लेस हुए और जब ओपीजीसी आ गया तो वे तीसरी बार डिसप्लेस हुए । वे तीन बार डिसप्लेस हो चुके हैं । उनको न्याय मिलना चाहिए । हीराकुड डैम की रिपेयरिंग होनी चाहिए । हीराकुड से इंडस्ट्रीज को पानी दिया जाता है और उनसे जो वेस्ट निकलता है, उसे वे नदी में भेज देते हैं ।

डाक्टर्स का कहना है कि इस कारण बारगढ़ जिले में कैंसर रोगी बढ़ रहे हैं । मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि हीराकुंड डैम

को लेकर जो समस्याएं हैं, उनका हल जल्द से जल्द निकाल कर समाधान करें ।

श्री विजय कुमार हांसदाक (राजमहल): सभापति जी, मैं आज इस बांध सुरक्षा विधेयक, 2019 पर अपनी बात कहने के लिए खड़ा हुआ हूं ।

मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय के सामने झारखंड के कुछ डैम्स के इश्यूज आपके सामने रखना चाहता हूं, क्योंकि झारखंड बहुत सारी परियोजनाओं के मामले में सफरिंग स्टेट है । मसानजोर डैम का काम वर्ष 1951 में शुरू हुआ था और वर्ष 1955 में कमीशन हुआ था । 94 स्क्वेयर किलोमीटर झारखंड की जमीन इसमें ली गई, लेकिन 2,26,000 हैक्टेयर बंगाल की जमीन की सिंचाई हो रही है और हमारे झारखंड की सिर्फ 8,100 हैक्टेयर जमीन की सिंचाई हो रही है । उस समय बिहार और बंगाल के बीच क्योंकि, झारखंड उस समय नहीं बना था, वर्ष 1978 में इस स्थिति को देखते हुए एक करार हुआ था कि सिदुस्वरी डैम बनाकर झारखंड को दिया जाएगा, लेकिन वह भी नहीं दिया गया ।

19.16 hrs (Hon. Speaker *in the Chair*)

अध्यक्ष महोदय, झारखंड में सिर्फ 12 प्रतिशत इरीगेशन लैंड है और हमारे यहां लोगों को पानी ही नहीं मिल रहा है, जबकि सबसे ज्यादा हमारे यहां के लोगों

ने ही आपको जमीन दी है और सबसे ज्यादा लोग विस्थापित हुए हैं । एक और प्रोजेक्ट मैथन है, जहां दामोदर वैली कारपोरेशन प्रोजेक्ट है और उल्टे बंगाल की सरकार झारखंड सरकार से पैसा मांग रही है, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए । बिजली उत्पादन हो कर बंगाल जा रही है, जमीन हमारी गई है, पानी में हमारी जमीन जलमग्न हुई है, लेकिन बंगाल सरकार सारा फायदा ले रही है ।

ऐसे ही बिहार में चानन एक प्रोजेक्ट है, जिससे कि झारखंड के गोड्डा जिला को पानी मिलना था, लेकिन वर्ष 1970 में पानी मिलना था, लेकिन 50 वर्ष में पानी नहीं मिला है । वहां 55 प्रतिशत सिल्टेशन हो गया है, उसे कौन निकालेगा, इसकी भी जिम्मेदारी किसी को लेनी चाहिए । झारखंड सबसे ज्यादा डैम्स के प्रोजेक्ट में सफर कर रहा है, क्योंकि सैकेंड इरीगेशन प्रोजेक्ट के तहत झारखंड को 10 डैम्स मिलने वाले थे, जो कि अभी तक नहीं मिले हैं । मैं यहां एक और डैम का जिक्र करना चाहूंगा जो कि वर्ष 1989 में बनना शुरू हुआ था - राडू नदी जलाश्य । यह आंग्डा और सिली, दो ब्लाक्स में वर्ष 2015 में बनना था, 850 करोड़ रुपये की यह योजना थी, लेकिन आज वर्ष 2019 में इसकी लागत 1600 करोड़ रुपये हो गई है और अभी तक कार्य प्रारम्भ नहीं हुआ है । इसी तरह से यदि समय और बढ़ जाएगा, तो योजना की रकम बढ़ती जाएगी और नुकसान सहना पड़ेगा । मैथन, मसानजोर, पंचायत गुमानी प्रोजेक्ट हमारे यहां दो दशक से लम्बित है, वह प्रोजेक्ट पूरा नहीं हुआ है । इतनी सारी योजनाएं हैं, जिनसे झारखंड के लिए सिंचाई में फायदा देने का काम करना चाहिए था, वह नहीं हो पाया है । मैं चाहता हूं कि सरकार द्वारा झारखंड के साथ न्याय किया जाए ।

-

19.19 hrs

DAM SAFETY BILL, 2019 – Contd.

श्री गुमान सिंह दामोर (रतलाम): अध्यक्ष महोदय, मैं दिल से आपका धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि आपने मुझे बोलने का अवसर दिया ।

मैं इस बिल को लाने के लिए हमारे देश के लोकप्रिय प्रधान मंत्री जी को भी धन्यवाद देना चाहता हूं । यह बिल बहुत पहले आ जाना चाहिए था । हमारे कुछ साथी अभी इस बिल का विरोध कर रहे थे । उनके पास भी भरपूर अवसर था कि वे 15वीं लोक सभा में इस बिल को पास कर देते, लेकिन उन्होंने नहीं किया । वे यह बोल रहे थे कि यह फेड्रल सिस्टम पर अटैक है, लेकिन यदि आप इस बिल को ध्यान से, ढंग से पढ़ेंगे तो मैं समझता हूं कि यह सबसे अच्छा बिल है । इस बिल के संबंध में सभी दलों के मेरे मित्रों से मेरा अनुरोध है कि उन्हें इसका बिना विरोध किए इसको पास कर देना चाहिए ।

अध्यक्ष महोदय, मैं इस बिल से अच्छा बिल किसी को नहीं मानता हूं । इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि जब डैम की फेल्योर होती है तो उस डैम का पानी यह नहीं देखता कि वह किस दल के आदमी को बहाकर ले जाएगा या किस धर्म के आदमी को बहाकर ले जाएगा । इसलिए, इन सब बातों को अगर हम ध्यान में रखते हैं तो इस बिल का हमें बिना विरोध किए इसे पास कर देना चाहिए ।

महोदय, हम एग्रो इकोनॉमी हैं । हम कृषि आय को दोगुना करना चाहते हैं, हर खेत को पानी देना चाहते हैं । हम 'पर ड्रॉप, मोर क्रॉप' की बात करते हैं, लेकिन बिना डैम्स के हम इसकी कल्पना नहीं कर सकते हैं । मैं जिस क्षेत्र से

आता हूं, आज उस क्षेत्र में पानी की बहुत बड़ी कमी है । वहां डैम बनाया जाना बहुत आवश्यक है । मेरे क्षेत्र में पीने के पानी की भी समस्या है । ग्राउंड में फ्लोराइड मिलता है, इसलिए हमारे क्षेत्र में डैम बनाए जाने की आवश्यकता है । मैं मध्य प्रदेश के खरगोन जिले की बात करूंगा । वहां नर्मदा पर एक डैम बना हुआ है । मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि वह डैम पिछले आठ-दस सालों से बनकर तैयार है, उसका सिर्फ गेट बंद होना है । हम उस गेट को बंद नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि उसके कुछ लीगल इश्यूज़ हैं । आप उसको थोड़ा सा ध्यान में रखिए । जब उस डैम का गेट बंद होगा, तब हम हमारे मध्य प्रदेश की इंडस्ट्रियल कैपिटल इंदौर को पानी दे पाएंगे । ये कुछ इश्यूज़ हैं ।

अध्यक्ष महोदय, इस डैम की सबसे बड़ी ब्यूटी यह है कि इस डैम में सेंटर की कुछ ड्यूटीज़ हैं और स्टेट की भी कुछ ड्यूटीज़ हैं । जैसे अभी कई लोग बात कर रहे थे कि उनके यहां छोटे, बड़े डैम्स हैं । The provisions of this Bill are applicable to certain types of dams. जो लार्ज डैम्स हैं, जिनकी हाइट 15 मीटर से अधिक है, ऐसे डैम्स पर इसके प्रोविजन्स लागू होंगे । ऐसे डैम्स, जिनकी हाइट 10 मीटर से 15 मीटर है, उनमें कुछ एडिश्नल डिज़ाइन्स और स्ट्रक्चरल कंडीशन्स की गई है, उन पर भी प्रोविजन्स लागू होंगे, इसलिए यह कहना बहुत गलत है कि राज्यों के अधिकारों पर हम अतिक्रमण कर रहे हैं ।

इस बिल में नैशनल कमेटी ऑन डैम सेफ्टी का प्रोविजन है, जिसमें राज्यों के सदस्य, डैम्स के एक्सपर्ट्स और सेंटर के लोग भी रहेंगे । इसका मुख्य कार्य यह होगा - formulating policies and regulations regarding dam safety standards and prevention of dam failures, and analysing causes of major dam failures and suggesting changes in dam safety practices. नैशनल लेवल पर जो हमारी नैशनल डैम सेफ्टी अथॉरिटी रहेगी, इस अथॉरिटी का यह मुख्य कार्य यह देखने का रहेगा कि हमारी नैशनल कमेटी की जो रिकमनडेशंस हैं, वे प्रॉपर्ली लागू हो रही हैं या नहीं हो रही हैं । इन रिकमनडेशंस को एग्ज़िक्यूट

करने के लिए स्टेल लेवल पर स्टेट डैम सेफ्टी ऑर्गनाइज़ेशन बने हुए हैं । स्टेट कमेटी ऑन डैम सेफ्टी भी बनी है, ताकि पूरे तरीके से यह सुनिश्चित हो सके कि किसी भी प्रकार किसी भी डैम का फेल्योर न हो ।

हमारे यहां अर्दन डैम्स होते हैं, कांक्रीट डैम्स होते हैं, कम्पोज़िट डैम्स होते हैं, डैम्स विद स्लूस-गेट्स होते हैं, विदआउट गेट्स होते हैं । इन सभी प्रकार के डैम्स के फेल्योर के अलग-अलग कारण होते हैं । इन सभी कारणों को मिटिगेट करने के लिए इस बिल का आना बहुत आवश्यक था। इसमें यदि कोई राज्य इन निर्देशों का पालन नहीं करता है या इसमें बाधा डालता है तो उसके विरुद्ध कार्रवाई करने का भी इसमें प्रावधान है । यह पहली बार एक ऐसा अच्छा बिल आया है, जिससे हम अपने डैम्स को सुरक्षित रख सकेंगे ।

मैं यह भी बताना चाहता हूं कि आज पानी की बढ़ती हुई आवश्यकता को देखते हुए हमको लार्ज डैम्स बनाने पड़ेंगे । आज कई राज्यों में पानी की कमी है । अगर हमें इस पीने के पानी की कमी को दूर करना है तो हम उसे डैम्स के माध्यम से ही कम कर सकते हैं । हम ग्राउंड वॉटर पर नहीं जा सकते हैं ।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपको धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया।

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्य पहली बार बोल रहे हैं, लेकिन उन्होंने विधेयक पर बहुत अच्छी बहस की । हालांकि, उन्होंने बहस तो नहीं की, बल्कि अपने अच्छे सार्थक सुझाव रखे । माननीय सदस्य रिटायर्ड चीफ इंजीनियर है, तब ही उन्होंने यहां इतने सार्थक सुझाव रखे हैं ।

माननीय मंत्री जी, आप माननीय सदस्य का टैक्निकल रूप से उपयोग लीजिएगा ।

…(<u>व्यवधान</u>)

माननीय अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी, अभी आपको नहीं बोलना है ।

श्री बालक नाथ, आप एक मिनट पंद्रह सैकेंड में अपनी बात रखिए ।

श्री बालक नाथ (अलवर): अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, इसके लिए आपका धन्यवाद । प्रधान मंत्री जी का जो दूरगामी सपना है, वह आने वाले भारत की जरूरत है । आज भी हमारे भारत में गर्मियों के सीजन में अनेक स्थानों पर टी.वी. और प्रिंट मीडिया के माध्यम से हमें देखने का मिलता है कि लोग एकत्रित होकर दूर से पानी लाते हैं । उसके लिए प्रधान मंत्री जी की जो दूरगामी सोच है कि आने वाले भारत की सबसे बड़ी जरूरत है तो वह पीने का पानी है । मैं माननीय मंत्री जी का धन्यवाद करूंगा कि उन्होंने दिन-रात मेहनत करके, इस विधेयक को लोक सभा के पटल पर रखा है, जिससे आने वाले समय भारत के लोगों को समान दृष्टि से पीने का पानी मिले । इसके लिए मैं माननीय मंत्री जी से यह भी कहूंगा कि इसके अंदर दस मीटर से ज्यादा हाइट के डैम्स भी लिए हैं । हर डैम इसके अंतर्गत हो । केन्द्र सरकार यह भी देखे कि हर डैम जिसके अंदर पानी आता है, उसकी व्यवस्था सही है या नहीं । उसके अंदर सिल्ट जमा होती है । अलवर के आस-पास सिलीसेड डैम है, जयसमंद डैम है, प्रताप बांध है, बालेटा डैम है, विजय मंदिर डैम है । जब से मैं उस क्षेत्र में आता-जाता रहता हूं तब से मुझे यह ज्ञात हुआ है कि उनके अंदर काफी मात्रा में सिल्ट जमी हुई है । सिल्ट जमा होने के कारण भूजल स्तर के बढ़ोतरी में रुकावट पैदा होती है । समय-समय पर उनकी सिल्ट को भी बाहर निकालने का भी प्रावधान हो, ताकि राज्य सरकारों के साथ मिलकर एक उचित बजट सिल्ट निकालने के लिए भी उपयोग में आए । इसके साथ-साथ डैम्स के आस-पास की जगह होती है । जिस तरह से हम देखते हैं कि डैम्स के आस-पास की जगह किसानों की है । उसके लिए मैं माननीय मंत्री जी से आग्रह करना चाहता हूं कि उस डैम में जितना भी जल-भराव का क्षेत्र हो, वहां से उन किसानों को अलग से किसी स्थान पर जमीन देकर, उस डैम की पूरी जमीन पानी भराव के काम आए । इसके साथ-

साथ एक छोटी सी बात और कहना चाहूंगा कि जितने भी डैम्स हमारे देश में हैं, ये हमारे पूर्व के बने हुए डैम्स हैं, लेकिन आने वाले समय में भारत में जिस प्रकार से पानी की जरूरत होगी, उसको देखते हुए भविष्य में हम कहां-कहां डैम्स बना सकते हैं, उसके लिए भी एक आयोग बने, एक कमेटी बने, जो ऐसा सर्वे पूरे भारत में करे कि कहां नया डैम बन सकता है और कहां पानी एकत्रित हो सकता है ।

श्री अर्जुन लाल मीणा (उदयपुर): अध्यक्ष महोदय, धन्यवाद । सबसे पहले मैं आपको बहुत-बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि आपने मुझे इस बिल पर बोलने के लिए समय दिया । मैं मंत्री जी का भी धन्यवाद करना चाहता हूं । आपने मुझे तीन मिनट का समय दिया है, मैं उसी समय में अपनी बात को समाप्त करूंगा ।

माननीय अध्यक्ष: केवल दो मिनट का समय है ।

श्री अर्जुन लाल मीणा: अध्यक्ष महोदय, एक मिनट आपकी तरफ से है । मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि मैं जिस संसदीय क्षेत्र से आता हूं, वहां राजस्थान में उदयपुर झीलों की नगरी से जाना जाता है । यह लेक ऑफ सिटी उदयपुर है । राजा-महाराजाओं ने झीलों का निर्माण कराया । एक झील का पानी, जैसे ही वह झील भर जाती है तो दूसरी झील में और दूसरी झील भर जाती है तो तीसरी झील में जाता है । पिछोला झील का पानी फतेह सागर झील में और फतेह सागर झील का पानी उदय सागर में जाता है तथा उदय सागर झील का पानी वागल्या में जाता है । इस तरह से पुराने समय में राजा-महाराजाओं ने झीलों का निर्माण कराया । मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से केवल दो बातों का जिक्र करना चाहता हूं और उनका ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूं । मेरे संसदीय क्षेत्र में जयसमंद बांध 1730 में राजाओं ने बनाया था । उसे लगभग 289 साल हो गए हैं । यह इतना पुराना बांध है । इस बांध की क्षमता 14650 Mcft पानी का बांध है और उससे लगभग 16,000 हैक्टेयर की सिंचाई की जाती है

और 14,400 हैक्टेयर सिंचाई योग्य क्षेत्र है । इसका 630 Mcft पानी पीने के लिए उदयपुर शहर को दिया जाता है । मैं माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि उदयपुर डिवीजन में माही बजाज सागर जो बांसवाड़ा जिले में पड़ता है, यह बड़ा बांध है, उस बांध में हर साल पानी ओवर फ्लो हो जाता है । उस बांध का पानी जाखम डैम में, जो प्रतापगढ़ जिले में पड़ता है और प्रतापगढ़ से दरियाबाग तथा ग्रेविटी से जयसमंद में जाए । हमारी राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की जो पूर्ववर्ती सरकार थी, उस वसुंधरा राजे सरकार ने उसके लिए सर्वे कराया था और बजट का प्रावधान किया था । मैं निवेदन करना चाहता हूं कि माही का पानी जयसमंद में डाला जाए और जयसमंद का पानी उदयपुर लाया जाए ।

अध्यक्ष महोदय, अंत में मैं आपको धन्यवाद देते हुए कहना चाहूंगा कि हमारे देवास के लिए मोहनलाल सुखाड़िया जी ने जो सपना देखा था, लेकिन स्वर्गीय भैरों सिंह जी ने और वसुंधरा राजे जी ने उस सपने को पूरा किया । फेज फर्स्ट और सेकेण्ड का बजट देकर अब थर्ड और फोर्थ का बजट देवास बांध को उदयपुर शहर के लिए 1000 एमसीएफटी पानी की व्यवस्था की जाए, जिससे उदयपुर शहर के लोगों को शुद्ध पेयजल मिल सके ।

श्री उदय प्रताप सिंह (होशंगाबाद): धन्यवाद माननीय अध्यक्ष जी । मैं बहुत संक्षेप में अपनी बात रखूंगा और मैं यह अवसर नहीं दूंगा कि आप मुझे अपनी बात समाप्त करने के लिए बोलें । दो-तीन मिनट में चूंकि बड़ा महत्वपूर्ण विषय है और मेरा खुद का पार्लियामेंट्री एरिया, जो होशंगाबाद, नरसिंहपुर है, बगल में जबलपुर संसदीय क्षेत्र में दो बड़े बांध हैं ।

अध्यक्ष महोदय, देश में कितने बांध हैं, कितने निर्माणाधीन हैं, यह माननीय मंत्री जी ने बहुत विस्तार से बताया और यह कोई चर्चा का विषय नहीं है । यूएस

में सबसे ज्यादा बांध हैं, चाइना दूसरे नंबर पर है, हम तीसरे नंबर पर आते हैं, इतनी डिबेट के बाद यह भी सभी जान गए । मैं केवल एक प्रार्थना करना चाहता हूं । अपोजीशन की तरफ से जैसे यह कहा गया कि यह राज्यों का विषय है, भारत सरकार को इसमें इंटरफेयर नहीं करना चाहिए । हमको जब तक हम इस फेडरल स्ट्रक्चर को बड़े भाई, छोटे भाई की तरह को-ऑर्डिनेट करके नहीं चलेंगे, मुझे लगता है कि इस देश में जो हमारे संविधानविद हैं, जिनकी मंशा थी इस देश को बेहतर गति से चलाने की, शायद वह मंशा पूरी नहीं होगी ।

महोदय, मेरा आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध है कि जो हमारा डैम सेफ्टी बिल है, उस पर बहुत विस्तार से चर्चा हुई है । मैं आपके माध्यम से केवल एक अनुरोध करना चाहता हूं कि इसमें जो राष्ट्रीय बांध सुरक्षा कमेटी बनाई गई, मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि इसमें आपने भारत सरकार के 10 प्रतिनिधि रखे हैं, राज्य सरकारों के 7 प्रतिनिधियों का इसमें समायोजन किया है, 3 डैम सेफ्टी विशेषज्ञ इसमें समाहित किए गए हैं । मेरा अनुरोध है कि बांधों के साथ मछली पालकों का जीवन जुड़ा रहता है । हर बांध के साथ मछली पालक जुड़े रहते हैं । इसमें मछली पालकों का एक प्रतिनिधि और चूंकि किसान भी नहरों के माध्यम से बांध के उपयोग में जुड़ता है, अत: किसानों का एक प्रतिनिधि भी इसमें जोड़ा जाए, तो मैं सोचता हूं कि यह एक महत्वपूर्ण व्यवस्था होगी ।

महोदय, दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि कमेटी बांधों का रेगुलेशन, बांधों को टूटने से रोकना, बड़े बांधों के टूट के कारणों का निरीक्षण करना, इन सभी की मॉनीटरिंग करेगी । माननीय मंत्री जी, इसमें आपने अपराध और सजा का प्रावधान किया है । मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूं कि अपराध संज्ञेय तभी होंगे, जब शिकायत सरकार द्वारा या बिल के अंतर्गत गठित किसी प्राधिकरण द्वारा की जाएगी । मेरा अनुरोध है कि अगर गवर्नमेंट फेल्योर या फेडरेशन फेल्योर होता है तो इसमें अपराध का मापदण्ड तय करने के लिए तीसरी संस्था क्या होगी? इसमें व्यक्तिगत रूप से भी अगर कोई शिकायत आती

है तो उसको भी संज्ञान में लिया जाए । इस बिल के अंदर अगर आप यह प्रावधान भी करेंगे तो बड़ी मेहरबानी होगी ।

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से एक अन्य महत्वपूर्ण विषय इस सदन में रखना चाहता हूं । हमारे यहां तवा प्रोजेक्ट है, जो एक बड़ा प्रोजेक्ट है । तीन-चार जिलों में उसके पानी से सिंचाई होती है और हिंदुस्तान में होशंगाबाद गेहूं उत्पादन में एक नंबर का जिला बना, उसकी वजह केवल तवा डैम है । उसके अंदर लगातार सिल्ट जम रही है । इसमें जो मॉनीटरिंग कमेटी बनेगी, वह इसके प्रबंधन और सुरक्षा के अलावा इन चीजों को भी देखेगी कि बांध की पानी भंडारण की क्षमता अगर घट रही है तो दोबारा से पानी को कैसे रिस्टोर करें, पानी को रोकने की क्षमता को कैसे बढ़ाया जाए, इस पर भी इस कमेटी को काम करने के लिए अलग से फोकस करके प्रोग्राम देने की आवश्यकता है ।

माननीय अध्यक्ष महोदय, वर्ष 1982 में बरगी बांध बना । 20-25 सालों से लगातार वह बनता रहा और वर्ष 2000 के बाद, वर्ष 2006-07 में नरसिंहपुर जिले को उसका पानी मिला । जहां कुछ हजार करोड़ रुपये से बांध बनना था, वहीं उसके बनने के दौरान लागत 50 से 55 गुना बढ़ी । मुझे लगता है कि इन चीजों पर कहीं न कहीं चेक एण्ड बैलेंस होना चाहिए कि बांध बनाने की जो निर्धारित सीमा है, उसे निर्धारित समय में ही पूरा किया जाए ताकि उसकी कॉस्ट न बढ़े ।

माननीय अध्यक्ष जी, सतना के हमारे माननीय सांसद जी बैठे हुए हैं । मैं देख रहा हूं कि पिछले 10-11 वर्षों से सतना के सांसद जी लगातार बरगी डैम का पानी सतना में उठाते रहे हैं । मुझे यह कहने का मौका मिला है कि बरगी का पानी सतना जाना है । मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से कहना चाहता हूं कि जो टनल बन रही है, मुझे आज तक समझ नहीं आया कि वह टनल प्लेन जमीन पर क्यों बनाई जा रही है? वह टनल लगभग वर्ष 2008 से बनना शुरू हुई है और अभी तक केवल साढ़े चार किलोमीटर ही बनी है । 12 किलोमीटर अभी भी बननी शेष है । वह नहर जमीन के ऊपर जा सकती है । उसको चेक कराएं और उसका काम कैसे तेजी से होगा, कैसे हर क्षेत्र में बरगी बांध का पानी

तेजी से पहुंचेगा, इस पर चिंता करने की आवश्यकता है । मैं पुन: आपका हृदय से आभार व्यक्त करता हूं और बिल का समर्थन भी करता हूं । धन्यवाद ।

श्री धर्मवीर सिंह (भिवानी-महेन्द्रगढ़) : अध्यक्ष महोदय, मैं जल शक्ति मंत्री जी को बहुत-बहुत बधाई देता हूं, जिन्होंने 40 वर्षों के लंबे सफर के बाद जो बिल पहले आ जाना चाहिए था, वह आज उसको लेकर आए हैं, इसलिए वह बहुत-बहुत बधाई के पात्र हैं । हमारे यहां उत्तर से लेकर पश्चिम भारत तक अगर हर जगह पानी देने की व्यवस्था नदियों से है, तो वह केवल हिमालय से निकलने वाली नदियों की वजह से है । चाहे वह गंगा, यमुना, सतलुज, रावी, व्यास और जो पाकिस्तान में जाने वाली नदियां हैं । सतलुज नदी पर 80 साल पहले भाखड़ा बांध बना था और जिस बांध का नाम गोविंद सागर है, उसमें बहुत सिल्ट है । पहला, उस सिल्ट को इस बांध में से कैसे निकाला जाए । दूसरा, बारिश के दिनों में रावी, व्यास और सतलुज में बने बांधों में से बहुत ज्यादा पानी नीचे तक आ जाता है, जो बहकर पाकिस्तान में जाता है ।

मेरी आपके माध्यम से मंत्री जी से यह प्रार्थना है कि हरिके पत्तन या उससे ऊपर कहीं पर एक बांध बनाया जाए, ताकि राजस्थान को भी राजस्थान कैनाल के माध्यम से पूरा पानी दिया जा सके । उसके साथ ही साथ, क्योंकि एक भांखड़ा बांध प्रबंधक बोर्ड है, वह पानी हिमाचल से आता है और पंजाब से होकर निकलता है । वहां पर एडमिनिस्ट्रेटिव और टेक्निकल स्टाफ में पंजाब के ज्यादा अधिकारी हैं । वह जरूरत के हिसाब से अपने लिए पानी का तो इस्तेमाल कर लेते हैं, लेकिन राजस्थान और हरियाणा को पानी ना जा सके, इसलिए उन नहरों की रिपेयर भी नहीं करने देते हैं, जिसकी वजह से दिल्ली, हरियाणा और

राजस्थान सफर करते हैं । उसके हिस्से का अधिकारी हरियाणा या राजस्थान का होना चाहिए । उसी प्रकार से एक किशाऊ बांध है, जिसके बारे में हम बार-बार जिक्र करते हैं । मेरी आपके माध्यम से यह प्रार्थना है कि मंत्री जी समय रहते यह जरूर आश्वासन दें कि किशाऊ डैम जिसका पानी छः राज्यों में है और जिसका ज्यादा पानी दिल्ली, राजस्थान और हरियाणा को मिलना है । यह बहुत जरूरी है, इसका समाधान जल्दी किया

जाना चाहिए । इसके साथ ही साथ माननीय प्रधान मंत्री जी ने पिछली योजनाओं में एक बड़े प्रोजेक्ट के बारे में कहा था कि शारदा-यमुना एक बड़ा प्रोजेक्ट है, जिसका ज्यादातर पानी हरियाणा, राजस्थान और गुजरात के माध्यम से इस देश को सिंचित करेगा । आप उसके बारे में भी जरूर विचार करें ।

जल शक्ति मंत्री (श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत) : माननीय अध्यक्ष महोदय, आपका धन्यवाद । यह महत्वपूर्ण बिल बांधों के साथ ही साथ उनके परिचालन के क्षेत्र में आने वाले लोगों की जान और माल की सुरक्षा से जुड़ा हुआ है । यह देश लगभग पिछले 40 सालों से इस महत्वपूर्ण बिल का इंतजार कर रहा था । उस बिल पर इस सदन में 31 साथियों ने गंभीरता के साथ चिंतन किया है, चर्चा की है और अपने विचारों को प्रस्तुत किया है ।

माननीय अध्यक्ष महोदय, समय की कमी है, इसलिए मेरे सभी साथी मुझे क्षमा करेंगे, क्योंकि मैं उनका नाम नहीं ले पाऊंगा । अधीर जी से लेकर धर्मवीर जी तक कुल 31 साथियों ने इस महत्वपूर्ण विषय पर अपने विवेक, अपने अनुभव और अपने ज्ञान के आधार पर, कुछ ने तकनीकी विषयों को लेते हुए और कुछ ने

राजनीतिक प्रतिबद्धताओं के साथ खड़े होकर इस बात को स्वीकार करते हुए अपने विचारों की विवेचनाएं यहां पर की हैं ।

माननीय अध्यक्ष महोदय, नए भारत बनाने को लेकर संकल्पबद्ध और माननीय मोदी जी के नेतृत्व में काम करने वाली इस सरकार ने देश में सुरक्षा से जुड़े हुए विभिन्न विषयों, आम आदमी की सुरक्षा से जुड़े हुए विषयों के लिए नई परिभाषाएं गढ़ने का काम किया है, चाहे वह सड़क सुरक्षा का विषय हो । अभी इसी सप्ताह में हम सभी साथियों ने यहां पर बैठकर सड़क सुरक्षा के विषय पर आदरणीय नितिन गडकरी जी द्वारा प्रस्तुत बिल को पारित किया था । चाहे वह रेल और रेल के पैंसजर्स की सुरक्षा का विषय हो, चाहे स्पेस सिक्योरिटी का विषय हो, चाहे डेटा सिक्योरिटी का विषय हो । इस देश में सुरक्षा का एक नया वातावरण बनाने के लिए, ताकि सुरक्षित वातावरण में एक समृद्ध भारत बन सके, हमने इस दिशा में एक नई यात्रा प्रारंभ की है । पिछले पांच सालों की सरकार ने यह विश्वास निश्चित रूप देश और विश्व में जगाने में सफलता प्राप्त की है ।

माननीय अध्यक्ष महोदय, समय की सीमित्ता है । अभी एक और बिल भी सदन में पारित होना है । जिस तरह से सारे माननीय सदस्यों ने अपने विचार व्यक्त किए हैं, यदि मैं एक-एक व्यक्ति के विचार के बारे में, जो क्वेरीज़ उन्होंने रेज की हैं, अगर उनके बारे में बात करूंगा तो शायद बहुत लंबा समय लगेगा । लेकिन कुछ मूल विषयों के बारे में, जिनके बारे में लगभग सभी लोगों ने जिन विषयों के बारे में चिंता व्यक्त की है, उन विषयों के बारे में मैं अपना प्रत्युत्तर देना चाहता हूँ ।

माननीय अध्यक्ष महोदय, तमिलनाडु से आने वाले मेरे साथी - आदरणीय ए.राजा जी ने जिस विषय को लिया था, बहन महुआ जी ने जिस विषय को लिया था और एक-दो और साथियों ने भी जिस विषय की चर्चा की थी कि लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंस केन्द्र सरकार की और संसद की है या नहीं है । मुझे लगता है कि उसके बारे में, अधीर दा ने, जब हमने बिल इंट्रोडक्शन किया था तो उस समय विरोध किया था, लेकिन बाद में, उन्होंने अभी सहमति व्यक्त की है । लेकिन

इसके अतिरिक्त भी, इसके उपरांत भी माननीय विद्वान वकील, माननीय पीपी चौधरी साहब ने और छोटे भाई तेजस्वी सूर्या साहब ने जिस तरह से लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंस के बारे में बात की है, मुझे लगता है कि उसके बारे में मुझे और अधिक चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है । मैं यह मानता हूँ कि सदन इस बात से संतुष्ट है कि संसद को इस बात का अधिकार, संविधान प्रदत्त उपबंधों के अधीन है कि संसद देश के नागरिकों की सुरक्षा के व्यापक हितों को देखते हुए, इस तरह के कानूनों का प्रबंध कर सकती है, चाहे वह रेसिड्युअल पॉवर के रूप में करे, चाहे प्राप्त शक्तियों के आधार पर हो या अन्य उपबंधों के आधार पर हो ।

माननीय अध्यक्ष महोदय, जो दूसरा विषय है, जिस पर सबसे ज्यादा मेरे विपक्ष के साथियों ने चिंता व्यक्त की थी – अधीर दा से ले कर बाकी सब ने, जैसे बहन महुआ जी ने उसके बारे में बहुत आक्षेप लगाए कि राज्यों के साथ में कन्सलटेशन नहीं हुआ, मुझे लगता है कि कहीं कम्युनिकेशन में कुछ कमी रह गई है । यह बिल सन् 2016 में राज्यों को कन्सलटेशन के लिए सर्क्युलेट किया गया था । राज्यों ने अपने-अपने विषय में इसके बारे में अपने विचार लिख कर भेजे थे । तमिलनाडु से आने वाले साथी रविन्द्र जी ने अभी इसके बारे में उल्लेख भी किया था । जो 37वीं नैशनल कमेटी ऑन डैम सेफ्टी, जो अभी वर्तमान में व्यवस्था है, उसकी मीटिंग हुई थी । उस मीटिंग में लगभग सारे प्रदेशों के उपलब्ध प्रतिनिधियों ने इस बिल के ऊपर व्यापक विचार-विमर्श किया था और लगभग सबने इस बिल के ऊपर, इस बिल की आवश्यकता पर और इस बिल में बनाए गए उपबंधों पर अपनी सहमति व्यक्त की थी । तमिलनाडु से आने वाले सांसद साथियों ने इस बारे में चिंता व्यक्त की और यह उल्लेख किया कि तमिलनाडु की सरकार इससे सहमत नहीं है। लेकिन मैं यह आपकी जानकारी के लिए, सदन की जानकारी के लिए, आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ कि तमिलनाडु के सदस्यों ने भी, जो उस बैठक में उपस्थित थे, उन्होंने भी इस उपबंध के लिए, जो बांध और ऐसे राज्यों के बांध, जो अन्य राज्यों में स्थित हैं, उनके बारे में जो प्रावधान आपने किए हैं, उनसे हम सैटिसफाइड हैं और सन् 2010 के बिल की अपेक्षा में जो आपने सुधार किए हैं, उनसे हम सहमत हैं ।

माननीय अध्यक्ष महोदय, कुछ माननीय सदस्यों ने चिंता की है कि हम, हालांकि मैंने अपने आरंभिक वक्तव्य में भी इस बात की चर्चा की थी कि हम बांधों का न कंट्रोल लेना चाहते हैं, न ऑपरेशन और मेन्टेनेंस लेना चाहते हैं, न उसके जल पर कोई अधिकार जताना चाहते हैं, न बिजली पर कोई अधिकार जताना चाहते हैं, न उसकी सिंचाई की व्यवस्था में किसी तरह का हस्तक्षेप करना चाहते हैं और न उसके वॉटर शेयर में किसी तरह का कोई इंटरवीन करना चाहते हैं। लेकिन फिर भी कुछ माननीय सदस्यों ने इसके बारे में चिंता व्यक्त की थी ।

अध्यक्ष महोदय, अधीर दा ने जिन कुछ विषयों के बारे में बात की थी, उन्होंने फरक्खा बैराज के मेंटेनेंस के बारे में बात की, तीस्ता बैराज के मेंटेनेंस के बारे में बात की और इसके अतिरिक्त कनफ्लिक्ट ऑफ इंट्रेस्ट के बारे में बात की थी कि सीडब्ल्यूसी के चेयरमैन को जो अध्यक्ष बनाया गया है, माननीय महताब साहब एवं कुछ अन्य सदस्यों ने भी उसके बारे में चर्चा की है कि सीब्ल्यूसी के चेयरमैन को आपने अध्यक्ष बनाया और सीब्ल्यूसी के सदस्यों के लिए इस बिल में यह प्रावधान किया है कि वे स्टेट कमेटीज़ में भी रहेंगे ।

माननीय अध्यक्ष महोदय, यहां बहुत सारे बड़े प्रदेशों के प्रतिनिधि बैठे हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे छोटे-छोटे प्रदेश भी भारत में हैं, जिनकी यह तकनीकी क्षमता नहीं है कि वे अपने यहां पर इस तरह के उपबंधों के आधार पर, इस तरह के प्रोटोकॉल्स के डिज़ाइन कर सकें, डिसाइड कर सकें । साथ ही साथ सीडब्ल्यूसी का प्रतिनिधित्व रखने के पीछे जो मंशा है, वह केवलमात्र इतनी है कि उस पर्टिक्युलर बेसिन में काम करने वाले वाला सीडब्ल्यूसी का वरिष्ठ अधिकारी, जो डायरेक्टर लैवल का अधिकारी है, वह अधिकारी, क्योंकि उस बेसिन में काम करने का उसे अनुभव है, उस बेसिन की समझ उसे है, ताकि किसी भी तरह की तकनीकी सपोर्ट की आवश्यकता स्टेट कमेटी को पड़े तो एक तकनीकी विशेषज्ञ उसमें रहे । इसके अतिरिक्त उसमें किसी भी तरह का

हस्तक्षेप करने की, न तो केन्द्र सरकार की और न ही इस बिल के माध्यम से कोई भी मंशा है ।

माननीय अध्यक्ष महोदय, इसके अतिरिक्त जिन विषयों के बारे में बात की गई, मैं विस्तार से उन विषयों के बारे में बात नहीं करना चाहता, लेकिन एन.के. प्रेमचन्द्रन साहब ने एक सिंगल मैन अथॉरिटी के बारे में कहा और एक एडिशनल सेक्रेटरी लेवल का अधिकारी उस अथॉरिटी को गवर्न करेगा, उस अथॉरिटी को हैड करेगा । जो नेशनल डैम सेफ्टी कमेटी बनेगी, वह बेसिकली टेक्नीकल बॉडी है और जैसा मैंने प्रारम्भ में भी कहा था कि वह एक थिंक टैंक के रूप में काम करेगी । किस तरह की आवश्यकताएँ हैं, विश्व भर में किस तरह से डैम सेफ्टी के प्रोटोकॉल्स हैं, हमारे उस पर्टिक्युलर डैम की हाइड्रोलॉजी, उस जगह की सिस्मोलॉजी, उस जगह की आवश्यकता को देखना होता है । अभी बहुत सारे बांधों की सेहत के बारे में अनेक माननीय सदस्यों ने चर्चा की । उन सारे विषयों को देखते हुए, उस पर्टिक्युलर डैम के लिए या पूरे देश भर में राष्ट्र व्यापी प्रोटोकॉल किस तरह से बनाया जाना है, इसके बारे में वह अपने सुझाव देगी और वह जो पॉलिसी बनाएगी, उस पॉलिसी को गवर्न करने के लिए, उस पॉलिसी का इम्प्लिमेंटेशन हो सके, हम किसी भी तरह से कोई अधिकार नहीं जताना चाहते ।

माननीय भर्तृहरि महताब साहब कह रहे थे कि अगर टॉप डाउन अप्रोच से आप काम कर रहे हैं, यह टॉप डाउन अप्रोच से काम करने की मंशा माननीय मोदी जी की सरकार में, उनके नेतृत्व में काम करने वाली सरकार की नहीं है । पिछली सरकार जब मोदी-1 बनी थी तो माननीय मोदी जी ने बाहें पसार कर सब का स्वागत करते हुए कहा था कि एक कॉपरेटिव फेडरलिज़्म के सिद्धांत पर काम करने वाली सरकार है । हम सब को साथ लेकर, सब का विश्वास लेकर, सारे देश की एक साथ प्रगति और उन्नति करने के लिए काम करेंगे । इस तरह की आशंका कि हम इस बिल के माध्यम से राज्यों पर अधिकार जमाने की

कोशिश कर रहे हैं, मुझे लगता है कि यह आशंका निर्मूल है, यह आशंका व्यर्थ है ।

माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रेमचन्द्रन साहब ने इमरजेंसी एक्शन प्लान के बारे में बात की थी। उन्होंने कहा कि डैम ब्रेक एनालिसिस...(व्यवधान) वह अधिकांशत: हमेशा हर चीज में इंटरवीन करते हैं और उन्होंने कुछ बहुत अच्छे सुझाव दिए थे । कुछ लोगों ने और भी उस विषय की चर्चा की है । उन्होंने कहा कि अगर बांध टूटता है तो उसके जो इफेक्ट्स होंगे, उसके बारे में आपने इसमें कोई प्रोविजन नहीं किए हैं । जो तकनीकी समिति है, वह तकनीकी समिति इन सब विषयों की चिन्ता करेगी । इसके साथ-साथ बाढ़ से होने वाले इफेक्ट्स, डैम ब्रीच के कारण से, बाढ़ आने के कारण से या अन्य किसी कारण से उस डैम में ओवर स्पिल होने के कारण से जो बाढ़ आती है या एक साथ मानसून के समय में एक्सेसिव वाटर छोड़ने के कारण से जो समस्या उत्पन्न हो सकती है, उसमें इफेक्ट होने वाले क्षेत्र, बाढ़ की तीव्रता, बाढ़ से होने वाले नुकसान, बाढ़ का अध्ययन करने के बाद में ही इमरजेंसी एक्शन प्लान बनते हैं । जैसा मैंने कहा कि आज इमरजेंसी एक्शन प्लान अनेक बांधों के नहीं हैं । जब हमने ड्रिप की योजना को लिया था और ड्रिप की योजना पर जब हमने काम करना प्रारम्भ किया था, डैम रिहैबिलिटेशन का जो प्रोग्राम भारत सरकार ने लिया, अब तक हमने 180 से ज्यादा बांधों के, जो बड़े बांध हैं, ऐसे 180 से ज्यादा बांधों के लिए इस तरह का इमरजेंसी एक्शन प्लान बनाने का काम किया है । जब उन बांधों के क्षेत्र में काम कर रहे थे, ऐसे अनेक बांधों की चर्चा अभी हमारे विद्वान साथियों ने की और उन्होंने कहा कि हमारे बांध लीक हो रहे हैं, वहाँ से पानी निकल रहा है । ओडिशा से आने वाले प्रतिनिधि ने हीराकुंड डैम की चर्चा की । अनेक ऐसे बांध थे, जिन बांधों की सेहत वास्तव में चिंताजनक थी और वह चिन्ता ही निश्चित रूप से इस कानून को बनाने, इस कानून को लाने के पीछे अनुप्रेरक के रूप में काम कर रही थी । उन बांधों की भी चिन्ता करते हुए हीराकुंड डैम के लिए 600 करोड़ रुपये की योजना बना कर, उसकी सेहत को ठीक करने का काम किया है । उसके गेट्स को रिपेयर करने का काम किया है । फरक्का बैराज की चर्चा

अभी की गई, फरक्का बैराज के सारे गेट्स को बदलने का काम चल रहा है । लगभग 80 प्रतिशत उसके गेट्स बदल दिए गए हैं और बहुत जल्दी उसके बाकी गेट्स बदल दिए जाएँगे । पश्चिम बंगाल के कुछ बांधों की चर्चा पश्चिम बंगाल से आने वाले कुछ मित्रों ने की । मैं दु:ख के साथ, अफसोस के साथ कहना चाहता हूँ कि पश्चिम बंगाल में जो ड्रिप योजना हमने लागू की थी, उसमें इंट्रेस्ट शो नहीं किया, उसमें भागीदार नहीं बने और अभी भी ड्रिप योजना के तीसरे फेज के लिए हमने उनको पत्र लिखा है कि वह इसमें साथ में आए, साथ जुड़े ताकि हम उनके बांधों की भी सुरक्षा का काम इस योजना के माध्यम से कर सकें ।

बहन महुआ जी ने यह कहा कि अब्स्ट्रक्शन अगर कोई कहेगा तो उस पर आपने पेनॉल्टी का क्लॉज रखा है । सब विद्वान साथियों ने इसकी चर्चा की है कि अनेक बांध ऐसे हैं, जो बांध दूसरे राज्यों में स्थित हैं । ओनर कोई और है और बांध किसी दूसरे राज्य में स्थित है । कल अगर ऐसी समस्या हो कि वह राज्य उसमें जाने से इंकार कर दे, तो उसमें किसी तरह से कानून का उपबंध होने की आवश्यकता थी । वैस्ट बंगाल के बांध तो पूरे झारखण्ड में हैं, आदरणीय निशिकांत जी बार-बार उसकी चर्चा करते हैं । उनको सुविधा देने के लिए इस तरह के कानून का उपबंध किया गया है । इसके अतिरिक्त जो-जो कहा गया है, लगभग-लगभग जो मोटे विषय थे, उनके बारे में मैंने जवाब दिया है । बांधों की सुरक्षा हम सबका उद्देश्य है, बांधों की सुरक्षा ठीक तरह से हो और देश खुशहाल बने, इन सारे विषयों को लेकर इस कानून में उपबंध किया गया है । आप सभी मित्रों ने अपने विचारों के द्वारा, अपनी राजनीतिक प्रतिबद्धताओं से ऊपर उठकर इस बिल का समर्थन किया है, सहयोग किया है, उसके लिए मैं आप सभी का आभार व्यक्त करता हूँ । धन्यवाद ।

माननीय अध्यक्ष : आप एक-एक स्पष्टीकरण पूछ लें ।

श्रीमती अन्नपुर्णा देवी (कोडरमा): महोदय, मैं आपके प्रति आभार व्यक्त करती हूँ कि आपने मुझे माननीय मंत्री जी से क्लेरिफिकेशन पूछने का अवसर दिया है ।

सबसे पहले मैं माननीय मंत्री जी और माननीय प्रधान मंत्री जी के प्रति आभार व्यक्त करती हूँ कि उन्होंने इस महत्वपूर्ण बिल पर चर्चा कराई । आज जो आवश्यकता है, खासकर हम जिस झारखण्ड प्रदेश से आते हैं, मैं ज्यादा समय नहीं लूँगी, मैं झारखण्ड के बारे में बताती हूँ कि झारखण्ड प्रदेश को बंगाल के साथ हमेशा परेशानी हो रही है । कई डैम्स, जिनकी चर्चा माननीय निशिकांत जी ने की, आज डैम झारखण्ड में है, लेकिन हमें उससे बहुत फायदा नहीं मिल पाता है, चाहे वह सिंचाई की बात हो या पेयजल की बात हो । मसानजोर डैम दुमका में है, उसके बारे में दुमका के लोग लगातार आन्दोलन करते हैं, उस पर चर्चा होती है कि हमें वहाँ से कम से कम सिंचाई और पेयजल की व्यवस्था मिल सके, लेकिन ऐसा नहीं हो पाता है । पहले एक करार हुआ था, आज हमें उससे कोई फायदा नहीं मिल पाता है । उसी तरह से मैथन डैम है, उसी तरह तिलैया डैम है, हरेक डैम को हम देखें तो इनका कैचमेंट एरिया झारखण्ड है, लेकिन इनका ज्यादा फायदा बंगाल को मिलता है । मैं माननीय मंत्री जी से यही आग्रह करना चाहूँगी, चूँकि झारखण्ड सूखा की चपेट में है, आप देख रहे होंगे कि इस बार भी झारखण्ड में ज्यादा बारिश नहीं हुई है और पूरा झारखण्ड सूखे की चपेट में है । मैं आपसे यही आग्रह करना चाहती हूँ कि चाहे डैम के प्रबंधन की बात हो, डैम सुरक्षित हो, उसके साथ-साथ उस डैम का सिंचाई के क्षेत्र में झारखण्ड के लोगों को फायदा होना चाहिए । झारखण्ड के लोग पूरी तरह से सिंचाई पर ही निर्भर हैं । ऐसे बड़े-बड़े डैम्स के माध्यम से हमें सिंचाई की सुविधा मिलनी चाहिए ताकि वहाँ के लोगों को फायदा हो सके । वहाँ के लोगों को डैम से पेयजल की सुविधा होनी चाहिए, क्योंकि झारखण्ड एक पठारीय प्रदेश है । वहाँ जो भी बारिश होती है, बारिश का सारा पानी बह जाता है । मैं आग्रह करूँगी कि माननीय मंत्री जी उस पर भी ध्यान दें । धन्यवाद ।

श्री अधीर रंजन चौधरी (बहरामपुर): मंत्री जी, हम सारे जवाब आपसे अभी नहीं चाहते हैं । मैंने आपसे तीस्ता और डीवीसी के बारे में भी पूछा था । तीस्ता आज तक सम्पूर्ण नहीं हो सकी है, पता नहीं इसमें फंडिंग की कमी है या नहीं है । डीवीसी के बारे में भी आप बाद में बता दीजिएगा । हमें कोई जल्दबाजी नहीं है ।

मैं फरक्का बैराज के बारे में बोलना चाहता हूँ । वहाँ इंडो-बांग्लादेश वाटर शेयरिंग करार है और इसके चलते भागीरथी नदी में, मतलब जैसे हमारा वाटर ट्रांसपोर्ट बांध से जुड़ा हुआ है, नेशनल वाटरवेज बांध से जुड़ा हुआ है । बांध के साथ-साथ पर्यावरण भी जुड़ा हुआ है । गंगा नदी में लीन सीजन में पानी की सप्लाई कम हो जाती है, तो जो जहाँ जाता है, वह सब स्टैन्डिंग हो जाता है । इससे बचने के लिए क्या उपाय है? यह नम्बर एक प्रश्न है ।

दूसरा, मैं आपसे पर्यावरण की बात कह रहा हूँ कि लार्ज डैम भी बनने चाहिए । मैंने आपसे यह भी पूछा था कि अभी कितने सारे लार्ज डैम आपको बनाने चाहिए और इसमें डिस्प्लेसमेंट का क्या हिसाब है, वह आप कैसे कर पाओगे? हम यह जानकारी भी आपसे लेना चाहते हैं । अभी देने की जरूरत नहीं है, हम बाद में आपके पास जाएंगे, आप इसमें काफी दिलचस्पी लेते हैं, यह मुझे अच्छा लगता है । पर्यावरण के बारे में केरल की बात करते हैं, महाराष्ट्र की बात करते हैं, वेस्टर्न घाट में माधव गाडगिल ने एक रिपोर्ट पेश की थी । उसकी रिपोर्ट के मुताबिक वह लार्ज डैम के खिलाफ है, क्योंकि उससे वहाँ के पर्यावरण को काफी हानि होने की संभावना है । इसके साथ-साथ कस्तूरीरंगन कमेटी भी बनाई गई थी । क्या इनके साथ आपका कोई सम्पर्क नहीं रहता है? वाटर ट्रांसपोर्ट में आपका क्या को-ऑर्डिनेशन है? हम चाहते हैं कि बाँध की कैटेगरी हो, उसका क्लासिफिकेशन हो कि किस तरह का बाँध है, मतलब वह मेजर है, मीडियम है या लार्ज है? इसका जरा ब्यौरा दीजिए ।

SHRIMATI SUPRIYA SADANAND SULE (BARAMATI): Thank you, Sir. India has four per cent of water for an 18 per cent population of

the world. So, we are all aware that it is a big challenge.

A lot of projects not just in my State, but country-wide have forest issues, and sometimes they get delayed due to repairs or canal issues get pending or maintenance becomes a challenge because we do not have clarifications or permissions from the Forest Department. Can you commit to us that you would help and intervene in our States in a timebound manner? Otherwise, it takes years to do it, and the pricing of the whole thing collapses. In my own State, Godavari and Krishna basins in Marathawada and Vidarbha, are actually suffering because of this issue.

श्री नामा नागेश्वर राव (खम्माम): सर, मिनिस्टर साहब अभी तीन इश्यूज को क्लैरिफाई नहीं कर पाए?

डैम सेफ्टी चेक करने के लिए जिस समय डैम बना, उस समय का डिजाइन एण्ड ड्राइंग्स, और डाटाबेस चाहिए । डाटाबेस कितना है क्योंकि उस समय और अभी के कंस्ट्रक्शन में काफी कोड्स चेंज हो गए हैं । डैम्स के इश्यूज काफी चेंज हो गए हैं । उनका डाटाबेस कितना है? अगर डाटाबेस नहीं है तो आप उसे कैसे चेक कर पाएंगे?

सर, मेरा दूसरा क्लैरिफिकेशन है कि हमारे बॉर्डर कंट्रीज में डैम्स बने हुए हैं । अगर वहां कोई उसे अफेक्ट करे तो उसका इफेक्ट हमारे देश पर आएगा । उसे कैसे सॉल्व करेंगे?

सर, मेरा एक और इम्पॉर्टेन्ट इश्यू है । हाउस में एनवायरनमेंटल क्लियरेंस की बहुत बात की गयी है । एक्चुअली, इर्रीगेशन प्रोजेक्ट्स के लिए एनवायरनमेंटल क्लियरेंस नहीं होना चाहिए । हम क्यों यह बात बता रहे हैं क्योंकि इर्रीगेशन प्रोजेक्ट्स का मतलब ही यह होता है कि अगर इर्रीगेशन

प्रोजेक्ट्स हैं तो वहां ग्रीनरी बढ़ती है । ग्रीनरी बढ़ाने के लिए, फार्मर्स को डेवलप करने के लिए इस एनवायरनमेंटल क्लियरेंस के बारे में भी हाउस में बहुत से माननीय सदस्यों ने बात की है । इसे भी थोड़ा क्लैरिफाई करें, नहीं तो इस इश्यू को बाद में भी थोड़ा सीरियसली लेने की जरूरत है ।

SUSHRI MAHUA MOITRA (KRISHNANAGAR): Thank you, Mr. Speaker, Sir. Thank you, Mr. Minister, for your detailed reply. Actually, I have got two specific clarifications.

Firstly, you have mentioned that since 2016 you have actually been consulting with the States on this particular Bill. Hence, this has been possible as a result of your detailed consultation. My specific clarification on this issue is this. Did all the States, in writing, agree to the composition of the National Committee in which there will be 10 Members of the Centre chosen by the Centre; 7 Members from the State, but chosen by the Centre; and 3 Experts also chosen by the Centre? Was this composition agreed to by any of the States in writing? Similarly, I would like to know with regard to the State Committees also. Did the States agree to the fact that the Centre would be telling them on how many Members or of what tenure and who they should be?

Secondly, under this new National Dam Safety Authority, you have, for example, WAPCOS, which is a safety organisation, Government of India Undertaking. The West Bengal Government has right now hired it to do the safety audit, which we have done pre-monsoon and post-monsoon. What is going to happen -- under the new regime -- to organisations such as this, which are under the Government of India and are currently doing safety audits? Thank you.

श्री राहुल रमेश शेवाले (मुम्बई दक्षिण-मध्य): माननीय अध्यक्ष महोदय, इस विषय पर सभी माननीय सदस्यों ने लीगल और टेक्निकल बातें कीं । माननीय मंत्री जी ने उनके रिप्लाई में भी कहा कि नेशनल डैम सिक्योरिटी कमेटी के माध्यम से लीगल और टेक्निकल एक्शन प्लान बनाया जाएगा । लेकिन, मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान एक विषय की ओर आकर्षित करना चाहता हूं । वर्ष 2009 की एक न्यूज आई है । सेन्ट्रल सिक्योरिटी एजेंसी ने डायरेक्टर जनरल ऑफ पंजाब एण्ड हिमाचल प्रदेश को एक मैसेज दिया था कि भाखड़ा नांगल डैम पर टेररिस्ट अटैक हो सकता है । इस एक्शन प्लान में हम लीगल और टेक्निकल चीजों पर विचार करेंगे, लेकिन भविष्य में हमारे देश को टेररिस्ट अटैक से जो खतरा है, क्या इस एक्शन प्लान में उस पर विचार किया जाएगा क्योंकि मुम्बई पर जब अटैक हुआ था तो मुम्बई के मोडक सागर और मिडिल वैतरणा डैम पर भी टेररिस्ट अटैक का थ्रेट था । क्या इसके बारे में मंत्रालय विचार करेगा?

20.00 hrs

डॉ. निशिकांत दुबे (गोड्डा) : अध्यक्ष महोदय, मुझे लगता है कि यह बिल हमारे लिए ही आया है । मैं सदन को बताना चाहता हूं कि मैं एक ऐसा एम.पी. हूं, जो इन प्रोजेक्ट्स के लिए पी.आई.एल. में हाईकोर्ट में हैं । आप समझिए कि 100 स्क्वायर किलोमीटर, एक-दो किलोमीटर की बात नहीं है, बल्कि 100 स्क्वायर किलोमीटर में हमारे यहां मसानजोर डैम है, जो मयूराक्षी नदी पर है और यह मेरे लोक सभा क्षेत्र से निकली है । इससे बंगाल के ढाई लाख हेक्टेयर जमीन की सिंचाई होती है । मेरे क्षेत्र में केवल आठ हजार हेक्टेयर जमीन की सिंचाई होती है । उसमें भी अभी तक बंगाल सरकार ने कैनाल नहीं बनाई है । उससे जो बिजली का उत्पादन होता है, वह पूरा का पूरा बिजली बंगाल लेता है । बंगाल वहां से 30 किलोमीटर दूर से शुरू होता है ।

सर, मैंने इसलिए पी.आई.एल. किया है, मैं आप सभी की जानकारी के लिए बताना चाहता हूं । उसका एक वाल टूट रहा था, इसलिए हम उसको रिपेयर करने के लिए गए, लेकिन बंगाल की पुलिस वहां आकर हमारे सारे अधिकारियों को उठा कर ले गई । हमारे दुमका की जो मंत्री थी, अन्नपूर्णा जी वहां की बेटी हैं । हम सभी को एक वाल का रिपेयर करने के लिए एजिटेशन करना पड़ा । मंत्री महोदय से मेरा आग्रह है, चाहे सिलटेशन का सवाल हो, यदि कहीं पर सबसे ज्यादा सिलटेशन हुआ है, तो हमारे चानन नदी में हुआ है । चानन नदी भी हमारे यहां से निकलती है । इसमें 55 परसेंट सिलटेशन है । यदि किसी बांध में सबसे ज्यादा सिलटेशन हुआ, तो हमारे यहां हुआ है । हम मसानजोर की चर्चा बार-बार कर रहे हैं । आज मैं दोनों ही केसेस में पी.आई.एल. में रांची हाई कोर्ट में हूं । क्या भारत सरकार मेरे साथ या झारखंड के लोगों के साथ चानन तथा मसानजोर में न्याय करेगी, यदि न्याय करेगी तो कब तक करेगी?

SHRI MARGANI BHARAT (RAJAHMUNDRY): My clarification is with regard to rehabilitation and resettlement concerning Polavaram project. When can we expect release of funds for resettlement and rehabilitation of tribals and villagers? It has nothing to do with the construction of Polavaram project.

SHRI P. P. CHAUDHARY (PALI): Clause 49 of this Bill provides that the Central Government is competent to amend any provision of the Schedules I, II and III. Now, my clarification from the hon. Minister is this. This provision is part of this Bill. Parliament is competent to legislate with respect to this Schedule. Is it constitutionally permissible to delegate Parliament's legislative power to the Central Government that these Schedules can be amended by way of notification issued in the Official Gazette only? It is because the legislative power of Parliament cannot be delegated to the Central Government.

श्री राजू बिष्ट (दार्जिलिंग): अध्यक्ष महोदय, दार्जिलिंग, डूअर्स और तराई के जो इलाके हैं, वे सेस्मिक जोन के हिसाब से चौथे नंबर पर आते हैं । कांग्रेस के जमाने में यह पारित हुआ था कि तीस्ता नदी पर 27 डैम्स बनाए जाएंगे । इनमें से चार डैम्स बन भी चुके हैं । मैं बताना चाहूंगा कि प्लैन की अपेक्षा पहाड़ी क्षेत्र में जो डैम बनता है, वह अलग टाइम का होता है । अगर वहां पहला वाला डैम टूट जाता है, तो सारे के सारे डैम्स टूट जाते हैं और यह आदमियों के लिए काफी रिस्की हो जाता है । मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि अभी तीस्ता नदी को लेकर क्या विचार है? अभी तक वहां जितने भी डैम्स बने हैं, वहां के लोगों को पूरी तरह से मुआवजा नहीं मिला है । क्या उसके लिए कुछ किया जा रहा है? धन्यवाद ।

माननीय अध्यक्ष: सभी माननीय सदस्य माननीय मंत्री जी से उनके चैम्बर में मिल लीजिए, वह आपकी सारी समस्याओं का समाधान कर देंगे ।

श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत: अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सारे सम्मानीय सदस्यों को धन्यवाद देना चाहता हूं । उन्होंने मुझे लिबर्टी दी है कि मैं बाद में सभी सदस्यों से व्यक्तिगत रूप से मिलकर उनके क्लैरिफिकेशन के बारे में लिखित रूप से बता सकूं । माननीय अध्यक्ष महोदय, अपने विचार व्यक्त करते हुए भी कुछ सदस्यों ने कहा था और वापस क्लेरिफिकेशन में भी वही चीज पूछी है । तेलंगाना से आने वाले मित्र ने पोलावरम डैम के बारे में चर्चा की, आंध्र से आने वाले मित्र ने पोलावरम डैम के बारे में चर्चा की । पोलावरम डैम नेशनल प्रोजेक्ट डिक्लेयर हुआ है । पोलावरम डैम में भारत सरकार ने, जो खर्च किया है उसके रीअम्बर्समेंट की बात जयदेव गल्ला साहब ने भी की । रीअम्बर्समेंट के लिए फाइनेंस ने कुछ आपत्तियां लगाईं और उनको कहा था कि जो खर्च, जिस राइट बैंक और लेफ्ट बैंक कैनाल की वह बात करते हैं, उसके लिए जो पांच हजार करोड़ रुपये खर्च किए थे, उस पांच हजार करोड़ रुपये का एक बार ऑडिटेड एकाउंट प्रस्तुत करें । तीन हजार करोड़ रुपये के लगभग का एक

ऑडिटेड एकाउंट अभी प्रस्तुत हुआ है, बाकी अभी शेष है । वे प्रस्तुत करेंगे, तब इसके ऊपर आगे रीअंबर्समेंट पर विचार होगा ।

दूसरा विषय, माननीय सदस्य ने चिंता व्यक्त की कि यह कब तक पूरा होगा? मैं माननीय सदन के संज्ञान के लिए और माननीय सदस्य को अवगत कराना चाहता हूं कि पोलावरम प्रोजेक्ट के निर्माण की जिम्मेदारी राज्य सरकार के पास है । मुझे यह सूचित करते हुए अत्यन्त दुख होता है कि राज्य सरकार ने कल एक बार फिर टेंडर को, जो कनसैशनर था, उसका टेंडर कैंसल कर दिया। मुझे लगता है कि यह एक नया अवरोध होगा और आने वाले समय में इसमें कितना समय लगेगा, इस समय के बारे में मुझे …(व्यवधान)

SHRI MARGANI BHARAT: I was talking about rehabilitation and resettlement.

श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत: इसके कारण कॉस्ट एस्किलेशन भी निश्चित रूप से बढ़ने वाला है । मेरी बहन महुआ जी ने स्टेट कंसल्टेशन के बारे में बात की । हमने सभी स्टेट्स को कंसल्टेशन के लिए भेजा था । जिन स्टेट्स ने अपनी ऑब्जर्वेशन्स दीं, अपनी तरफ से प्रतिक्रियायें व्यक्त कीं, हमने उनको एड्रेस करने का प्रयास किया है । मैं दु:ख के साथ कहता हूं कि वेस्ट बंगाल प्रदेश ने उसमें कोई प्रतिक्रिया ही नहीं दी । …(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष महोदय, उन्होंने नेशनल कमेटी ऑन डैम सेफ्टी के बारे में बात की । नेशनल कमेटी ऑन डैम सेफ्टी टेक्निकल बॉडी है, जैसा मैंने कहा कि वह रेग्युलेटरी अथॉरिटी नहीं है । जयदेव गल्ला जी ने भी अपनी बात करते हुए इस बात के लिए चिंता व्यक्त की थी कि सात सदस्य आप राज्यों से लेंगे, उसका नंबर इतनी देरी से आएगा । पहली बात मैं आपके संज्ञान के लिए बताना चाहता हूं कि जैसा कहा गया कि राज्यों को प्रतिनिधि चुनने का अधिकार नहीं होगा, राज्यों के प्रतिनिधि राज्य ही तय करेंगे, लेकिन राज्यों के प्रतिनिधियों की जो चिंता की है, निश्चित रूप से नियम बनाते समय हम इस बात का उपबंध करेंगे कि बड़े

राज्य, जिनमें ज्यादा संख्या में बांध हैं, उनके लिए एक अलग से कैटेगरी बन जाए, ताकि उनको इतने वर्षों तक इंतजार न करना पड़े । बाकी माननीय सदस्यों ने जो क्लेरिफिकेशन्स मांगे हैं, वह सबके पास मैं लिखित में भेजने का प्रयास करूंगा ।

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न यह है:

> "कि बांध संबंधी विफलता से संबंधित आपदाओं के निवारण के लिए विनिर्दिष्ट बांधों की निगरानी, निरीक्षण, प्रचालन और अनुरक्षण का उपबंध करने और उनके सुरक्षित कार्यकरण को सुनिश्चित करने के लिए संस्थागत क्रियाविधि तथा उनसे संबंधित या उनके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, सभा अब विधेयक पर खण्डवार विचार करेगी । चूंकि जिन सदस्यों ने इस विधेयक पर संशोधनों की सूचना दी है, वे सदन में अपने संशोधन प्रस्तुत करने के लिए उपस्थित नहीं हैं, इसलिए मैं सभी खण्डों को एक साथ सभा के निर्णय के लिए रखूंगा ।

खण्ड 2 **से** 56

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न यह है:

> "कि खण्ड 2 से 56 विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खण्ड 2 से 56 विधेयक में जोड़ दिए गए ।

पहली, दूसरी और तीसरी अनुसूची को विधेयक में जोड़ दिया गया ।

खण्ड 1, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का पूरा नाम विधेयक में जोड़ दिए गए ।

माननीय अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी प्रस्ताव करें कि विधेयक को पारित किया जाए ।

SHRI GAJENDRA SINGH SHEKHAWAT: Sir, I beg to move:

"That the Bill be passed."

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न यह है:

"कि विधेयक पारित किया जाए ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

20.10 hrs